राजस्थान विधान सभा

४८वीं बैठक, मंगलवार, दिनांक–१५ मई, सन् १९५६ ई०

विधान सभा की बैठक सभा भवन, जयपुर, में प्रातः ८.१३ बजे आरम्भ हुई ।

(श्री नरोत्तमलाल जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष—प्रश्न श्री भैरोंसिंह ।

प्रश्न संख्या ९५१

सीकर जिले के सन् ५० के अल्पकालीन शिक्षण प्राप्त एस. टी. सी. अध्यापक एवं उनके वेतन

श्री भैरोंसिंह (दांतारामगढ़)—क्या शिक्षा मंत्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) सीकर जिले में सन् ५० की अल्पकालीन शिक्षण प्राप्त एस. टी. सी. अध्यापकों की संख्या कितनी है ?

(ख) इन पदों के लिए क्या तनख्वाह निर्धारित है ?

(ग) क्या यह सही है कि सीकर जिले के ऐसे अध्यापकों को राजस्थान सरकार के निर्धारित आधार पर तनख्वाह नहीं मिलती है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—(क) २४ अध्यापक हैं ।

(ख) ४०-१-५० के ग्रेड में (४० रुपया वेतन निर्धारित है) ।

(ग) जी हां, क्योंकि इस जिले के बजट में ऐसे अध्यापकों के लिए कोई पोस्ट स्वीकृत नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह—क्या सीकर जिले के लिये ऐसी कोई पोस्ट स्वीकृत नहीं है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—जी हां ।

श्री भैरूंसिंह—तो कई अध्यापकों को ऐसे पदों पर नियुक्त क्यों किया जाता है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—टीचर्स ट्रेनिंग के लिए भेज दिये जाते हैं और जब वे ट्रेनिंग करके आते हैं तो उन्हें प्रोवाइड करना पड़ता है ।

श्री भैरोंसिंह—आपने बताया कि २४ अध्यापक सीकर जिले में ऐसे हैं जिनको ट्रेनिंग मिल चुकी है तो क्या वे इस योग्य नहीं हैं कि उनको, इस पोस्ट की तनख्वाह मिलनी चाहिए ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मिलनी चाहिये, पर बजट में प्रोविजन नहीं है ।

श्री भैरूंसिंह—जब मिलनी चाहिये तो क्यों नहीं मिलती, जब कि वे ट्रेनिंग कर चुके हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—यह डिपार्टमेंटली ओब्लीगेटरी नहीं है कि जो ट्रेनिंग पास होकर आ जाय तो उन्हें वह पे दी जाय ।

श्री भैरूंसिंह—जब सरकार आवश्यक समझती है तो बजट में प्रोविजन क्यों नहीं रखा गया है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—पोस्ट्स तो आवश्यकता के माफिक रखी जाती हैं, आदमी तो कभी कभी बहुत ट्रेन्ड हो जाते हैं ।

श्री भैरूंसिंह—क्या यह सही है कि सीकर जिले के अलावा और दूसरे जिलों में, जिनमें इस प्रकार के पद बजेटेड पोस्ट में हैं, वहां ट्रेंड कम हैं और सीकर जिले में २४ अध्यापक रख रखे हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—वहां टीचर्स को ट्रेनिंग का ज्यादा शौक है ।

श्री भैरोंसिंह—जहां ट्रेन्ड अध्यापकों की ज्यादा जरूरत है, वहां ट्रेन्ड अध्यापक क्यों नहीं भेजे जाते हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—इस समय मेरे पास ऐसी जानकारी है ।

Page No 3

श्री भैंरू सिंह—क्या सीकर जिले में एक भी ऐसा पद नहीं है जो एस. टी. सी. के अनुकूल हो ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—पद तो हैं लेकिन ग्रेड नहीं दी गई और वह इसलिए नहीं दी गई कि बजट में नहीं था ।

श्री भैंरोंसिंह—सरकार के ध्यान में यह बात कब से है कि पद है और बजट में एडजस्टमेंट नहीं होने से ग्रेड प्रमोशन नहीं दिया जाता ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—तारीख तो मेरे पास नहीं है कि कब से हैं ।

श्री भैंरोंसिंह—आप साल बता दें ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—आपके प्रश्न से ध्यान में आया है ।

श्री भैंरू सिंह—आज से ७ साल पहले के ट्रेन्ड हैं, उनको क्या रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से ग्रेड दिया जावेगा ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—हां । उनको १. ७. ५२ से यह ग्रेड दिया जावेगा ।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या ६५२

गंगापुर तहसील द्वारा म्युनिसिपल क्षेत्र में गृह निर्माण की आज्ञा अवैधानिक

श्री रिद्धिचन्द पालीवाल—क्या राजस्व मंत्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(क) क्या सरकार को विदित है कि गंगापुर तहसील द्वारा म्यु० क्षेत्र में मकान बनाने की आज्ञा दी जा रही है ?

(ख) यदि हां, तो किस एक्ट की तहत तहसीलदार को मकान बनाने की व नक्शा पास करने की आज्ञा देने का अधिकार है ?

(स) इस प्रकार का अवैधानिक कार्यवाही को रोकने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

Page No 4

श्री संपतराम—(क) (ख) और (ग) तहसील से मकानों के नक्शे आदि बनाये जाते थे और तहसील गंगापुर द्वारा म्युनिसिपल बोर्ड की राय से जमीनें एलॉट की जाती थी और इजाजत की जाती थी नगरपालिका को इस संबन्ध में हिदायत कर दी गई है और नगरपालिका द्वारा ही जमीनें एलॉट की जावेंगी।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ९५३

राजस्थान की विभिन्न नगरपालिकाओं में चूंगी की दरें

महाराज श्री केसरीसिंह—क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(क) राजस्थान में अलग २ नगरपालिकाओं में चुंगी की दरें क्या २ हैं ?

(ख) क्या कोई ऐसी भी नगरपालिका है जहां चुंगी नहीं ली जाती है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—(क) यह आंकड़े अभी तैयार नहीं हो पाये हैं।

(ख) जी हां। ऐसी २२ म्युनिसिपलटीज़ हैं जहां ऑक्ट्रोय लागू नहीं है।

श्री केसरी सिंह—ये आंकड़े कब तक प्राप्त हो जावेंगे ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—यह एक बहुत लम्बा चौड़ा प्रश्न है। अभी तक आंकड़े तैयार नहीं हुए हैं।

श्री अध्यक्ष—२० मार्च को यह प्रश्न आपके पास भेजा गया था।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—सब म्युनिसिपेल्टियोंसे आंकड़े इकट्ठे करने थे।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ९५४

सन् ५२-५३ के प्रारम्भ जे. टी. सी. व पी. टी. सी. के स्वीकृत पद एवं ५५-५६ में नये ऐसे पदों की स्वीकृति

श्री भैरूंसिंह—क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(क) सन् ५२—५३ के आरम्भ में सीकर जिले में कितने जे. टी. सी. व पी. टी. सी. के स्वीकृत पद थे और १९५५—५६ में कितने पद और स्वीकृत हुये ?

[श्री भैरोंसिंह]

(ख) इन स्वीकृत पदों में किस २ वर्ष में कितने २ स्थान रिक्त रहे ?

(ग) किस किस वर्ष में कितने २ जे. टी. सी. व पी. टी. सी. के लिये निर्धारित योग्यिता वाले अध्यापक थे, जिनको रिक्त स्थानों पर नहीं लगाया गया और क्यों ?

श्री बद्रीप्रसादगुप्ता—(क) सन् १९५२:५३ के आरम्भ में सीकर जिले में जे. टी. सी. व पी. टी. सी. की २०४ पोस्टें थीं और उसके बाद १९५५:५६ तक उतनी ही पोस्टें रहीं।

(ख) रिक्त स्थान इसप्रकार रहे :

५१–५२	६१
५२–५३	१००
५३–५४	७१
५४–५५	६३
५५–५६	२२

(ग) यह इस प्रकार थीं :

५१.	२७
५२.	५९
५३.	८
५४.	८
५५.	२५
५६.	×

कारण यह है कि सन् ५२ के प्रमोशन अभी तक तय नहीं हुये थे, अतः बाद वाले अध्यापकों के प्रमोशन नहीं उठाये गये। सन् ५१ व ५२ के पास शुदा अध्यापक इस समय पोस्टों के समक्ष लगे हुए हैं। अब सन् ५२ के प्रमोशन तय करके स्वीकृति दे दी गई है। अतः बाद वाले अध्यापकों को शीघ्र प्रमोशन मिल जावेगा। उन्हें १. ७. ५२ से यह ग्रेड दिया जावेगा।

श्री भैंरूसिंह (१६)—जब सीकर जिले में स्थान थे और अध्यापक भी क्वालीफाइड थे तो क्या केवल बजट में प्रोविजन नहीं होने से उनको नहीं लिया गया था और कोई कारण थे ?

Page No 6

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मैंने कहा कि उनके स्थानों के समक्ष आलरेडी काम कर रहे हैं। ए. जी. ने ओब्जेक्शन किया। वह जगह खाली नहीं हुई, इस कारण से नहीं लिये गये। उनको १.७.५२ से ग्रेड दिये जाएंगे।

श्री भैंरूसिंह—उस समय से लेकर अब तक क्यों नहीं दिये गये ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—ए. जी. ने ओबजेक्शन किया था।

श्री भैंरूसिंह—क्या यह सही है कि इससे अध्यापकों को काफी मोनेटरी लोस हुआ ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—उनको १.७.५२ से ग्रेड दिया जावेगा।

श्री भैंरूसिंह—क्या यह सही है कि उनको इन्ट्रेस्ट नहीं मिला, इसका लोस हुआ ?

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ६४५

तहसील तिजारा (अलवर) में ग्राम बिलासपुर में अग्निकांड से जले मकानों से क्षति एवं उन्हें सहायता

श्री घासीराम—क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) तहसील तिजारा (अलवर) में ग्राम बिलासपुर में अप्रेल माह में, आग से कितने मकान जल गये और कितना नुकसान हुआ, कृपया नाम और नुकसान बतावें ?

(२) सरकार द्वारा इन लोगों की सहायता के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

(३) क्या यह सही है कि इस ग्राम के सब कच्चे घर जल गये और घरों का सब सामान व फसल भी जल गई ?

(४) यदि सरकार ने अब तक सहायता नहीं दी है, तो कब तक उनको सहायता मिल जायगी ?

Page No 7

[श्री घासीराम]

(५) नुकसान का कितना परसेन्ट सहायता के रूप में सरकार देती है और इस केस में कितना दे रही है ?

श्री सम्पतराम (उप मन्त्री)—(१) दिनांक १९. ४. ५६ को ग्राम बिलासपुर में आग लग गई जिसमें २७ घर जल गये एवं करीब ११००० रू० का नुकसान हुआ।

(२) सरकार द्वारा १४६५ रू० सहायता के रूप में उन लोगों के लिए मन्जूर हुए हैं जिनकी माली हालत खराब है व जिनको सहायता की आवश्यकता है।

(३) ग्राम में करीब ४५ घर कच्चे हैं जिनमें से २७ को आगजनी से नुकसान हुआ है। २७ घरों का सब सामान मय कपड़ों व अनाज के जल गया है।

(४) सहायता की रकम का बिल पास करके तहसील को भेजा जा चुका है।

(५) सरकार नुकसान का कोई मुआवजा नहीं देती, केवल तत्कालीन राहत के रूप में जो वास्तविक नुकसान का अधिक से अधिक १।६ हिस्सा तक ही दिया जाता है। इस विषय में जितना रुपया मंजूर किया गया है, उसका जिक्र भाग २ के उत्तरमें दिया गया है।

श्री घासीराम—क्या यह रकम कानून और कायदे के माफिक काफी रकम है ?

श्री सम्पतराम—ज्यादा से ज्यादा नुकसान का १।६ हिस्सा दिया जा सकता है, यदि विशेष मांग आवेगी तो सरकार उस पर ध्यान देगी और अधिक से अधिक सहायता करने का प्रयत्न करेगी।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ९५६

झुन्झुनू जिला जल बोर्ड के सदस्य एवं इनकी नामजदगी के आधार

श्री भैंरू सिंह—क्या मन्त्री, स्वायत्त शासन विभाग, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) झुन्झुनू जिला जल बोर्ड में कुल कितने सदस्य हैं व इनकी नामजदगी किस योग्यता के आधार पर की गई है ?

Page No 8

[श्री भैंरू सिंह]

(ख) क्या यह सही है कि उक्त सदस्यों में एक सरकारी प्राईमरी स्कूल का मास्टर भी है ?

(ग) जिला जल बोर्ड में कुल कितने कर्मचारी हैं और उन्हें क्या वेतन दिया जाता है ? कृपया नाम और वेतन की सूची दें।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—(क) १४ सदस्य हैं। सदस्यों की नामजदगी राजस्थान रूरल वाटर सप्लाई बोर्ड ने की है। सदस्यों की नामजदगी विधान सभा के सदस्यों, हरिजनों के प्रतिनिधियों तथा सुयोग्य सोशल वर्कर्स में से की जाती है।

(ख) जी नहीं।

(ग) इस प्रश्न का उत्तर प्रश्न सं० १२२ एम. एल. एम. के उत्तर दिनांक १.५.५६ को दिया जा चुका है।

श्री भैंरू सिंह—क्या जिला वाटर बोर्ड के सदस्यों की नामजदगी सरकार द्वारा की जाती है या जिला वाटर बोर्ड से की जाती है और किस प्रकार का क्राइटेरिया रखा जाता है सदस्यों के चुनाव के लिए ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—सरकार की ओर से कोई नामजदगी नहीं होती।

श्री भैंरूसिंह—क्या सरकार नामजदगी ठीक ढंग से नहीं होने पर हस्ताक्षेप करके उसके लिए विशेष क्वालीफिकेशन प्रस्काइब्ड करेगी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—ऐसी बात आवश्यक नहीं समझी गई।

श्री भैंरू सिंह—क्या सरकार को यह मालूम है कि जिनको सार्वजनिक कार्यकर्ता कहकर नामजद किया गया है वे वास्तव में सार्वजनिक कार्यकर्ता नहीं हैं, लेकिन एक पोलिटिकल पार्टी से सम्बन्धित होने से उनको नामजद किया गया है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—ऐसी बात नजर नहीं आती।

श्री भैंरू सिंह—नजर तो कई दफा आती है, मगर ध्यान नहीं दिया जाता। क्या सरकार ने इस बात की जानकारी करने की कोशिश की है कि झुन्झुनू में जो सदस्य नामजद किये गये हैं वास्तव में उनकी क्वालीफिकेशन, जैसी जल बोर्ड ने प्रस्काइब्ड की है, या नहीं है।

Page No 9

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—उनकी योग्यता प्रस्क्राइब्ड है, सार्वजनिक कार्यकर्त्ता, एम. एल. ए. या हरिजन ।

श्री भैंरूसिंह—सार्वजनिक की डेफिनेशन क्या रखते हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—जो पब्लिक की सेवा करते हैं ।

श्री भैंरूसिंह—झुंझुनू में जो नामज़द किये गये हैं, उनसे भी बहुत ज्यादा सार्वजनिक कार्यकर्त्ता मौजूद हैं, मगर उनको मौका नहीं दिया गया ?

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता—उनको बाहर काम करने का मौका दिया गया है ।

श्री भैंरूसिंह—सार्वजनिक कार्यकर्त्ता को शोर्ट आउट करने के लिए राजस्थान सरकार ने कौनसी उचित नीति अपनाई है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—जो नीति सारे राजस्थान के लिए अपनाई है, वही झुंझुनू के लिए अपनाई है ।

श्री भैंरूसिंह—झुन्झुनू में अलग नीति अपनाई गई है । क्या यह सरकारके ध्यान में है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—झुन्झुनू की 'तीन लोक से मथुरा न्यारी' हो, यह मेरी जानकारी में नहीं है ।

प्रश्न संख्या १५७

कोटपूतली जिला बोर्ड जयपुर की कन्या पाठशाला में छात्रायें

व अध्यापिकायें इत्यादि

श्री चांदमल मेहता—क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(१) कोट पूतली जिला जयपुर की कन्या पाठशाला में छात्राओं की संख्या कितनी है और वहां किस दर्जे तक की शिक्षा दी जाती है ?

(२) उक्त पाठशाला में गत १ मार्च को कितनी अध्यापिकायें कार्य क[illegible] कितने स्थान रिक्त थे?

Page No 10

[श्री चांदमल मेहता]

(३) वहां के हरिजन को कितने समय से वेतन नहीं मिला है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—(१) संख्या १९५ हैं और कक्षा ८ तक की पढ़ाई होती हैं।

(२) पांच अध्यापिकायें कार्य कर रही हैं। कोई स्थान रिक्त नहीं था।

(३) स्वीपर अलाउन्स ५५ से नहीं मिल रहा था देने के आदेश जारी कर दिये हैं अब जल्दी ही व्यवस्था हो जायगी।

श्री धर्मपाल—तनख्वाह इसको कितनी मिलती थी ?

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता—तनख्वाह कितनी मिलती थी, यह सूचना मेरे पास नहीं है। लेकिन जो अलाउन्स गलती से बन्द हो गया था उसको देने की व्यवस्था की जा रही है।

श्री धर्म पाल—क्या गलती ऐसे लोगों के लिये ही हो सकती है या दूसरों के लिये भी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—यह बात नहीं, कई जगह अध्यापकों को कई अर्से से तनख्वाह भी नहीं मिल रही है, ऐसी गलतियां हो जाया करती हैं।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि कोटपूतली की कन्या पाठशाला में १ मार्च को दो अध्यापिकायें ही कार्य कर रही थीं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मैं भाग २ के उत्तर में निवेदन कर चुका हूं कि पांच अध्यापिकायें कार्य कर रही थीं।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि १ मार्च तक माननीय शिक्षा मन्त्री के पास कई आवेदन पत्र इस बात के आये थे कि वहां तीन अध्यापिकाओं का स्थान रिक्त है और दो ही अध्यापिकायें कार्य कर रही हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—ऐसी जानकारी मेरे पास नहीं है।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि आठवीं कक्षा तक पढ़ाने के लिये पांच अध्यापिकायें काफी नहीं हैं ?

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट ।

(घंटी)

प्रश्न संख्या ६५८

म्युनिसिपल बोर्ड धौलपुर के चुनाव एवं वार्डों में इस बार वृद्धि

श्री हंसराज जटिया—क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्न प्रश्नका उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(क) क्या यह सत्य है कि म्युनिसिपल बोर्ड धौलपुर के चुनाव होने जा रहे हैं ? यदि हां, तो कब और क्या वोटर लिस्ट तैयार हो चुकी है ?

(ख) क्या यह सत्य है कि अबकी मर्तबा उपरोक्त स्थान पर चुनाव कुछ और वार्डस बढ़ाकर किये जावेंगे ? यदि हां, तो कितने और वार्ड्स बढ़ाये गये हैं ? पहिले कितने थे और अब और बढ़ाये जाने का क्या कारण है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—(क) जी हां । दिनांक १९।६।५६ को राजस्थान विधान सभा की निर्वाचन सूची के आधार पर ही चुनाव किये जा रहे हैं ।

(ख) जी हां, कुल १६ वार्ड रखे गये हैं । पहिले पांच वार्ड थे । सरकार की साधारण नीति है कि नगरपालिकाओं के चुनाव एक सदस्य निर्वाचन क्षेत्र पद्धति से हों अर्थात् प्रत्येक वार्ड से एक २ सदस्य निर्वाचित हो ।

श्री भैरोंसिंह—क्या सरकार ने यही तरीका राजस्थान की सभी नगरपालिकाओं के संबन्ध में अख्त्यार कर लिया है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—यह तरीका सब के लिये अख्त्यार नहीं किया है, लेकिन कलेक्टर को इस प्रकार की हिदायत है कि वह कनविनियेंटली जैसा भी हो उसके मुताबिक कर सकता है । यह इसलिये कि चुनाव में देरी हो रही थी इसलिये ये अख्त्यारात दिये गये ।

श्री भैरोंसिंह—सरकार की इस संबन्ध में निश्चित नीति क्या है ? सिंगल वार्ड से इलेक्शन करवाना चाहती है या मल्टीपल वार्ड से ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—आइन्दा तो जो नया एक्ट बना है उसके अनुसार रूल्स बनाये जायेंगे, उसके मुताबिक होंगे ।

श्री भैरोंसिंह—इस एक्ट के लागू होने से पहले सरकार कौनसा तरीका अख्त्यार करना चाहती है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—कलेक्टरों को इस प्रकार की हिदायतें हैं कि जिस प्रकार भी उनको सहूलियतें हो वार्ड बनालें। कई जगह यह भी हुआ है कि सिंगल वार्ड से चुनाव हुए हैं और कई जगह पुराने वार्ड्स के आधार पर भी चुनाव करवा दिये हैं।

श्री भैरोंसिंह—क्या सरकार सिंगल वार्ड्स द्वारा इस अंतरिक समय में चुनाव करवाने के लिये आदेश क्यों नहीं जारी कर देती ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—हर कलेक्टर को यह अख्त्यार है कि वह सुविधा के लिये सिंगल वार्ड बना सकता है। इसमें भी कई लोगों को एतराज है, वे कहते हैं कि जिस प्रकार से पहले वार्ड्स थे वैसे ही रहने दिये जायं। अब तो नियम बन चुके हैं, उसीके अनुसार कार्यवाही होगी।

प्रश्न संख्या ६५६

सोजत के होस्पिटल के डाक्टर एवं उनके विरुद्ध आरोप

श्री चांदमल मेहता—क्या स्वास्थ्य मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—(१) सोजत, जिला पालीके होस्पिटल में कुल कितने डाक्टर हैं ?

(२) किस २ डाक्टर के खिलाफ, कब २ सरकार के पास शिकायतें आईं और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—(१) एक।

(२) डा० किशनसिंह देवड़ा के विरुद्ध अब तक तीन शिकायतें आई हैं उनमें दो तो जांच के बाद निराधार सिद्ध हुई तथा तीसरी जांच के लिये भेजी गई है, उसकी रिपोर्ट आने पर आवश्यकता प्रतीत हुई तो कार्यवाही की जावेगी।

श्री चांदमल मेहता—तीसरी शिकायत कब आई और कब जांच के लिये भेजी गई ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—तीसरी शिकायत ३०.२.५६ को आयी और १.३.५६ को जांच के लिये भेजी गई।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि पहली जो दो शिकायतें आईं उनकी जो जांच की गई, उसमें शिकायत करने वालों की बात को नहीं सुना गया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—ऐसी बात मेरी जानकारी में नहीं है। पहली जो दो शिकायतें आयीं थीं उनकी जांच डी० एम० एच० ओ. पाली ने की थी और वे शिकायतें निराधार साबित हुई।

श्री चांदमल मेहता—पहली दो शिकायतों की जांच के लिये किस अधिकारी को डेप्यूट किया गया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मैंने निवेदन किया डी० एस० एम० ओ० पाली ने जांच की। पहली शिकायत २४.११.५५ को आई थी वह डी. एम. एच. ओ. पाली ने जांच की और उसे निरधार बताया। इसी प्रकार दूसरी शिकायत को भी निराधार बताया।

श्री चांदमल मेहता—किस किस तारीख को इन पहली दो शिकायतों की जांच की गई ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूँ कि पहली शिकायत के बारे में २४.११.५५ को लोकवाणी में प्रकाशित हुआ था, उसी खबर के आधार पर जाँच करवायी गई थी।

दूसरी शिकायत २.६.५५ को सोजत निवासियों ने की थी· उसकी भी जाच कराई गई और वह भी निराधार साबित हुई।

श्री चांदमल मेहता—जांच के वक्त शिकायत कुनिन्दा को सुनने का मौका दिया गया या नहीं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—यह तो मुश्किल है जो अखबार में प्रकाशित हुआ उसके आधार पर जांच करवाई गई और दूसरी सोजत के निवासियों की ओर से शिकायत थी, इसमें किनको बुलाया जाय, यह कैसे तय किया जाय ?

प्रश्न संख्या ८६०

जनवरी, १९५५ के पश्चात् केरीक्यूलम से निकाली गई तथा जोड़ी गई पुस्तकें एवं नई पुस्तकों के मूल्य के आधार

श्री चांदमल मेहता—क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) १ जनवरी, १९५५ के बाद कौन कौन सी पुस्तकें पिछले केरीक्यूलम से निकाल दी गई और कौन कौन सी नयी पुस्तकें केरीक्यूलम में रखी गई हैं ?

[श्री चांदमल मेहता]

(२) उक्त पुस्तकों के लेखक कौन कौन हैं ?

(३) उक्त पुस्तकों में किस किस में कितने कितने पेज़ हैं और उनका क्या क्या मूल्य रखा गया है ?

(४) मूल्य निर्धारण किस आधार पर किया गया है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—(१) कोई परिवर्तन नहीं किया गया।

(२) प्रश्न नहीं उठता।

(३) प्रश्न नहीं उठता।

(४) प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न संख्या ६६१

सलूम्बर डिस्पेन्सरी के लिये वर्तमान वर्ष में भवन व्यवस्था करने सम्बंधी

श्री सोहनलाल—क्या स्वास्थ्य मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(१) क्या सलूम्बर डिस्पेन्सरी के लिये कोई सरकारी भवन है ? यदि नहीं, तो डिस्पेन्सरी किस के भवन में है और क्या वह डिस्पेन्सरी के रखने काबिल है ?

(२) उक्त डिस्पेन्सरी में इन्डोर पेशेन्ट्स के लिये कितने पलंग हैं ?

(३) क्या इनडोर पेशेन्ट रखने के लिये मौजूदा भवन में पर्याप्त स्थान हैं ?

(४) क्या सरकार सलूम्बर डिस्पेन्सरी के लिये भवन बनाने की सोच रही है। यदि हां, तो क्या चालू वित्तीय वर्ष में उक्त भवन का निर्माण करा दिया जावेगा ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—(१) सलूम्बर डिस्पेन्सरी ठिकाने के भवन में है परन्तु अभी यह निश्चय नहीं हो पाया है कि यह भवन जागीर पुनर्ग्रहण एक्ट के अनुसार सरकारी गिना जाय या जागीर का। इस सम्बन्ध में स्थानीय जिलाधीश से लिखा पढ़ी की जा रही है कि स्थान डिस्पेन्सरी रखने के काबिल है या नहीं।

Page No 15

[श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता]

(२) रोग शैयाओं का प्रबन्ध है।

(३) जी हां।

(४) नये स्कूल भवन के निर्माण हो जाने के फलस्वरूप अब डिस्पेन्सरी को पूर्व स्कूल भवन में स्थानान्तर करने के संबन्ध में स्थानीय जिलाधीश के साथ लिखा पढ़ी हो रही है, ऐसी स्थिति में नये भवन के निर्माण का कोई प्रश्न नहीं उठता।

श्री सोहनलाल भटनागर—स्कूल भवन जो है वह सरकार का है या किराये का?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—यह तो आपको मालूम होगा।

श्री सोहनलाल भटनागर—किराये पर है, लेकिन सरकार के बनाने का सवाल था।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—बनने में तो देर है, उसको किराये पर सरकार ले लेगी।

श्री सोहनलाल भटनागर—सरकार डिस्पेन्सरी के लिये, भवन कब तक बनाने जा रही है?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—जब द्रव्य प्राप्त होगा।

श्री सोहनलाल भटनागर—जब कि डाक बंगलों के लिये, पुलिस स्टेशन के लिये रुपया मिल सकता है तो डिस्पेन्सरी के लिये द्रव्य प्राप्त क्यों नहीं होता?

अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ६६२

ग्राम बघोली त० परबतसर में लगान के अतिरिक्त, वर्तमान वर्ष में वसूल की जानेवाली लागें

श्री चांदमल मेहता—क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(१) ग्राम बघोली तहसील परबतसर में लगान के अलावा चालू वर्ष में क्या क्या लागें वसूल की गई हैं?

[श्री चांदमल मेहता]

(२) उक्त लागें किस हिसाब से वसूल की जाती हैं ?

(३) ग्राम बघोली को पुनर्ग्रहण करने के बाद सरकार द्वारा क्या क्या नई लागें लगाई गई हैं ?

(४) ऐसे कितने किसान हैं जिनसे लगान के अलावा लागें वसूल नहीं हुई हैं ?

श्री सम्पतराम—(१) ग्राम बघोली तहसील परबतसर में चालू वर्ष में लगान के अतिरिक्त मलबा, खरड़ा एवं घासमारी पुराने अमल के अनुसार कुछ किसानों से वसूल किये गये। बाद में खरडा एवं घासमारी की वसूली सरकारी आज्ञा से रोक दी गई।

(२) लगान मलबा एक रुपये पर ६ पाई के हिसाब से वसूल होता है।

(३) कोई नहीं।

(४) अब तक ४४।

श्री चांदमल मेहता—अब रोक दिया गया सो तो ठीक लेकिन अब तक किस कायदे से वसूल किया जाता था ?

श्री सम्पतराम—जोधपुर रियासत में इस प्रकार का कानून था, उस कानून के मुताबिक वसूल किया गया।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि पुराने कानून के माफिक जागीर पुनर्ग्रहण करने से पहले जोधपुर के वक्त में यह लाग वसूल नहीं की जाती थी ?

श्री सम्पतराम—मेरे खयाल में ऐसी बात नहीं है। अगर आप कोई स्पेसिफिक इनफोर्मेशन दें तो जांच की जा सकती है।

श्री किशनलाल शाह—क्या यह सही है कि जोधपुर रियासत के समय ये लागें खालसा इलाके में ही लगती थीं अब जागीरी एरिया में भी किसानों से लागें वसूल की जा रही हैं ?

श्री सम्पतराम—इस प्रकार के आदेश जारी कर दिये गये हैं कि कोई लाग बाग वसूल नहीं की जा सकती।

श्री किशनलाल शाह—यह आज्ञा कब जारी की गई ?

श्री सम्पतराम—निश्चित तारीख तो मुझे याद नहीं है लेकिन आज्ञा जारी हो चुकी है।

श्री किशनलाल शाह—क्या यह सही है कि कल तक इन लाग बागों के लिए मजबूर किया जा रहा है ?

श्री सम्पतराम—यह तो आप सूचना दे रहे हैं। आज्ञा तो सब जगह भेज दी गई है अगर कोई इस प्रकार से एक्स्प्लोइटेशन करता है तो उसकी जांच होगी और उसके खिलाफ कार्यवाही की जायगी।

श्री किशनलाल शाह—क्या आप लगान जो वसूल किया गया है, उसको वापिस देने के लिये तैयार हैं ?

श्री सम्पतराम—अगर वापिस करने लायक होगा कायदे कानून के मुताबिक तो कर दिया जायगा।

श्री किशनलाल शाह—कायदे कानून के मुताबिक का अर्थ क्या है ?

श्री अध्यक्ष—अर्थ तो वही होता है जो होना चाहिये।

श्री किशनलाल शाह—टेक्नीकल डिफिकल्टी क्या आती है रिटर्न के बारे में ?

श्री अध्यक्ष—How can it be readily replied, whether the amount is refundable or not ?

श्री किशनलाल शाह—लीगेलिटी और इलिगेलिटी पर प्रश्न तय नहीं किया जा सकता।

प्रश्न संख्या ६६३

श्री अध्यक्ष—श्री धूलजी भाई।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ६६४

पंचायत बदनोर जि० भीलवाड़ा के चुनाव में अनियमितताओं इत्यादि हेतु जांच

श्री जयसिंह—क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

[श्री जयसिंह]

(१) क्या पंचायत बदनोर जिला भीलवाड़ा के चुनाव दिनांक २५-३-५६ को सम्पन्न हुए ?

(२) क्या यह सही है कि इस चुनाव में तहसील पंचायत के मतदाताओं को निष्पक्ष मतदान से वंचित रहना पड़ा ?

(३) क्या यह भी सही है कि इस चुनाव की तारीख का नोटिस २६-३-५६ के लिए निकाला गया था, किन्तु चुनाव २५-३-५६ को ही करा लिये गये ?

(४) क्या सरकार उक्त अनियमितताओं और नोटिस की प्रमाणिकता की जांच कराने के लिए प्रस्तुत हैं ?

(५) यदि हां, तो क्या सरकार तब तक के लिये इस चुनाव को स्थगित रखने का आदेश प्रदान करेगी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—(१) जी हां।

(२) जी नहीं।

(३) केवल एक वार्ड नं० ५ का नोटिस गल्ती से २६-३-५६ का निकल गया था परन्तु २५-३-५६ को उस वार्ड में भी मतदाता मौजूद थे।

(४) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(५) जी नहीं। यदि कोई अनियमितता हुई है तो उसके लिए चुनाव-याचिका देनी होती है।

प्रश्न संख्या ६६५

कलेक्टर, जयपुर द्वारा रूपनगर तहसील में बारानी जमीन का लगान पूर्व वर्षों से अधिक वसूल करने के आदेश

श्री चांदमल मेहता— क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

[श्री चांदमल मेहता]

(क) क्या यह सही है कि कलेक्टर जयपुर ने रूपनगर तहसील में बारानी जमीन का लगान गत साल के मुकाबिले में इस वर्ष अधिक वसूल करने के आदेश दिये हैं ?

(ख) यदि हां, तो उक्त आदेश के माफिक पिछले वर्ष के लगान और इस वर्ष के लगान में कितना फर्क पड़ता है ?

(ग) क्या कलेक्टर की इस कार्यवाही के खिलाफ जांच करने के लिये किसी अधिकारी की नियुक्ति की गई हैं ?

(घ) यदि हां, तो किस अधिकारी की नियुक्ति की गई और कब तथा उसके द्वारा जांच कब की गई और उसका क्या परिणाम रहा ?

श्री सम्पतराम (उप मन्त्री)—(क) जी नहीं। केवल गत वर्ष सवाया लगान वसूल करने के आदेश बन्दोबस्त की रिपोर्ट के आधार पर और भूतपर्व रियासत किशनगढ़ के पुराने अमल के मुताबिक किया प्रतीत होता है।

(ख) करीब २० या २५ प्रतिशत।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि सन् ५५-५६ के वित्तीय वर्ष में बारानी जमीन का लगान तिगुना वसूल करने आर्डर कलेक्टर, जयपुर ने दिया था ?

श्री सम्पतराम—unoccupiedlands पर इसी प्रकार से लगान वसल होता था हो सकता है, उसी आधार पर जिलाधीश जयपुर ने आज्ञा जारी करदी हो।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि इस तरह का ऑर्डर जारी करने के सम्बन्ध में, जांच कराने के बारे में, इसी सदन में मन्त्री महोदय ने आश्वासन दिया था और वह जांच अभी तक नहीं हुई है ?

श्री सम्पतराम—इसके बारे में जांच की जा रही है। अभी कलेक्टर की मुकम्मिल रिपोर्ट नही आई है।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही हैं कि कलेक्टर के इसी आर्डर के खिलाफ तो

[श्रीचांदमल मेहता]

जांच कराने का मन्त्री महोदय ने आश्वासन दिया था और इस सम्बन्ध में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है ?

श्री सम्पतराम—यह मतलब नहीं है। इसमें एस. डी. ओ. तथा अन्य कर्मचारियों की गलती हो सकती है, आप कैसे मानकर चलते हैं कि कलेक्टर की ही गलती है ?

श्री चांदमल मेहता—किस अधिकारी को इसकी जांच के लिये मुकर्रर किया गया।

श्री अध्यक्ष--यह उत्तर तो प्रश्न के खंड (ग) में आ गया है। इसका उत्तर दे दिया न ?

श्री चांदमल मेहता—नहीं साहब, मैंने यह पूछा है किस को मुकर्रर किया है ?

श्री अध्यक्ष--अब बता दें।

श्री चांदमल मेहता—ये कहते हैं कि कलेक्टर से जवाब नहीं आया। पर इस विधान सभा में मन्त्री महोदयने आश्वासन दिया था कि कलेक्टर के ऐसे हुक्म की जांच की जावेगी। तो अब मैं यह जानना चाहता हूं कि कलेक्टर के खिलाफ जांच करने को क्या कार्यवाही की जा रही हैं और वह कार्यवाही हुई या नहीं ?

श्री सम्पतराम—आपने पूछा मौजूदा साल के बारे में और आप पिछले आश्वासन का जिक्र कर रहे हैं तो यह आपको एक कन्फ्यूजन हो रहा है। पिछले साल की बात देखने में आई थी। इस साल इस प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं हुई तो यह कलक्टर की रिपोर्ट आई है। अब पिछले साल के बारे में जांच की जा रही है। उस पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

श्री चांदमल मेहता—यही तो जनाना मैं चाहता हूं कि ५५।५६ के वितीय वर्ष के बारे में शिकायत की गई और इसके बारे में ही विधान सभा में जांच करने का आश्वासन मन्त्री महोदय द्वारा दिया गया था कि जांच करने के लिए हम अफसर को मुकर्रर रहे हैं अब मैं यही जानना चाहता हूं कि आपने किस अफसर को इस जांच के करने के लिये मुकर्रर किया और इस मामले में क्या प्रगति हुई हैं ?

श्री सम्पतराम—सर्व प्रथम कलेक्टर को लिखा गया कि इस प्रकार की कार्यवाही हुई या नहीं, इसका जवाब दें तो इसका जवाब अभी नहीं आया।

श्री चांदमल मेहता--क्या यह सही है कि कलेक्टर के खिलाफ जो शिकायत की गई

[श्री चांदमल मेहता]

उसमें कलेक्टर के खिलाफ किसी अन्य अधिकारी को जांच करने के लिये नियुक्त करने का आश्वासन दिया गया था और उसकी तामील अभी नहीं हुई ?

श्री सम्पतराम—आश्वासन देने का सवाल नहीं है। जो कलेक्टर ने किया वह निराधार है या क्या है, इसके बारे में पहले कलेक्टर को पूछा गया है। अब उनका जवाब आने पर आगे आवश्यकता पड़ने पर मुनासिब कार्यवाही की जावेगी ?

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि यह भी आश्वासन दिया गया था कि इस सम्बन्ध में वहां के स्थानीय एम. एल. ए. की मौजूदगी में इसकी जांच की जावेगी ?

श्री सम्पतराम—वह तो जांच शुरू होगी तब देखा जायगा। उसका प्रश्न अभी नहीं है। अभी तो हम ने कलेक्टर को यह पूछा है कि इस प्रकार की कार्यवाही हुई या नहीं इसका आप जवाब दें।

यह मुकम्मिल रिपोर्ट जब आजावेगी और उस पर इस बात की आवश्यकता महसूस की जावेगी कि जांच कराना जरुरी है तो जांच कराई जावेगी।

श्री चांदमल मेहता—इस मुकम्मिल रिपोर्ट के आने के लिये कोई समय निर्धारित किया गया है ?

श्री अध्यक्ष—श्री रिद्धिचन्द।

प्रश्न संख्या ६६६

इस वर्ष के राजस्थान में खोले गये विकास खण्ड एवं गंगापुर सब डिवीजन में भी खोलने सम्बन्धी

श्री रिद्धिचन्द पालीवाल—क्या मुख्य मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(क) इस साल राजस्थान में कितने विकास खण्ड और कब तक कहां कहां खोले जा रहे हैं ?

(ख) क्या गंगापुर सब डिवीजन व तहसील में भी कोई खण्ड खोला जावेगा ?

श्री ब्रजसुन्दर शर्मा—इस साल राजस्थान में २३ विकास खंड खोले जावेंगे, अप्रेल '५६ से जो निम्न स्थानों में खोले जावेंगे:

[श्री ब्रजसुन्दर शर्मा]

अप्रेल, ५६ से (१०)

	जिला	विकास खंड
१	नागौर	लाडनू
२	चूरू	सरदारशहर
३	उदयपुर	खमनौर
४	चित्तौड़गढ़	कपासन
५	डूंगरपुर	आसपुर
६	झुंझुनूं	उदयपुरवाटी
७	अलवर	तिजारा
८	टोंक	टोंक
९	जालौर	सांचोर
१०	जयपुर	बांदीकुई
		अक्टूबर, ५६ से (१३)
११	भरतपुर	राजाखेडा
१२	जयपुर	किशनगढ़
१३	सवाई माधोपुर	गंगापुर
१४	सीकर	लक्ष्मणगढ़
१५.	बाड़मेर	शिव
१६.	जोधपुर	ओसियान
१७.	पाली	खारची
१८.	बूंदी	हिंडौली
१९.	झालावाड़	खानपुर
२०.	बांसवाड़ा	बागीडोरा
२१.	उदयपुर	दरियावट
२२.	भीलवाड़ा	मांडल
२३.	गंगानगर	हनुमानगढ़

Page No 23

[श्री बृजसुन्दर शर्मा]

(ग) गंगापुर तहसील का नाम अक्टूबर, ५६ से खोले जाने वाले विकास खन्डों में है।

श्री अध्यक्ष—श्री जयसिंह।

प्रश्न संख्या ९६७

सब तहसील बदनौर (जिला भीलवाड़ा) के हैड अस्पताल में डाक्टर के रिक्त स्थान की पूर्ति

श्री जयसिंह—क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) उप-तहसील बदनौर जिला भीलवाड़ा के हैडक्वार्टर पर अस्पताल में कोई डाक्टर है या नहीं ? यदि नहीं, तो कितने अर्से से वह स्थान रिक्त है और डाक्टर के अभाव में रोगियों की देखभाल व चिकित्सा का क्या प्रबन्ध है ?

(ख) क्या शीघ्र ही सरकार इस बारे में कोई ठोस व्यवस्था कर रही है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वास्थ्य मन्त्री)—(क) माह अगस्त, सन् १९५५ से स्थाई डाक्टर की नियुक्ति नहीं हुई है। यद्यपि रिजर्व डाक्टर वहां भेजा गया था, वह भी दो माह से वहां नहीं है, डाक्टर की अनुपस्थिति में कम्पाउन्डर ही बीमारों को दवा देता रहा है। पास ही आसीन्द की डिस्पेन्सरी में बदनौर के डाक्टर के बीमारों को भी देखता रहता है।

(ख) इतने अर्से तक डाक्टरों की बहुत कमी रहने के कारण कोई डाक्टर नहीं भेजा जा सका। अब डाक्टर उपलब्ध होने पर शीघ्र ही भेजा जावेगा।

श्री जयसिंह—यह आसीन्द का डाक्टर कितने बार महीने में जाता है बदनौर ?

श्री बद्रीप्रसाद—ऐसा नहीं है। आवश्यकता पड़ने पर चला जाता है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ९६८

प्राइमरी स्कूल नम्बर १ गंगापुर सिटी को मिडिल स्कूल बनाने सन्बन्धी शासकीय योजना

श्री रिद्धिचन्द पालीवाल—क्या मुख्य मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

[श्री रिद्धीचन्दपालीवाल]

क्या प्राइमरी स्कूल नम्बर १ गंगापुर सिटी को मिडिल स्कूल बनाने की कोई योजना थी ? यदि हां, तो क्या वह इस वर्ष पूरी की जा रही है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—अभी इस पर कोई निश्चय नहीं किया गया।

प्रश्न संख्या ६६६

श्री अध्यक्ष—गुलाबचन्द कासलीवाल

(अनुपस्थित—कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

प्रश्न संख्या ६७०

कस्बा बाड़ी (धौलपुर) में कन्या पाठशाला में पांचवीं से ८ वीं कक्षा तक की वृद्धि

श्री हंसराज जटिया—क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या कस्बा बाड़ी धौलपुर सब डिविजन में कन्या पाठशाला पांचवीं कक्षा तक है और इसमें २०० छात्राएं पढ़ती हैं ?

(ख) क्या सरकार उपरोक्त पाठशाला को पांचवीं कक्षा से आठवीं कक्षा तक बढ़ाने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(ग) क्या यह सत्य है कि उपरोक्त पाठशाला भवन बहुत छोटा है, जिसके कारण छात्राएं ठीक तौर से नहीं बैठ सकती हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार पाठशाला भवन तैयार कराने का प्रयत्न करेगी ?

श्री बद्रीप्रसाद—(क) जी हां, छात्राओं की संख्या १३० है।

(ख) यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

(ग) जी हां, जनता द्वारा आश्वासन दिया गया है कि शीघ्र ही वह भवन का प्रबन्ध कर देगी।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट

Page No 25

प्रश्न संख्या ६७१

समाज कल्याण विभाग की ओर से नगरपालिकाओं को हरिजनों के भावनादि हेतु ५० प्रतिशत सहायता, विशेषतया भरतपुर नगरपालिका को

श्री तेजपाल—क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(क) क्या समाज कल्याण विभाग की ओर से नगरपालिकाओं को हरिजनों के मकानादि के निर्माण के लिये ५० प्रतिशत रुपये की सहायता दी जाती है ?

(ख) सन् १९५३ से ५५ तक भरतपुर नगरपालिका को कितना रुपया दिया गया अ? नहीं, तो क्यों ?

(ग) आगे इस ५० प्रतिशत रुपये को नगरपालिका द्वारा हरिजनों को दिये जाने के लिये सरकार क्या विचार रखती है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—(क) जी नहीं। हरिजन बस्तियों में पानी तथा बिजली क सहूलियत के लिये कुछ धन राशि समाज कल्याण विभाग की ओर से स्वीकृत की गई है।

(ख) कुछ नहीं। नगरपालिका भरतपुर ने १०,००० रुपये की सहायता के लिये दिनांक ५। १२। ५५ को प्रस्ताव पास किया, किन्तु विस्तृत योजना न भेजने के कारण नगरपालिका को उक्त कार्य के लिये कोई द्रव्य स्वीकृत नहीं हो पाया।

(ग) नगरपालिका अपने प्रस्ताव भेज रही है; इस पर विचार किया जावेगा।

प्रश्न संख्या ६७२

भांखरा से सींची गई आरजी काश्त भूमियों का नियतन एवं इस हेतु समिति की स्थापना

श्री मन फूल सिंह—क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) भांखरा से सींची गई आरजी काश्त जमीनों का अलॉटमेन्ट अभी तक क्यों नहीं हुआ और क्या इन जमीनों को अलाट करने के लिये कोई अलाटमेन्ट कमेटी भी बनाई गई है ? यदि हां, तो हनुमानगढ़, सूरतगढ़ गंगानगर, नोहर तथा भादरा आदि तहसीलों में भांखरा की जमीनों को बांटने में किस किस को इस कमेटी का सदस्य बनाया गया है ?

(ख) क्या यह सरकार के ध्यान में है कि मौरूसी जमीनों का आज तक कान्सोलिडेशन नहीं हुआ है ?

[श्री फूल सिंह]

(ग) क्या यह भी सरकार के ध्यान में है कि एलाटमेन्ट से पहले कन्सोलिडेशन होना जरूरी है ? यदि हां, तो क्या अब सरकार कन्सोलिडेशन का काम शीघ्र ही समाप्त करने का प्रबन्ध करेगी ?

श्री सम्पतराम – (क) भाखरा प्रोजेक्ट में भूमि अलॉट करने के नियम १५। १२। ५४ को सरकार द्वारा स्वीकृत किये गये और २४। १२। ५४ के राजपत्र में प्रकाशित किये गये थे। किन्तु इनमें कुछ संशोधन करना आवश्यक हो रहा है और इसको कार्यवाही जारी है, अतः अभी तक जमीनों का अलॉटमेन्ट नहीं हुआ। इसके लिये कमेटी बनाई गई। इसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

(ख) जी हां।

(ग) जी नहीं। यह सर्वत्र आवश्यक नहीं है। यह सरकार के ध्यान में है और कन्सोलिडेशन का कार्य प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में शीघ्र कार्यवाही की जा रही है।

श्री हंसराज —क्या बरसात से पहले लागू हो जावेगा ?

श्री सम्पतराम— ऐसा ही प्रयत्न किया जावेगा।

श्री हंसराज—बरसात नजदीक आ रही है और कुछ काम दिखाई नहीं दे रहा है।

श्री सम्पतराम—अलॉटमेन्ट जल्दी होगा। आप लोग यहां से निपट कर जावें तो जल्दी काम कर सकेंगे।

प्रश्न संख्या ९७३

संस्कृत पाठशाला कस्बा बाड़ी (धौलपुर) सन् २६ से स्थापित एवं उसे शासकीय सहायता

श्री हंसराज जटिया—क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या संस्कृत पाठशाला कस्बा बाडी, धौलपुर सब डिवजन में सन् २६ में स्थापित हुई थी और जनता के चन्दे से अब तक चल रही है ?

[श्री हंसराज जटिया]

(ख) क्या उपरोक्त पाठशाला बनारस संस्कृत कॉलेज से सम्बन्धित है और इसमें मध्यमा व्याकरण तक पढ़ाई होती है ?

(ग) क्या बसेडी व सरमथरा, धौलपुर सब डिविजन में पारसाल दो नवीन संस्कृत पाठशालाएं सरकार की तरफ से खोली गई हैं ? यदि हां, तो इन दोनों पाठशालाओं को चलाने के लिये सरकार की तरफ से क्या क्या सहायता मिलती है ?

(घ) संस्कृत पाठशाला बाड़ी को सरकार से क्या सहायता मिलती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(ङ) बाडी, बसेडी, सरमथरा स्थित हर एक पाठशाला में कितने कितने छात्र हैं और आबादी के विचार से स्थान बड़ा है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—(क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) जी हां, यह राजकीय पाठशाला है।

(घ) कुछ नहीं, क्योंकि पाठशाला के संचालकों ने प्रार्थनापत्र पेश नहीं किया।

(ङ.) बाड़ी ३, बसेड़ी ३७, और सरमथरा ६१ पाठशालाएं हैं। बाड़ी सबसे ज्यादा आबादी है।

श्री हंसराज जटिया—ज्यादा आबादी है तो वहां पर सहायता क्यों नहीं दी जाती ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मैंने निवेदन किया कि संचालकों ने प्रार्थनापत्र पेश नहीं किये जबकि नियम के अनुसार फार्म भर कर भेजना चाहिये, इसलिये यह है।

श्री हंसराज जटिया— क्या प्रार्थनापत्र पेश करने पर दे देंगे ?

अध्यक्ष— नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १७४

सन् ५२ में खेराबाद ग्राम पंचायत (जि० कोटा) के सरपंच के विरुद्ध गबन की शिकायत

श्री भैरवलाल कालाबादल—क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

[श्री भैरवलाल कालाबादल]

(१) सन् ५२ में खैराबाद ग्राम पंचायत जिला कोटा के सरपंच कौन थे ?

(२) क्या इस सरपंच ने पंचायत कोष में से २०८ रुपये की रकम का गबन किया था ?

(३) यदि हां, तो क्या उसकी वसूली हो गई है ? यदि हां, तो कब ?

(४) यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मंत्री)—(१) सरपंच श्री इन्द्रदत्त स्वाधीन थे किंतु उनके बाहर चले जाने के कारण श्री काशीराम सरपंच पद पर काम कर रहे हैं।

(२) जी नहीं।

(३) और (४) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

प्रश्न संख्या ६७५

राजकीय प्रवास भवन स्थित इन्क्वायरी आफिस में रखे हुए कम्प्लेन्ट रजिस्टर में लिखी शिकायतों की जांच

श्री प्रभुदयाल—क्या मुख्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि राजकीय प्रवास भवन स्थित इंक्वायरी आफिस में एक कम्प्लेन्ट रजिस्टर रखा हुआ है ?

(ख) क्या उसमें लिखी गई शिकायतों पर कोई कार्यवाही भी की जाती है ?

(ग) यदि हां, तो गत वर्ष उसमें लिखी गई किस शिकायत पर क्या क्या कार्यवाही की गई ?

श्री खेतसिंह (उपमंत्री)—(क) जी हां।

(ख) राजकीय प्रवास भवन के इन्क्वायरी आफिस में कम्प्लेन्ट रजिस्टर रखा हुआ है और उनकी सम्मति से अधिकारियों को सूचित किया जाकर उचित कार्यवाही की जाती है।

(ग) गत वर्ष में १८ शिकायतें कम्प्लेन्ट रजिस्टर में दर्ज हुई हैं। उनमें से ८ शिकायतें तो केन्टीन के सम्बन्ध में थीं जिसकी सूचना हाउस कमेटी को उचित कार्यवाही के लिए भेज दी गई है। अन्य शिकायतों पर जो वास्तव में सजेशन के रूप में थीं उचित कार्यवाही कर दी गई है।

श्री प्रभुदयाल—शिकायतें किन किन ने की हैं ?

(घंटी)

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट ।

श्री धर्मपाल पंवार—क्या कोई ऐसी भी शिकायत थी कि सब कमरों में एक जैसा फर्नीचर नहीं है, किसी में अच्छा है और किसी में खराब ?

श्री प्रभुदयाल—क्या रामचंद्र ने कोई शिकायत की है ?

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या ९७६

श्री शम्भुदयाल कम्पाउन्डर के शीघ्र कई स्थानान्तरण के कारण

श्री अंगदराम शास्त्री—क्या स्वास्थ्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) शम्भूदयाल कम्पाउन्डर, बयाना का जुलाई, सन् १९५४ से जनवरी, सन् ५६ तक कितने बार तबादला हुआ ?

(ख) क्या यह तबादले इनकी किसी शिकायत पर हुए हैं ?

(ग) यदि नहीं, तो इतने ज्यादा तबादले होने का क्या कारण है ?

(घ) क्या यह सही है कि दिनांक २३–१०–५४ को भुसावर से रूपवास तबादला हुआ और ११ रोज के अन्दर दि० ३–११–५४ को फिर किशनगढ़ का तबादला हुआ, इसकी क्या वजह है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मंत्री)—(क) ६ दफा ।

(ख) एक बार शिकायत पर हुआ था ।

(ग) प्रशासनिक कारणों से ।

(घ) जी हां । वह आराजी तौर पर भुसावर तीसरी श्रेणी के कम्पाउन्डर पद पर भेजे गये और वहां फिर दूसरा आदमी आजाने पर इनको वापिस चौथी श्रेणी के कम्पाउन्डर के पद पर जहां जगह खाली थी वहां भेज दिया गया ।

प्रश्न संख्या ६७७

बसी (जयपुर) के ग्राम पंचायत के चुनाव स्थगित करने के आधार

श्री नारायण चतुर्वेदी—क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या जयपुर जिले के बसी ग्राम पंचायत के चुनाव की तिथि ९ अप्रेल निश्चित की गई थी ? यदि हां, तो उपरोक्त दिन यह चुनाव क्यों नहीं हुआ ?

(२) उक्त ग्राम पंचायत का चुनाव पहले किस तारीख को शुरू हुआ था और कितना चुनाव सम्पन्न हो चुका था ?

(३) पहले चुनाव स्थगित करने का क्या कारण था ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मंत्री)—(१) जी हां। इन्सपेक्टर तथा तहसीलदार की भूल से गलत वार्डों की सूचि देने से।

(२) पहले का चुनाव तारीख २२–२-५५ को हुआ और केवल वार्ड नं० १ व २ का चुनाव हो चुका था।

(३) लोगों के वार्डों के सम्बन्ध में एतराज करने से चुनाव स्थगित हुआ। अब चुनाव करवाने के आदेश दे दिये गये हैं।

श्री नारायण चतुर्वेदी—कितने वार्डों के चुनाव अभी तक हो चुके हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—दो का पहले हुआ था और बाकी के लिए आदेश दे दिये गये हैं।

श्री नारायण चतुर्वेदी—दो वार्डों का चुनाव होने के बाद में क्या वार्ड बदले गये हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—वार्डों के सम्बन्ध में शिकायत थी।

श्री नारायण चतुर्वेदी—आधा चुनाव होने के बाद में बाकी के आधे वार्ड को क्या बदल दिया गया है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—बदलने का प्रस्ताव था। अब मुझे तहकीक मालूम नहीं है कि वे बदले गये हैं या वैसे ही रखे गये हैं। वार्डों को ठीक करके चुनाव करवाने का आदेश दे दिया है।

श्री नारायण चतुर्वेदी—वार्ड बदले गये हैं आधा चुनाव होने के बाद ?

Page No 31

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता-आयन्दा होने की बात है या पहले की ?

श्री नारायण चतुर्वेदी-पंचायत के आधे चुनाव हो चुके थे और आधे के लिए वार्ड बदले गये हैं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता-मैंने ऐसा नहीं कहा कि वार्ड बदले जा रहे हैं। ऐसी कोई तहकीक जानकारी मेरे पास नहीं है कि वार्ड बदले गये हैं या वैसे ही रखे गये हैं, लेकिन यह आदेश दे दिये गये हैं।

श्री नारायण चतुर्वेदी-जो आदेश दिये गये हैं वे किन वार्डों के आधार पर दिये गये हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता-मैंने निवेदन किया है कि इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है कि वार्ड बदले गये हैं या वैसे ही रखे गये हैं। मेरे खयाल से वार्ड वैसे ही रखे गये हैं।

श्री नारायण चतुर्वेदी-क्या यह सही है कि वार्ड बदले गए हैं और यह आदेश दिए गए हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता-इस सम्बन्ध में शिकायत जरूर थी। लोग-बागों को एतराज था कि बाकी के वार्ड गलत बनाए गए हैं। मैंने निवेदन किया है कि मुझे तहकीक यह नहीं है। इस समय मेरे पास जानकारी नहीं है कि वार्ड बदले गए हैं या नहीं। दुबारा देखूंगा।

श्री नारायण चतुर्वेदी-क्या यह सही है कि वार्ड बदल दिए हैं और चुनाव बदले हुए वार्डों के आधार पर होने जा रहा है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता- इसकी मुझे जानकारी नहीं है।

श्री नारायण चतुर्वेदी—क्या यह सही है कि इस सम्बन्ध में मेरे जानकारी दे देने के बाद भी कोई रिप्लाई नहीं मिला ?

श्री अध्यक्ष—नॉट क्लियर।

श्री श्रीनारायण चतुर्वेदी—यह जानकारी क्यों नहीं है ? जब आदेश दे दिये गये हैं तो किन वार्डों के आधार पर आदेश दिये गये हैं ? जो आदेश दिये गये हैं वे वार्ड जो बदले हुए हैं उनके आधार पर दिये गये हैं या पहले वाले वार्डों के आधार पर दिये गये हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—प्रश्न में ऐसी बात नहीं थी कि कौन से वार्डों के आधार पर चुनाव किया जा रहा है। इसमें जो मुनासिब है वहीं बनाने चाहिए।

श्री नारायण चतुर्वेदी—क्या यह सही है कि ९ अप्रैल को जो चुनाव होने जा रहे हैं वह सारे वार्डों के होने जा रहे हैं या २ वार्डों के लिए ही नोटिस दिया है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—दो का पहले हो चुका था; बाकी के लिए कर रहे हैं।

प्रश्न संख्या ९७८

श्री अध्यक्ष--श्री धूलजी भाई।

(अनुपस्थित कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री हनवन्तसिंह।

प्रश्न संख्या ९७९

सन् १९५६-५७ में खोलीजाने वाली डिसपेन्सरीज एवं औषधालय एवं जैसलमेर के डाक्टर के रिक्त स्थान की पूर्ति

श्री हनवन्तसिंह—क्या जन स्वास्थ्य मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) सरकार की १९५६-५७ में किस किस जगह नई डिसपेन्सरीज़ और आयुर्वेदिक औषधालय खोलने की योजना है ?

(ख) जिला जैसलमेर में जो एक मात्र डाक्टर है, वह कब से छुट्टी पर है ?

(ग) उपरोक्त डाक्टर की गैर हाजरी में क्या सरकार ने किसी दूसरे डाक्टर को भेजने का इन्तजाम किया है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वास्थ्य मंत्री)—(क) ७५ आयुर्वेदिक औषधालय व १३ एलोपेथिक डिसपेन्सरी। यह कहां कहां खोले जायेंगे यह प्रश्न विचाराधीन है।

(ख) इस समय छुट्टी पर नहीं हैं।

(ग) डाक्टर मंगलसिंह ने कार्य किया।

Page No 33

श्री हनवन्तसिंह—यह कब तक निश्चित हो जायगा कि डिस्पेन्सरीज़ कहां कहां खोली जायेगीं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—प्रस्ताव आया है उसके ऊपर विचार किया जा रहा है और निश्चय किया जा रहा है। एक फार्मूला बनाया गया है उसके आधार पर निर्णय किया जायगा।

श्री हनवन्तसिंह—क्या जैसलमेर की तहसीलों में भी डिस्पेन्सरीज़ खोली जायगीं या नहीं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—डिस्पेन्सरीज़ या औषधालय ?

श्री हनवन्तसिंह—डिस्पेन्सरीज़ या औषधालय, कुछ भी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मैंने कहा कि वह विचाराधीन है। जैसलमेर के बारे में भी विचार किया जायगा। पिछले साल जैसलमेर में ४ औषधालय खोले गये हैं।

प्रश्न संख्या ६८०

सिकराय निर्वाचन क्षेत्र में हाई स्कूल एवं वहां और पढ़ाई की सुव्यवस्था करने संबन्धी शासकीय कदम

श्री त्रिवेणीश्याम—क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) सिकराय निर्वाचन क्षेत्र में कितने हाई स्कूल हैं ?

(ख) क्या सरकार वहां की शिक्षा व्यवस्था के लिए इन्हें काफी समझती है ?

(ग) यदि नहीं, तो सरकार इस कमी को पूरा करने में क्या और कब तक कदम उठायेगी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मंत्री; शिक्षा मंत्री की अनुपस्थिति में)—(क) एक गीजगढ़ में।

(ख) जी हां।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न संख्या ६८१

राजपूताना विश्वविद्यालय द्वारा कुछ हाई स्कूलें बन्द करने के प्रस्ताव एवं सालूम्बर हाई स्कूल संबन्धी विचार

श्री सोहनलाल भटनागर—क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) राजस्थान विश्व विद्यालय ने सरकार के समक्ष कितने हाई स्कूल्स को बन्द करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है ?

(२) क्या सालूम्बर हाई स्कूल को भी बन्द करने की बाबत विश्वविद्यालय ने लिखा है ?

(३) सालूम्बर में हाई स्कूल खोलते समय विश्व विद्यालय ने सरकार द्वारा पूरी की जाने वाली क्या क्या शर्तें रखी थीं ?

(४) क्या सरकार नये स्कूल खोलने के पूर्व पुराने हाई स्कूलों की कमियों की पूर्ति करने की कृपा करेगी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मंत्री; शिक्षा मंत्री की अनुपस्थिति में)—माननीय अध्यक्ष इसका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। इसको कल या परसों पर रख दिया जावे तो ठीक है।

प्रश्न संख्या ५०६

(१६ अप्रेल, १९५६ का स्थगित प्रश्न)

जिला बूंदी में जागीरदारों से सन् ४८ से चौकीदारी की रकम की वसूली एवं इस रकम को जागीरदारों को वापिस करने संबन्धी

महाराज श्री केसरी सिंह—क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) जिला बूंदी में जागीरदारों से सन् १९४८ से कब तक चौकीदारी वसूल होती रही है ?

(ख) अलग अलग जागीरदारों से अब तक सालवार कितनी रकम सरकार द्वारा वसूल की गई है ?

[महाराज श्री केसरीसिंह]

(ग) हर जागीर में अलग अलग सन् १९४८ से अब तक कितने चौकीदार काम करते रहे हैं ?

(घ) कितनी जागीरों में चौकीदारों ने सन् १९४८ के बाद कौन २ से साल में और कब तक काम नहीं किया ?

(ङ) क्या यह सही है कि चौकीदारों के नहीं होते हुए भी जागीरदारों से चौकीदारी वसूल की गई ? अलग अलग जागीरवार कितनी रकम वसूल हुई ?

(च) क्या सरकार इस रकम को जागीरदारों को वापिस करेगी ?

श्री संपतराम (उपमंत्री)—(क) जिला बूंदी में चौकीदारी सन् १९४८-४९ से सन् १९५२-५३ तक वसूल होती रही है।

(ख) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

(ग) इसका कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं है।

(घ) इसका इस प्रकार का कोई रिकार्ड उपलब्ध नही है जिससे कि सूचना मिल सके !

(ङ) इसका उत्तर खण्ड (ग) की तरह ही है।

(च) जी नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं।

महाराज श्री केसरीसिंह—जो सूची सदन की मेज पर रखी गई है क्या वह मुकम्मल है ? Is the list complete ?

श्री सम्पतराम—Yes the list is complete.

महाराज श्री केसरीसिंह—In the list 2, Tehsils are missing. Are there no jagirs in those two Tehsils ?

जो दो तहसीलें उसमें से गायब हैं क्या यह सत्य है कि उन दो तहसीलों में कोई जागीर नहीं है ?

श्री संपतराम – यह नई इन्फरमेशन दे रहे हैं इसकी जानकारी करूंगा।

महाराज श्री केसरीसिंह – क्या उन तहसीलों की जानकारी मन्त्री महोदय को नहीं है ?

श्री संपतराम – हमारे पास जो लिस्ट है उसको फाइनल मानते हैं।

महाराज श्री केसरीसिंह – यह कैसे सही मानते हैं आप ? दो तहसीलें गायब हैं; क्या उनमें कोई जागीरें नहीं हैं ?

श्री संपतराम – यह बिल्कुल अलग सवाल है कि जागीरें हैं या नहीं ? यहां पर चौकीदारी का सवाल रखा गया है।

महाराज श्री केसरीसिंह—अलग पूछने की अवश्यकता नहीं है। प्रश्न में पूछा गया है कि कौन कौन सी तहसीलों में कितनी कितनी चौकीदारी रकम वसूल हुई हैं। उनसे चौकीदारी वसूल हुई है या नहीं। उन तहसीलों में जागीर है या नहीं ?

श्री संपतराम – जागीरें हैं या नहीं यह अलग सवाल है। जिनसे वसूल की गई है उनका उत्तर दिया गया है।

महाराज श्री केसरीसिंह -- तो क्या यह माना जाय कि यह जो तहसीलें हैं पाटन और तालेड़ा है, जिला बूंदी के अन्दर उनमें कोई चौकीदारी वसूल नहीं की गई है।

श्री संपतराम—मानने या नहीं मानने का सवाल तो आपके ऊपर निर्भर करता है। इसका उत्तर इसी में है।

महाराज श्री केसरीसिंह – इसका उत्तर देना आपके लिए आवश्यक नहीं है। इसमें से दो तहसीलें गायब हैं और आप कहते हैं कि आपके ऊपर निर्भर है।

श्री सम्पतराम—जो इनफरमेशन हमारे पास आती है गवर्नमेंट लेवल पर उसको सही मानते है। वह इनफरमेशन सही है। उन तहसीलों से वसूल नहीं हुआ होगा इसलिए नाम आने का प्रश्न पैदा नहीं होता है।

महाराज श्री केसरी सिंह—क्या सरकार मेरे चेलेन्ज को स्वीकार करती है ? मैं कहता हूं कि इन तहसीलों के अन्दर चौकीदारी जागीरदारों से वसूल की गई है, लेकिन इसमें शामिल नहीं किया गया है ?

श्री संपतराम—यह आप सूचना दे रहे हैं। वैसे सरकार को असेम्बली के अन्दर और असेम्बली के बाहर चेलेन्ज अमूमन दिये जाते हैं और वे उसे स्वीकार भी कभी कभी करने पड़ते हैं।

महाराज श्री केसरीसिंह—जब सरकार पर्याप्त उत्तर नहीं दे सकती है तो सूचना देनी पड़ती है। क्या सरकार यह बतायेगी कि पिजोदा, तहसील पाटन, के अन्दर है वहां पर चौकीदारी वसूल हुई कि नहीं ?

श्री सम्पतराम—मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो सूचना आई है उसको हम सही मानते हैं। यह अलग बात है कि आप जानकारी दे रहे हैं तो उसकी एन्क्वायरी कर सकते हैं।

महाराज श्री केसरीसिंह—जिन जागीरों में चौकीदारी का काम नहीं किया गया है तो उन्हें क्यों नहीं वापिस किया जाय?

श्री सम्पतराम—(अश्रव्य)

महाराज श्री केसरीसिंह—जब किसी का काम ही नहीं किया गया और चौकीदारी वसूल कर लेते हैं तो क्यों नहीं एतराज होता है?

श्री सम्पतराम—सवाल यह है कि चौकीदारी का चौकीदारी सिस्टम हर गांव में था नहीं। पुराने कायदे कानून के मुताबिक वह वसूल किया गया है। वापिस देने का प्रश्न उठता ही नहीं है।

महाराज श्री केसरीसिंह—चौकीदारी जब वसूल होती थी, हर जागीर के अन्दर चौकीदार रहा करते थे, किसी गांव में, जागीर में रहा ही नहीं तो क्यों नहीं उनको वापिस की जाय?

श्री सम्पतराम—यह तो कोई आवश्यक नहीं था कि हर एक गाव में चौकीदार रहता ही हो। अपने प्रश्न के उत्तर में मैंने निवेदन किया कि ऐसा मुकम्मिल रिकर्ड मिलता नहीं है कि किसी जागीरदार के पास कितने कितने चौकीदार थे, कितना कितना काम किया, कितना कितना वसूल किया वास्तव में जो रिकर्ड मिला ही नहीं फिर भी जो कुछ इन्फोर्मेशन थी वह मैंने पेश कर दी।

श्री भैरोंसिंह—क्या यह सही है कि जिला बूंदी में इस प्रकार का नियम था कि हर जागीरदार से चौकीदारी वसूल की जाय?

श्री सम्पतराम—जी हां।

श्री भैरोंसिंह—जब इस प्रकार का नियम था तो उन दो तहसीलों के जागीरदारों से चौकीदारी वसूल क्यों नहीं की गई?

श्री सम्पतराम—आम तौर पर जागीरदार अवहेलना करते रहते हैं।

श्री भैरोंसिंह—वसूली हुई या नहीं हुई?

श्री सम्पतराम—दो तहसीलों के बारे में अब आपने सूचना दी है। उस संबन्ध में हमने कहा था कि हमने जो सूचना दी है वह सही है और आप अब जानकारी दे रहें हैं उसको जानकारी की जा सकती है?

Page No 38

श्री भैरोंसिंह – सरकार को कहां से यह सूचना मिली कि जागीरदारों ने अवहेलना की और चौकीदारी वसूल नहीं हुई ?

श्री सम्पतराम – आम तौर से ऐसा होता है और समय २ पर इस प्रकार की सूचनाएं भी मिलती रहती हैं।

श्री भैरोंसिंह – जब अवहेलना हुई तो सरकार की ओर से क्या कार्यवाही की गई ?

श्री सम्पतराम – मैंने तो जनरल बात कही है। सरकार उनको रोकने का प्रयत्न करती है।

श्री भैरोंसिंह – कोई एक भी शिकायत आयी हो तो क्या कार्यवाही करना आवश्यक नहीं था ?

श्री सम्पतराम—मैंने तो जनरल बात कही थी।

श्री भैरोंसिंह—जब अवहेलना करने का प्रश्न उठाया गया है तो मैं यह पूछ रहा हूं कि सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

(घंटी)

श्री दामोदरलाल व्यास—माननीय अध्यक्ष, जो जवाब दिया गया है लिस्ट से दिया गया है, वह इनकम्पलीट दे दी गई है। जिस लिस्ट में तालेड़ा और पाटन का नाम बताया गया है वह दूसरी में है जो उनको दे रहा हूँ।

श्री भैरोंसिंह—अध्यक्ष महोदय......,

(घंटी)

श्री अध्यक्ष—Hon'ble Minister accepts that the list supplied is not complete and now he is furnishing the complete list.

श्री भैरोंसिंह—ओन ए पोइन्ट ऑफ आर्डर, सर, माननीय उपमन्त्रीजी ने जो इन्फोर्मेशन दी है वह गलत है और इसलिए उनको सदन से माफी मांगनी चाहिए।

श्री सम्पतराम—मैं तो यही मान कर चालता हूँ कि...

(घंटी)

Page No 39

श्री अध्यक्ष—Order ! Order Plaese. !

महाराज श्री केसरीसिंह—तो क्या जो पहले सूचना दी गई उसको गलत माना जाय ?

श्री अध्यक्ष—वह कम्पलीट लिस्ट नहीं थी |

महाराज श्री केसरीसिंह— कम्प्लीट से देते ।

श्री अध्यक्ष—That has been ractified by the Revenue Minister.

श्री चंदनमल वैद—आधी सूचना रही ।

श्री अध्यक्ष—That is a matter of experience.

(हंसी)

सदन से अनुपस्थित रहने की अनुमति

श्री अध्यक्ष—सभा की कार्यवाही प्रारम्भ होने से पूर्व मैं सदस्यों को सूचित करता हूं कि श्री लालसिंह शक्तावत ने दिनांक १४, १५ मई, १९५६ को विधान सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की आज्ञा के लिये प्रार्थना की है ।

क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें अनुपस्थित रहने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई ।

श्री दामोदरलाल व्यास

राजस्थान कृषि भूधारण (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९५६
(विचार-विमर्श एवं पारित)

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री)—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान टिनेन्सी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९५६ को विचारार्थ लिया जाय ।

श्री अध्यक्ष—प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

रावत श्री शंभुसिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं इसमें एक अमेन्डमेन्ट रखना चाहता हूं और वह आपकी सेवा में पेश किया जा चुका है, इस बिल को सिलेक्ट कमेटी को रेफर करने के वास्ते ।

Page No 40

[रावत श्री शंभुसिंह]

अध्यक्ष महोदय, यह जो बिल कन्सोलिडेशन के वास्ते है, माननीय मंत्री जी ने जो निवेदन किया है कि इस बिल को विचारार्थ लिया जाय इसमें मैं यह आवश्यक समझता हूं कि इसको एकदम विचारार्थ लेने से पहले इस बिल को एक ऐसी सिलेक्ट कमेटी को रेफर कर दिया जावे कि जो किसानों की बातों में ज्यादा जानकारी रखने वाली हो और जिनका किसानों से निकट सम्पर्क हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी हम थोड़े दिनों पहले इसी प्रकार का टिनेन्सी में अमेन्डमेन्ट करने वाला एक्ट पास कर चुके हैं और फिर उसके साथ २ एकदम यह दूसरा अमेन्डमेन्ट बिल आगया तो इससे आश्चर्य होता है कि इस प्रकार से अमेन्डमेन्ट्स जल्दी जल्दी क्यों आते हैं ? मैं समझता हूं कि ठीक तरह से टिनेन्सी में संशोधन न होने से बार बार उसमें संशोधन करने की आवश्यकता महसूस होती है। उस वक्त भी यह कहा था कि इसको पब्लिक की ओपीनियन के लिए प्रसारित कर दिया जाये, लेकिन हमारी बात नहीं मानी गई और अगर उसको सर्कुलेट कर दिया जाता तो जो बार बार प्रोविज़न्स इसमें सरकार लाना चाहती है वह एक ही अमेन्डमेन्ट के द्वारा लाया जा सकता था और संभव था कि किसान अपनी और भी तजवीजें पेश करते और वह एक सर्वांगपूर्ण संशोधन होता। लेकिन सरकार ने जल्दी जल्दी में उस बिल को पास कर दिया और इस प्रकार से दूसरा संशोधन बिल हमारे सामने प्रस्तुत करने वाली है। इसमें ज्यादातर शिड्युल्ड कास्ट के बारे में बातें हैं। शिड्युल्ड कास्ट को जमीन का ट्रान्सफर या सबलेटिंग के वास्ते क्या करना चाहिए ? जहां तक शिड्युल्ड कास्ट के हित का प्रश्न है मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन फिर शिड्युल्ड कास्ट को इसमें आपत्ति हो सकती है और जो शिड्युल्ड कास्ट्स के प्रतिनिधि हैं उनको सिलेक्ट कमेटी में लाया जा सकता है ताकि वे अपनी समुदाय या अपने समाज के हित को दृष्टिगत रखते हुए उस सिलेक्ट कमेटी में अपनी राय व्यक्त कर सकें और उचित सम्मति दे सकें। तो इस वास्ते यह आवश्यक है कि इस प्रकार से ऐसे महत्वपूर्ण बिल को, जिसका असर तमाम राजस्थान में होने वाला है, और खास कर परिगणित जोतियों पर इसका असर पडने वाला है, उस दिशा में इसको एक सिलेक्ट कमेटी को भेजना नितान्त आवश्यक हो जाता है। कई गांवों की ऐसी अवस्था है कि जहां शिड्युल्ड कास्ट का एक ही घर है। अगर वह अपनी जमीन दूसरे व्यक्ति को सबलेट करता है तो इस बिल के पास हो जाने के बाद उससे वह महरूम हो जायगा, क्यों कि यह जरूरी नहीं है कि हर गांव में शिड्युल्ड कास्ट् के ज्यादा घर हो, फिर उस जमीन को सबलेट करने के वास्ते वह क्या प्रबन्ध करेगा, उस जमीन को सेल करने के वास्ते क्या दूसरे गांव के आदमी को लायगा ? इसलिए इससे कई काम्प्लीकेशन्स पैदा हो सकती हैं। इसलिए इसको यहां एकदम विचार करके पास कर देना उचित नहीं है। इसको ऐसी सिलेक्ट कमेटी में भेजें जिसमें शिड्युल्ड कास्ट का प्रतिनिधित्व हो और वकीलों का उसमें कम से कम प्रतिनिधित्व हो, क्योंकि ऐसा अनुमान किया जाता है कि वकीलों की मंशा हमेशा मुकदमाबाजी की तरफ या ऐसे संशोधन उपस्थित करने की ओर रहती है और किसानों के ऊपर जबरदस्ती एक बोझा होता है।

श्री अध्यक्ष—पर्सनली रखिये न साहब, वकीलों पर क्यों आक्षेप करते हैं।

Page No 41

रावत श्री शंभूसिंह—उस सिलेक्ट कमेटी में उस समुदाय के और दूसरी समुदाय के इन्ट्रेस्ट को मद्देनजर रखते हुए ऐसे लोगों को उसमें लें और फिर इसको सदन में लायें। तो मैं समझता हूं कि किसानों के हित की दृष्टि से अपने व्यक्तिगत विचारों को न रखते हुए वे अपनी राय दे सकें, इसमें उनका समावेश करना होगा। तो जो किसानों के निकट नहीं हैं, शहरों में रहने वाले हैं उनको किसानों की परिस्थितियां ज्यादा मालूम नहीं हैं। ऐसे लोग जो काश्तकारों के बीच में रहने वाले हैं, शिडयुल्ड कास्ट्स के ऐसे रिप्रेजेन्टेटिव्ज़ को ऐसे व्यक्तियों की चुनी हुई एक प्रवर समिति बना दी जावे और वह एक महीने में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देवे। मैं समझता हूं कि यह मेरा एक उचित प्रस्ताव है और माननीय मंत्री जी इस पर जरूर गौर करेंगे और सदन भी इसको पास करेगा।

श्री दामोदरलाल व्यास—अध्यक्ष महोदय,...

श्री जवानसिंह—मुझे भी कुछ निवेदन करना है।

श्री अध्यक्ष—इन्तजारी करते रहते हैं क्या ?

श्री जवानसिंह—माननीय मंत्रीजी इन्तजारी करते रहते हैं।

अध्यक्ष महोदय, अभी जो संशोधन सरकारी पक्ष की ओर से, जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है उस पर, मूव किया गया है उसका समर्थन करने के लिये में कुछ कहना चाहता हूँ। जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है उसकी खास मंशा केवल यह है कि जहांतक शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल ट्राइब्स को राजस्थान टिनेन्सी एक्ट में जो राइट्स नहीं थे उन्हें दिये जा रहे हैं; परन्तु उनसे फायदा न होकर नुकसान होने का डर है। इसके अलावा जहां पर सबटिनेन्ट्स खुदकाश्त और टिनेन्ट्स को खातेदारी राइट्स देने का सवाल है उसमें सहूलियत दी जाने का दृष्टिकोण है, यही तमाम का तमाम राजस्थान टिनेन्सी बिल (संशोधन) १९५६ है। मैं इस बात से इन्कार नहीं करता कि जहां तक अनुसूचित जातियों को फायदा पहुँचाने का प्रश्न है वहां तक उनको फायदा नहीं पहुंचाया जाय। लेकिन मैं साथ ही साथ यह बात निवेदन करना चाहता हूं कि उनको फायदा देने के लिये हमने केवल एक दृष्टिकोण को सामने रखा है और वह दृष्टिकोण यह है कि हर अनुसूचित जाति के पास जो भी जमीन है वह उसी जाति के लोगों के पास रहे। उनकी जमीन को उन्हीं के पास रखने में फायदा है या नुकसान है, इस बात को हमने नहीं देखा है। केवल एक ही बात देखी है कि वह जमीन हर सूरत में उन्हीं के पास रहे।

मैं इस बारे में एक दो उदाहरण देना चाहता हूं और उनके जरिये यह बताना चाहता हूँ कि किस उद्देश्य की पूर्ति के लिये यह प्रोविज़न रखा गया है उस उद्देश्य की पूर्ति इससे नहीं होगी। इससे अनुसूचित जातियां का नुकसान ही अधिक होगा बनिस्पत फायदे के। मानलीजिये थोड़े समय के लिये, कि एक सनुअचित जाति का आदमी अपनी जमीन को बेचना चाहता है, मोरगेज़

[श्री जवानसिंह]

करना चाहता है या सब लेट करना चाहता है या कोर्ट की मार्फत सेल करना चाहता है, ये जो पांच छः तरीके बताये हैं उनके अनुसार यदि अनुसूचित जाति के काश्तकार अपनी जमीन को ट्रांसफर करते हैं तो यह आवश्यक हो जायगा कि वे अपनी जमीन को सब लेट करें केवल उन व्यक्तियों को जो स्वयं अनुसूचित जाति के हैं। इसमें इस बात का ख्याल नहीं रखा गया है कि इसका आदमी जो अनुसूचित जाति का नहीं है वह उक्त जमीन की कीमत अनुसूचित जाति के आदमी से अधिक दे सकता है या नहीं, वह अनुसूचित जाति के आदमीयों से अधिक साधन सम्पन्न है या नहीं मोरगेज़ करते समय उसको ठीक ढंग से पैसा मिलेगा या नहीं, सब लेटिंग करेगा तो लगान समय पर मिलेगा या नहीं, इस बात का कोई ख्याल नहीं रखा गया है। लेकिन यही केवल रखा गया है कि हर सूरत में, यह शर्त लगाई गई है कि अनुसूचित जाति के आदमी को ही सब लेटिंग हो सकता है, अन्यथा नहीं। इससे किसी को नुकसान होने वाला है तो वह अनुसूचित जाति के लोगों को ही होने वाला है। उनकी जैसी आर्थिक स्थिति है उसको हम जानते हैं। उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वे दूसरों को फायदा पहुँचा सकें बनिस्बत और लोगों के जो ज्यादा लगान दे सकते हैं, ज्यादा कीमत दे सकते हैं। लेकिन सेल के अलावा, भी इस में चार तरीके और दिये गये हैं। जहां ट्रांसफर का सवाल है जिनकी ओनरशिप ट्रान्सफर नहीं होती वहां यह आवश्यक नहीं होना चाहिये कि केवल अनुसूचित जातियों को ही सब लेट करें। जहां मोरगेज़ करने का सवाल हो, सब लेटिंग करने का सवाल हो या और कोई सवाल हो तो इन तमाम बातों में यह आवश्यक नहीं होना चाहिये कि वे अनुसूचित जातियों के लोगों को ही ट्रान्सफर कर सकें और उससे नुकसान उठावें, क्योंकि अनुसूचित जाति के लोग इतने साधन संपन्न नहीं होंगे इसलिये मोरगेज़ का पैसा, लगान वगैरा ठीक तरह से नहीं दे सकेंगे। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि यह जो तरीका अपनाया गया है उनमें यह ख्याल जरूर रखा गया है कि राजस्थान टिनेन्सी एक्ट में अनुसूचित जातियों को फ़ायदा हो, लेकिन केवल एक ही दृष्टिकोण सामने रखा गया है। यह प्रतिबन्ध अनुसूचित जातिवालों पर नहीं लगाना चाहिये और उनको यह अधिकार होना चाहिये कि वे किसी को सेल, मोरगेज़ या सब लेट कर सकें। यह छूट होनी चाहिये ताकि वे आर्थिक लाभ ज्यादा उठा सकें। पैसा दूसरे लोगों से ज्यादा आ सकता है बनिस्बत अनुसूचित लोगों के, अभी जो संशोधन उपस्थित किया गया है मैं उसका समर्थन करता हूं।

इसके अलावा एक बात और अर्ज करना चाहता हूँ, वह यह है कि इस विधेयक के क्लॉज़ ३ उप खंड (२) में जो क्लॉज़ रखा है जिसमें टिनेन्ट्स ओफ खुदकाश्त और सब टिनेन्ट्स को अपने लैंड होल्डर को जो मुआवजा देना पड़ेगा खातेदारी राइट लेने के सम्बन्ध में उसमें जहां तकी पुराने २० साल की कीमत का पता नहीं लग सकेगा उसके लिये अलग प्रावधान दिया गया है, उसको देखने से मालूम होता है कि इसकी औसत कुछ नहीं निकलती। मैं उन शब्दों को पढ़ना चाहूँगा जिनका कोई मतलब नहीं निकलता है :...

श्री अध्यक्ष—Reading is not necessary.

श्री जवानसिंह—I will refer only to those parts of the clause which require explanation before the House; not necessary that I will read the whole clause. I will just elucidate my point, "Provided that, where the figures of such annual gross produce or such average prices are not available among the Government records for the complete period of twenty years immediately preceding the agricultural year in which such provisional determination is made, the annual rent may be determined on the basis of the average gross produce and average prices of the only of the said twenty years for which such figures are not available." जो पहला प्रोविजन रखा था उसमें यह बात थी कि जो गत २० साल की प्राइसेज़ होंगी उनके आधार पर मुआवजा तय किया जायगा, लेकिन जहां यह रखा गया है वहां यह भी रखा गया है कि जहां यह चीज नहीं पाई जायगी वहां २० साल का जो ग्रोस प्रड्यूस रहा है उसके आधार पर कम्पेन्सेशन तय किया जायगा। यह खतरा है कि कम्पेन्सेशन कैश में दिया जायगा या काइन्ड में। इससे मालूम होता है कि कम्पेन्सेशन का तरीका बदल दिया है और वह काइन्ड में दिया जाने वाला है, क्योंकि कीमत मालूम नहीं है इसलिये काइन्ड में दिया जाने का रक्खा है। यह जो पहले एक्ट पास किया है आधारभूत सिद्धान्तों के यह खिलाफ पड़ रहा है। आगे जाकर इससे नुक्सान होनेवाला है इसलिये ऐसी क्लॉज़ेज़ पास नहीं की जांय और आपस में बैठकर इसके बारे में कुछ तय करलें तो ज्यादा उचित होगा।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री)—अध्यक्ष महोदय, यह जो मोशन ऑफ अमेंडमेंट माननीय सदस्यों ने पेश किया है कि इसको सिलेक्ट कमेटी को रेफर किया जाय मैं उसका विरोध करता हूँ। मैंने अमेंडमेंट पेश किया वह सीधा और इन्नोसेन्ट है, उसमें कोई खास बात नहीं है सिवाय इसके कि जब टिनेन्सी बिल बनाया उस वक्त यह प्रोविजन रखा था कि खातेदारी राइट्स एक्वायर करने के लिये कम्पेन्सेशन देने का प्रोविजन किया गया था। २० साल के रेन्ट की कीमत लेकर एवरेज प्राइस का कम्पेन्सेशन तय किया था। इसके बाद जब यह बिल राइज़ हुआ या एन्फोर्स हुआ कलेक्टर्स को दिक्कत मालूम हुई। कलेक्टर्स का यह कहना था कि २० साल के प्राइसेज़ के रेकार्ड मिल नहीं रहे हैं। और जब सरकारी रेकर्ड में इस तरह के फिगर्स कम्प्लीट मिल नहीं रहे हैं तो प्राइसेज़ डिटरमिन करने में और कम्पेन्सेशन देने के लिए उन आंकड़ों को कार्यान्वित करने में डिफिकल्टी होती है, इस लिये जरूरी समझा गया है कि सरकारी रेकर्ड में जितने साल की प्राईसेज़, प्रोड्यूस के फिगर्स अवेलेबल हों उसी पर निकाल लिया जाय। इसका मतलब यह है कि जहां २० साल के फिगर्स अवेलेबल हैं वहां वही लिये जांय और जहां २० साल के फिगर्स अवेलेबल नहीं हैं वहां जितने साल के अवेलेबल हों उनके आधार पर प्राइसेज़ और फिगर्स निकाल लिये जांय। यह आवश्यक अमेंडमेंट था और यह प्रोग्रेसिव भी है, अगर नोन अवेलेबिलिटी ऑफ रेकर्ड है तो इसका इन्तजाम करना आवश्यक था, इसका और कोई दूसरा तरीका नहीं था।

[श्री दामोदरलाल व्यास]

दूसरा अमेंडमेंन्ट रखा गया है शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स की लैंड के ट्रान्सफर और सब लेटिंग के बारे में। इसके बारे में आपको सब को विदित है हमारे विधान ने शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स को स्पेशल कन्सेशन्स दिये हैं और कान्स्टीट्यूशन के कुछ क्लॉजेज़ ऐसे हैं जो उन्हीं पर एप्लाई होते हैं। शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स की लैंड सिर्फ उन्हीं में ट्रान्सफर हो जो कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के मेम्बर हों, वे सबलेट भी उसी को कर सकते हैं। इसलिये यह अमेंडमेंट पेश किया गया है। इसका अन्डर लाइंग आइडिया यह है कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों के पास जो खुदकाश्त की जमीन है उनके लोगों के कब्जे से किसी दूसरे के कब्जे में नहीं चली जाय, उनको प्रोटेक्ट करने के लिये यह अमेंडमेंट रखा गया है। इसके लिये इनके प्रतिनिधियों द्वारा रिप्रेज़ेन्टेशन किया गया इसलिये उनको कोई नुकसान न हो इसके लिये यह अमेंडमेंट किया गया है।

मैं समझता हूं कि इन दोनों क्लॉज़ेज़ के ऊपर सिलेक्ट कमेटी को रेफर करने की आवश्यकता नहीं है, अतः इस बिल को सदन में ही ले लिया जाय।

रावत श्री शम्भुसिंह--अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने मेरे प्रस्ताव के विपक्ष में फरमाया कि इसे सिलेक्ट कमेटी में भेजने की जरूरत नहीं। अनुसूचित जातियों के मेम्बर्स की इस प्रकार की मांग थी उसके अनुसार यह प्रोविजन किया गया है।

दूसरी बात यह फरमाई कि खातेदारी राइट्स एक्वायार करने के लिए जो कीमत डिटरमिन की जावे, वह किस प्रकार की जावे, इस सम्बन्ध में फरमाया। पुराने एक्ट में ऐसा प्रोविजन है कि २० साल के अन्दर जो प्रोड्यूस हुई हो और २० साल में जो उसकी प्राइस रही हो, उसकी औसत निकाल कर उस औसत का १/६ डिटरमिन किया जायगा। अब इसमें यह मुश्किल माननीय मन्त्री महोदय ने फरमाई कि गवर्नमेंट रेकर्ड में अवेलेबल नहीं है २० साल की कीमतों का रेकर्ड कि २० साल तक क्या क्या कीमतें रहीं, इसलिए जितने साल का रेकर्ड अवेलेबल हो उसी के अनुसार उसका एवरेज निकालकर उसके अनुसार वह डिटरमिन कर दिया जावे।

इसमें एक खतरनाक नतीजा मेरी निगाह में होने वाला नजर आया वह यह है कि अगर रेकर्ड में कम से कम प्राइसेज़ जिन सालों में रहीं, उसका ही रेकर्ड है, क्योंकि २० साल में प्राइसेज फ्लेक्च्युएट होती रहती हैं, घटती बढ़ती रहती हैं तो मान लीजिये कि कम से कम प्राइसेज़ जिन सालों में रहीं उन्हीं सालों के अंक अवेलेबल रहे तो वह जो औसत निकाली जायगी वह इतनी कम होगी कि खातेदारी राइट्स जो लैंड होल्डर की ओर से मिलने वाले हैं और जो उचित कीमत लैंड होल्डर को मिलनी चाहिये वह नहीं मिल पायेगी, क्योंकि गवर्नमेंट के पास तो वही फिगर्स होंगे जो कि अवेलेबल हैं। संभव है कि आमदनी वाले सालों के फिगर्स मौजूद हों और ज्यादा आमदनी वाले सालों के ही फिगर्स अवेलेबल हो गये तो उस सूरत में खातेदारी राइट्स एक्वायर करने वाले किसान को इसका नुकसान होगा, उसको ज्यादा देना पड़ेगा; इसलिये यह उचित नहीं है।

[रावत श्री शम्भुसिंह]

शिड्यूल्ड कास्टस और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए फरमाया कि उन्हीं के लोगों ने मांग की है, इसलिए यह किया गया है। कई कई गांवों में केवल एक ही अनुसूचित जाति का घर है और मान लीजिये वह एक विधवा है तो वह इस कानून के बनने के बाद किसी को सबलेट नहीं कर सकेगी, तो क्या वह किसी दूसरे गांव से किसानों को लायेगी, शायद मन्त्री महोदय की जानकारी में नहीं है कि गांव गांव में एक एक घर शेड्यूल्ड कास्टस का है तो वह किसको सबलेट करेगी ? तो इस तरह का प्रोविजन रखने से जो प्रोपर प्राइस दूसरी कौमों से उस जमीन की मिलने वाली है वह भी नहीं मिल सकेगी, ऐसी सूरत में क्या वह जमीन पड़ी रहेगी ? तो मैं नहीं समझता कि इस प्रकार का रिप्रेजेन्टेशन सरकार के पास कब आ गया। यह जरूरी नहीं है कि जितने रिप्रेजेन्टेशन सरकार के पास आयें मेरी जानकारी में हों पर मैं तो यह अनुसूचित जातियों के हित में समझता हूं कि एक बार और मौका दिया जावे और यहां जो अनुसूचित जातियों के सदस्य हैं उनको भी सिलेक्ट कमेटी में मौका दिया जावे और इसे सेलेक्ट कमेटी में रखा जाय और इस पर विचार किया जाय।

इसलिए मैं अपना संशोधन सदन की स्वीकृति के लिए प्रेस करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि राजस्थान टिनेन्सी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९५६ को प्रवर समिति के सुपुर्द करने का जो संशोधन श्री शंभुसिंह जी ने रखा है उसे स्वीकार किया जावे।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि राजस्थान टिनेन्सी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९५६ को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया जाता है।

श्री दामोदरलाल व्यास—अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि उक्त विधेयक को पारित किया जाय।

Page No 46

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि राजस्थान टिनेन्सी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १६५६ को पारित किया जाय ।

(स्वीकृत)

विधेयक को पारित किया गया ।

राजस्थान कृषि ऋणिता निवारण विधेयक, १६५६ (पुरःस्थापन)

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री)—अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान कृषि ऋणिता निवारण विधेयक, १६५६ को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि राजस्थान कृषि ऋणिता निवारण विधेयक, १६५६ को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई ।

श्री दामोदरलाल व्यास—अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

श्री अध्यक्ष—Yes, next.

राजस्थान भारतीय चिकित्सा (संशोधन) विधेयक, १६५६
(विचार विमर्श एवं पारित)

श्री रामचन्द्र चौधरी—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान इंडियन मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, १६५६ को विचारार्थ लिया जाय ।

श्री अध्यक्ष—और कुछ कहना है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी—मैं प्रस्ताव करता हूं कि इसको पारित किया जावे ।

श्री अध्यक्ष—इसके बारे में आपको और कुछ कहना है ? ओब्जेक्ट्स एन्ड रीजन्स ?

श्री रामचन्द्र चौधरी—ओब्जेक्ट्स एन्ड रीजन्स इसमें दर्ज हैं ।

श्री अध्यक्ष—प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ । दो साल के बजाय ३ साल करना चाहते हैं ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—अभी तक वैद्यों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है। जब उनका रजिस्ट्रेशन हो जावेगा उसके बाद रूल्स एन्ड रेगुलेशन बनावेंगे। इसलिए यह समय मांगा जा रहा है।

(श्री भैरोंसिंह बोलने के लिए खड़े हुए)

श्री अध्यक्ष—आप इनको टाइम देना नहीं चाहते ?

श्री भैरोंसिंह (दांता रामगढ़)—हमको इसमें डेमोक्रेटिक तरीके अपनाने थे।

माननीय अध्यक्ष, जिस समय इस बिल पर इस सदन में चर्चा हुई उस समय सदन के अधिकांश सदस्यों ने इस बात का विरोध किया था कि रजिस्ट्रेशन की कार्यवाही के सम्बन्ध में डेमोक्रेटिक तरीके अपनाने चाहिये। उस समय माननीय मन्त्री महोदय ने आश्वासन दिया था कि जहां तक संभव हो सकेगा एक वोटर लिस्ट तैयार होकर रजिस्ट्रेशन आदि का काम पूरा हो जायेगा। दो वर्ष का समय समाप्त होने के बाद भी सरकार के सामने ऐसी कौनसी कठिनाइयें थीं जिनको लेकर सरकार अभी तक वोटर लिस्ट तैयार नहीं कर सकी ? आम चुनाव नजदीक आ रहे हैं। इन्डियन मेडिकल एक्ट के मातहत रजिस्ट्रेशन वैद्यों का करना बहुत जरूरी है और गांवों में वैसे आदमी बहुत कम पर्याप्त होते हैं जिससे कि लोगों को फायदा हो। मगर सरकार यह चाहती है कि इसमें देरी हो और जिनको वे रजिस्टर्ड कराने चाहें करा सकें। मैं यह कहूंगा कि इससे जनता को नुकसान होता है और यह सरकार को कभी भी शोभा की चीज नहीं है। जब इस प्रकार समय बढ़ाने का समय आता है तो सरकार बराबर यह कहती रहती है कि अमुक कारणों से यह काम नहीं हो सका। लेकिन मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि यदि इलेक्टेड सदस्य रजिस्ट्रेशन बोर्ड में चले जावेंगे तो जिस प्रकार टेलिफोन से अनक्वालीफाइड लोगों को वैद्य रजिस्टर्ड कराये जाते हैं वह बोर्ड नहीं कर सकेगा और अपने इच्छित लोगों को रजिस्टर्ड कराने का मौका नहीं मिलेगा।

माननीय अध्यक्ष, हम बाहर गांवों में देखें तो मालूम होगा कि जो व्यक्ति मामूली एक चूर्ण की पुड़िया देना जानता है उन लोगों को पोलिटिकल कन्सीडरेशन पर रजिस्टर्ड वैद्य कर दिया जाता है। बाहर गांवों में अनरजिस्टर्ड वैद्यों को मौका नहीं दिया जावे कि वे यह कार्य करें। इससे लोगों को नुकसान होता है। एक तरफ सरकार वर्तमान अनक्वालीफाइड वैद्यों पर पाबन्दी लगाना चाहती है और इधर निरन्तर समय ३ वर्ष तक बढ़ा कर उन लोगों के साथ जो गांवों में रहते हैं अन्याय करती है। अगर सरकार रजिस्ट्रेशन करना चाहे तो बहुत कम समय लग सकता है। वह एक एक कलेक्टर को आदेश दे सकती है या डाइरेक्टर मेडिकल हैल्थ को आदेश दे सकती है या डाइरेक्टर आयुर्वेदिक विभाग को इसके लिए आदेश दे सकती है। यदि वह ऐसा करती तो बहुत जल्दी सूची तयार करा सकती है। मगर यह इसलिये नहीं किया जा रहा है कि अमुक आदमी इलेक्शन में काम कर सकेगा और जब रजिस्ट्रेशन का काम पूरा हो जाएगा तो काम नहीं करेगा। आप चाहें तो देख सकते हैं कि किस प्रकार से आजकल रजिस्ट्रेशन हो रहा है,

[श्री भैंरोंसिंह]

अगर सरकार यह चाहती है कि नियमित रूप से इलेक्शन हो तो मैं यह कहूंगा कि इतने समय की आवश्यकता नहीं। सरकार को अब भी चाहिये कि वह १२ महीने का समय नहीं ले। जब एक साल का समय समाप्त हो जाएगा तो फिर दूसरा अमेन्डमेंट ला कर सरकार डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की तरह से कहेगी कि एक साल का और एक्सटेन्शन दिया जावे। मैं यह कहूंगा कि दो वर्ष में कौनसी ऐसी परिस्थिति पैदा होगई? कौनसी दिक्कत आपके सामने आई, कौनसे अधिकारी को आपने नियुक्त नहीं किया। केवल असेम्बली में इस प्रकार का बिल प्रस्तुत करने की कठिनाई होती है यह एक अनुचित तरीका है और इस अनुचित तरीके को खत्म करना चाहिये। यह सरकार की, माननीय अध्यक्ष, आदत सी पड़ गई है, इस पर रोक लगानी चाहिये और इस प्रकार की चीज को कभी भी सदन स्वीकार नहीं करेगा। इतना ही कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

रावत श्री शंभुसिंह—माननीय अध्यक्ष, आवश्यकता तो यह थी कि नोमिनेटेड बोर्ड को समाप्त किया जाता और जल्दी से जल्दी चुने हुए व्यक्तियों को लाया जाता और योग्य व्यक्तियों के रजिस्ट्रेशन कराये जाते। राजस्थान में ऐसे बहुत वैद्य हैं जो न तो क्वालीफाइड ही हैं और न योग्यता ही रखते हैं, ऐसे वैद्य जनता के लिए खतरा बन सकते हैं। जब ऐसी परिस्थिति है तो मैं नहीं समझता कि कब तक सरकार इस प्रकार से उन वैद्यों पर किसी प्रकार का रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा कर पब्लिक के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करती रहेगी। यदि दो वर्ष के समय से भी ज्यादा समय रूल्स के लिये मांगें तो सरकार को कहां तक समय दिया जाए मैं तो यह कहूंगा कि बहुत बड़ी तादाद में इलेक्टर्स बहुत ज्यादा नहीं होंगे और अगर हों तो भी वोटर्स लिस्ट जल्दी से जल्दी बना लेते। सरकार किस आधार पर रूल्स बनाए, प्रश्न यह है? यह प्रश्न केवल सरकार के विचार की बात है। अभी तक रूल्स तक नहीं बना पाई। इसमें सरकार का क्या मकसद हो सकता है और वह सही हो सकता है कि सरकार इस प्रकार से एस्टेबलिश बोर्ड द्वारा अपना काम करना चाहती है और अपने अपने आदमियों को, अनक्वालीफाइड होते हुए भी, रजिस्टर्ड करवाना चाहती है जो चुने हुए सदस्यों के बोर्ड द्वारा नहीं करा सकती। और इसीलिए इसको फिर प्रोलांग करना चाहती है। इसलिये अब यह वाजिब नहीं है कि इसको और ज्यादा प्रोलोंग किया जावे। चुनाव द्वारा बोर्ड जल्दी होना चाहिये और इसमें किसी तरह से एक्सटेंशन नहीं मिलना चाहिये। और अगर मिल जावेगी तो सरकार डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की तरह फिर समय समाप्त होने पर समय मांग लेगी और इस तरह से कभी चुनाव समाप्त नहीं होंगे। इसलिये चुने हुए सदस्यों का बोर्ड बहुत जल्दी होना चाहिये।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मंत्री)—अध्यक्ष महोदय, पहले मैं बोल दूं, फिर माननीय सदस्य बोल लें। अध्यक्ष महोदय, इस बोर्ड में सब रजिस्टर्ड वैद्य हैं। वैद्यों के रजिस्ट्रेशन के लिए समय लगता है और जो समय लगा है उसके कारण चुनाव अभी तक नहीं हो सके। इसके जो नियम है उसके अन्तर्गत मजिस्ट्रेट और स्थानीय पंचायतों द्वारा इन्क्वायरी होने के बाद सर्टिफिकेट प्राप्त होगा, वही रजिस्ट्रेशन के लिए विभाग के पास आयगा और विभाग में समिति द्वारा जांच की जायगी, उसके बाद वैद्य रजिस्टर्ड किये जायेंगे।

[श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता]

रजिस्ट्रेशन का कार्य प्रान्त में नया था और इतना बड़ा था कि उसमें अधिक समय लगना आवश्यक था। उस अधिक समय के कारण उसके अब तक नियम नहीं बनाये जा सके, इस कारण ही चुनाव नहीं हो सके। मैं समझता हूं इसमें सरकार की गफलत की बात नहीं, रजिस्ट्रेशन का बड़ा काम था उसमें कई स्टेजेज़ को पार करना होता है, उसमें समय लग जाता है और वह अनिवार्य भी होता है, इस कारण इसमें देरी हुई है। जहां तक इस बात का सम्बन्ध है कि सरकार अनक्वालीफाइड आदमियों को रजिस्ट्रेशन कराना चाहती है मैं इसके लिये निवेदन करूं कि इसकी स्टेजेज़ कई ऐसी हैं जिसमें नम्बरदार और पंचायत द्वारा तसदीक होने के बाद मजिस्ट्रेट के सामने आता है, उसके बाद बोर्ड के पास जाता है, जिला बोर्ड के बाद यहां के बोर्ड के पास आता है इतनी स्टेज पार होजाने के बाद और मजिस्ट्रेट की तसदीक के बाद भी इस बात की जांच कराई जायगी कि अनक्वालिफाइड आदमी नहीं आ सके, फिर ऐसा कहना इतना होने पर भी अनक्वालीफाइड आदमी आजायेंगे मैं समझता हूं ठीक नहीं है। मैं समझता हूं इसके चुनाव जल्दी हो जायेंगे, हमारी कतई यह मन्शा नहीं कि चुनाव जल्दी न कराये जांय और केवल नोमिनेटेड मेम्बर ही रखे जायं ऐसी बात नहीं। मैं इसके लिए निवेदन करूं कि इस बोर्ड में गवर्नमेंट के या किसी पार्टी के आदमी हों ऐसी बात नहीं इसमें सब रिनाउन्ड वैद्य हैं। जो आयन्दा भी चुनाव के अन्दर आने वाले हैं। बोर्ड में गवर्नमेंट के आदमी नहीं, न किसी खास पार्टी के ही आदमी हैं आयन्दा भी इसी को कायम रखने वाले हैं ऐसी शंका करने की कतई गुंजाइश नहीं। मैं निवेदन करूंगा कि बहुत जल्दी चुनाव कराने के वास्ते नियम करीब करीब तैयार हो चुके हैं और आशा है चुनाव शीघ्र हो जायेंगे। मेरे आश्वासन के बाद माननीय सदस्य इस बिल को पारित पर देंगे।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि राजस्थान इन्डियन मेडिसिन (संशोधन) विधेयक को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन विधेयक विचारार्थ लिया जाता है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इन्डियन मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, १९५६ को पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि इन्डियन मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, १९५६ को पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक को पारित किया गया।

राजस्थान वन (संशोधन) विधेयक, १९५६
(विचार-विमर्श एवं पारित)

श्री बृजसुन्दर शर्मा—मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान फोरेस्ट (संशोधन) विधेयक, १९५६ को विचारार्थ लिया जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री भैरूंसिंह (दांता रामगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान फोरेस्ट (अमेंडमेंट) बिल जो आज सदन में विचारार्थ प्रस्तुत हुआ है इसका मैं कई कारणों से विरोध करता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत दिनों की प्रतीक्षा के बाद आज यह सौभाग्य मिला है कि हम राजस्थान फोरेस्टस के सम्बन्ध में कुछ बातें सदन में कह सकें और उस पर विवाद कर सकें। आज तक फोरेस्ट के सम्बन्ध में जो नीति अपनाई गई है उस नीति के कारण आये दिन जो गड़बड़ होती है उन गड़बड़ों की ओर सदन का ध्यान आकर्षित कराया है।

इस बिल में कुछ नियम बनाने की सुविधा मांगी हैं, उन नियमों में कुछ नियम ऐसे हैं जिन नियमों के लिए हम सरकार को अधिकार दें, उससे पहले एक बार नहीं अनेक बार सोचा, इस प्रकार के अधिकार अगर सरकार को देदिये गये तो कहीं उन अधिकारों का दुरुपयोग न हो जाय।

माननीय अध्यक्ष, इस बिल का क्लॉज़ २६ (ए) नई इन्क्लूड करने की व्यवस्था की जा रही है; इस (ए) में लिखा है कि :"(a) the making of fresh clearings for clutivation or for any other purpose;"

किसी भी फोरेस्ट को साफ किया जा सकता है कृषि के लिए या कृषि के अलावा अन्य कामों के लिए, किसी प्रकार से ऐसी व्यवस्था हो सके उस व्यवस्था को रूल्स में सरकार प्रेसक्राइब करेगी। दूसरा आता है "(b) the continuance of the practice of shifting cultivation:"

इसके लिए सरकार नियम बनायेगी और कोई ऐसी चीज है, "(c) The grazing of cattle or the carrying of forest produce by persons whose claim to the right of pasture or right to forest produce or right of way or water course is admitted under section 12." इस प्रकार इसमें यह चीजें हैं जिनकी ओर हमें यह देखना पड़ेगा कि राजस्थान सरकार के पास जब तक फोरेस्ट को साफ करने के और उस जमीन को अलोटमेंट करने के अधिकार थे उन अधिकारों में किस हद तक दुरुपयोग हुआ है।...

(श्री जवानसिंह, सभापति, पदासीन)

[श्री भैरोंसिंह]

माननीय चेयरमैन, राजस्थान सरकार के मन्त्री मन्डल में जब जब परिवर्तन हुआ तब तब यह वन विभाग दूसरे दूसरे मन्त्री को दिया गया। हमेशा यही चेष्टा रहती थी उन मन्त्री महोदय की, जिनके पास यह विभाग हो, कि वे अपने फोरेस्ट डिपार्टमेण्ट के जरिये अपने लोगों को जितना लाभ पहुंचाया जा सके, पहुँचायें; वह लाभ पहुंचाने की चेष्टा की गई। इस बात से आज कोई भी इन्कार नहीं कर सकता। जहां भूमि के प्रबन्ध का सवाल है आज उसको ठीक करने के लिए सीलिंग के साथ साथ हम यह भी व्यवस्था कर रहे हैं कि जो फोरेस्ट ऐसे हों जिनको साफ किया जा सकता है, किये जांय और वह जमीन कल्टीवेशन के लिए लोगों को अलोट की जाय। इसके साथ साथ हमें इस बात की ओर भी ध्यान देना पड़ेगा कि राजस्थान ही नहीं हमारे पड़ौस के इलाके यू० पी० और पंजाब भी, जहां राजस्थान के फोरेस्ट के कानून के कारण हा–हाकार मचा हुआ है उसको भी देखना पड़ेगा।

भारत सरकार ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, यू. पी. सरकार ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना में और पंजाब की सरकार ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना में अफोरेस्टेशन के लिए काफी रकम रखी है उसका मुख्य कारण यह है कि राजस्थान का सारा डेजर्ट आगे बढ़ता जा रहा है और वह यू० पी० और पंजाब की ओर जा रहा है। वहां की सरकारें इस बात के लिए सतर्क हैं कि वह बढ़ते बढ़ते उनके प्रान्त में न आ जाय इसलिए उस डेजर्ट को रोकने का प्रयत्न किया जा रहा है। यू० पी० सरकार ने कई दफा राजस्थान सरकार को इस बात का संकेत किया है कि राजस्थान में आज जो सामूहिक वनों की कटाई हो रही है उसको रोकना चाहिए, नहीं तो यह सारे मिट्टी के टीले राजस्थान से उड़ उड़ कर यू०पी०की ओर जा रहे हैं। यदि यह बढ़ता है तो जमीन की उपजाऊ शक्ति कम हो जायगी और इस तरह से कई लोगों के जीवन निर्वाह का दायित्व इस पर निर्भर करता है।

हम भी राजस्थान सरकार का ध्यान अफोरेस्टेशन की ओर दिलाना चाहते हैं लेकिन खेद के साथ कहना पड़ता है कि जहां लोगों के स्वार्थ का सवाल आता है, नेताओं के स्वार्थ का और नाबालिग लड़के के नाम भूमि को रखने का सवाल आता है तो हमारी सरकार अफोरेस्टेशन जैसी चीजों को खत्म करके जनता को फायदा हो जायगा, इस दृष्टिकोण को पीछे रखकर अपने मित्रों के, अपने नाबालिग लड़कों के नाम ले ली जाती है।

हमने राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के द्वितीय संशोधन को पास किया, उसमें ऐसी व्यवस्था की है कि अनुसूचित जाति के व्यक्ति किसी आदमी को सबलेट करना चाहे, सेल या मोर्टगेज करना चाहे तो वह केवल अनुसूचित जाति वाले को ही कर सकता है। हरिजन भी अनुसूचित जातियों में से है लेकिन होता क्या है कि अमृतलाल यादव ने छोटी सादड़ी के अन्दर अपने नाबालिग लड़के के नाम से १५० बीघा जमीन पर कब्जा कर रखा है, जिसमें न तो टीनेन्सी बिल को ध्यान में रखा

[श्री भैरोंसिंह]

गया है और न गरीब किसान को भूमि देने की ही बात ध्यान में रखी गई है। आज इस युग में भी नाबालिग लड़के का कब्जा बनाया रखा है। यह इसलिए होता है कि माननीय मंत्री अनुसूचित जाति के हैं और उनके पक्ष में उनका समर्थन करने वाले बीस आदमी हैं, इसलिए ये बातें चल रही हैं।

किसी भी फोरेस्ट को काटकर उसको कृषि योग्य भूमि इसलिए बनाया जाता है कि उस पर खेती हो सके और वह जमीन भूमिहीन किसानों में वितरित हो सके और काश्तकार किसी प्रकार से एक्सप्लोइटेशन न करे। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि प्रत्यक्ष रूप से उनके खेतों में मजदूरों का एक्स्प्लोइटेशन किया जा रहा है। आज होता यह है कि ऐसी भूमि न तो लेन्डलेस टीनेन्ट को हो दी जाती है और न किसी भोमिये को जिसके पास भूमि नहीं है, तो उसके लिए फोरेस्ट की भूमि नहीं कटेगी। लेकिन अगर कोई नेता आते हैं, झुन्झुनू के नेता आते हैं और जयपुर में आ कर मांग करते हैं, उनके लिए तो बीड कट जाते हैं और कोऑपरेटिव फार्मिंग के नाम से बड़े बड़े बीड लेना चाहते हैं। कोऑपरेटिव फार्मिंग के लिए उनके पास खेत हैं या नहीं, कोऑपरेटिव फार्मिंग के साधन उनके पास हैं या नहीं, उस कोऑपरेटिव फार्मिंग के हिसाब का कभी आडिट हुआ या नहीं, कोऑपरेटिव फार्मिंग के लिए जो कमेटी है उसमें उनका नाम हो या न हो लेकिन वे झुन्झुनू के नेता हैं इसलिए उनको इतनी जमीन दे दी जाय जो किसी भी प्रकार से काश्त नहीं कर रहे हैं लेकिन उस भूमि को सबलेट करके उसके प्रोड्यूस से फायदा उठा सकते हैं।

आज आवश्यकता इस बात की है कि हमें जंगलों को काटने की किसी भी प्रकार की आज्ञा देने से पहले यह लाजिमी तौर से सोचना पड़ेगा कि इससे जो भूमि निकलेगी उसे लैण्ड लैस टीनेन्ट को उपयोग करने के लिये देंगे या नहीं, केवल इस बात के लिए नहीं कि जो कभी भी खेतिहर नहीं थे, सन् ४८ से पहले से हो नही पर आज से पहले जो कभी खेतिहर नहीं थे उनके लिये जमीन की व्यवस्था की जाय। हम उनके लिए व्यवस्था कर रहे हैं, बूंदी के जंगल कट जायेंगे, ईसरदा का जंगल कट जायगा तो इसके साथ ही अपने लोगों की अप्लीकेशन्स ले लीं, इसके बाद में टेन्डर्स इन्वाइट करें और उनको दे दें। आप ऑर्डर आफ प्रिफेरेन्स द्वारा सबकी एप्लीकेशनों पर फैसला करें। तो माननीय चैयरमेन ये सारी की सारी बातें ऐसी हैं जो कोई भी आदमी स्वीकार नहीं कर सकता कि सरकार को ऐसे अधिकार देने चाहिए जिसके द्वारा सरकार नियम बनावे और इसकी व्यवस्था करे। सरकार को हमने पहले भी अधिकार दिये पर उसका हमें कड़ुवा अनुभव है। तो मेरी यह निश्चित धारणा है कि इस मौजूदा सरकार को जो निकम्मी सरकार है उसको कभी भी ऐसे अधिकार नही देने चाहिये। फोरेस्ट के एक्ट को लेकर फोरेस्ट की जमीन जो आज तक तकसीम हुई है उसकी सूची अगर आप देखें माननीय चेरमेन, तो कुछ ऐसे व्यक्ति मिलेंगे जिनके पास काफी सरप्लस जमीन है उनको और दी गई, जिनको वाकई में जरूरत थी उनको नहीं दी गई। उन लोगों ने सोचा हम झुंझुनू से चलकर जयपुर में काश्त करें, हम सवाई माधोपुर

[श्री भैरोंसिंह]

से आकर यहां काश्त करें, हम उदयपुर से आकर जयपुर में जमीन ले लें और उसमें काश्त करें। आज यदि हमारे पास जमीन सरप्लस है और काश्त के लिये देनी है तो कम से कम ऐसा करें कि उस जमीन के आस पास के रहने वालों को पहले दें, फिर अगर उनको देने के बाद सरप्लस बचती हो तो बाहर वालों को दें, पर यहां जयपुर वाले भूखों मरते रहें और जिन लोगों के पास झुंझनूं में काफी जमीन है, वह जयपुर में काश्त करें, उदयपुर वाले यहां काश्त करें, सवाई माधोपुर वाले यहां आकर काश्त करें तो मैं निवेदन करूंगा कि इस प्रकार जमीन को तकसीम करने की व्यवस्था अपर्याप्त और असन्तोषजनक है। यह गलत चीज हमने की कि जंगल काटने का और उनको तकसीम करने का और भूमि अलाट करने का अधिकार सरकार को दिया। यदि ये पॉवर रूल्स में नहीं होते और एक्ट में रखते तो ऐसी व्यवस्था जो आज बुरे ढंग से चल रही है नहीं चल पाती।

फोरेस्ट के ठेके दिये जाते हैं, कुछ दिन पहले कुकस के बीड की चर्चा हो रही थी। उसकी जड़ में मन्त्री महोदय का हाथ था। इस प्रकार की चर्चाएं सदन में बार २ हुई। सी० आई० डी० द्वारा इन्क्वायरी हुई, ४५ हजार के नुकसान होने की बात सामने आई, पर इसका जिम्मेदार कौन? सरकार का ४५ हजार का नुकसान हुआ इसका जिम्मेदार कौन? इसका पूछने वाला कौन? इसकी कोई परवाह नहीं, लेकिन इसमें भी चूंकि मन्त्री महोदय का हाथ था इसके खातिर इस नुकसान के बारे में पूछने वाला कोई नहीं। ये सारी चीजें इस तरह होती हैं। हम अपने लोगों को राजनैतिक आधार पर जमीनें तकसीम करें, बीकानेर में अपने अपने लोगों को फोरेस्ट प्रोड्यूस का ठेका दे दिया जाता है वह इसलिए दिया जाता है कि वे उनको पार्टी के लोग हैं, उनका बहुमत बनाये रखने में मददगार हैं। फिर चाहे इसके कारण कितने भी पेड़ काटे जाएं, धमास और फोग काटे जायें, इसके कारण से जमीन की सारी फर्टीलिटी चली जावे इसकी चिन्ता नहीं, पर इस प्रकार के काटने से और ठेका देने से अपने लोगों को जितना भी फायदा हो वह उनको पहुंचाया जाय। बीकानेर के लोगों ने एक बार नहीं अनेक बार दरख्वास्तें की कि जहां २ फोक काटने की इजाजत दी हैं वह इजाजत वापिस ली जाय और जो ठेके दे रक्खे हैं वे नहीं देने चाहिये। पर हमारी सरकार इधर फोग को कटवा रही है और उधर बीकानेर के लोग यह कह रहे हैं कि इस फोग को कटवाने से हमारे मरु के टीले यू० पी० की तरफ जा रहे हैं, यू० पी० वाले चिल्ला रहे हैं, भारत सरकार उसे रोकने के लिए लाखों करोड़ों रुपये खर्च कर रही है इन टीलों को रोकने के लिए और अफोरेस्टेशन में रुपया पानी की तरह बहा रही है और इधर एक यह है राजस्थान की सरकार जो इन सारे प्रयत्नों को बेकार कर रही है अपने कुछ कृपा पात्र लोगों को फायदा दिलाने की एक मात्र नीयत से। एक तरफ तो यह अपने कृपापात्र लोगों को फायदा दिलाने का प्रयत्न कर रही है और दूसरी तरफ टैक्स इम्पोज करके लोगों से कहा जा रहा है कि इस रुपये से सेकंड फाइव इयर प्लान इम्प्लीमेंट करनी है, फोरेस्ट के मद में उसको बढ़ाने के लिए और अफोरेस्टेशन की मद में करोड़ों का खर्च रक्खा है, पर राजस्थान सरकार के कारनामों से ये सारे प्रयत्न बेकार हो जाते हैं। प्राकृतिक

[श्री भैरोंसिंह]

कारणों से जो मरु भूमि बढ़ रही है उसके लिए तो एक तरफ ये सारे प्रयत्न किये जा रहे हैं, एक तरफ अफोरेस्टेशन की बात हम करते हैं दूसरी तरफ हम लोग काटकर मनुष्य कृत मरु भूमि बढा रहे हैं, उसको रोकने का प्रयत्न नहीं कर रहे। एक तरफ ग्रो मोर फूड की बातें करते हैं और उसके नाम पर कलक्टर आदि लोग खडे होकर एक एक महीने पानी पिलाने की व्यवस्था के लिए प्रयत्न कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम अपने कुछ चन्द कृपापात्रों का भला कराने के लिए इन सारी व्यवस्थाओं पर पानी फेर रहे हैं, उनको जंगल काटने के लिए अन्धाधुन्ध परमिट दिये जा रहे हैं।

तो मैं निवेदन कर रहा था कि जो इस बिल के द्वारा सरकार अधिकार ले रही है तो यदि वे अधिकार इन रूल्स के नाम पर दे दिये गये तो निश्चित रूप से इनका दुरूपयोग सरकार इसी तरह से करेगी, इनका दुरूपयोग होकर रहेगा। इसलिए मैं चाहूँगा कि जमीन को दिलाने करने के बारे में, जमीनें अलाट करने के बारे में, जंगलों को काटकर उसकी लकडी बेचने के बारे में, जनता का जो अफोरेस्टेशन के लिए फण्ड है उसके पैसे को बचाने के लिए विधान सभा जो ऐसा कानून बनाने के लिए कम्पीटेन्ट है वह रूल बनाने के नाम पर ऐसे अधिकार नहीं दे। अपने नेताओं को खुश करने के लिये, उनका निजी फायदा करने के लिए जिस प्रकार की व्यवस्था सरकार करना चाहती है उसे दूर करने के लिये मैं निवेदन करूंगा कि रूल के स्थान पर एक्ट में कुछ ऐसा प्रोवीजन लावें जिस पर सदन बहस के बाद अपनी अनुमति दे। सदन को इस प्रकार का धोखा होगा अगर मन्त्री महोदय उसे यह कहते हैं कि यह तो केवल रूल बनाने का एक मात्र प्रश्न है। पर ऐसा नहीं है। अगर आप ऐसे रूल बनावेंगे तो फोरेस्ट एक्ट का ही कुछ मतलब नहीं रह जावेगा। फोरेस्ट एक्ट का मतलब है जंगलों की रक्षा करना, उनको बढाना और जो मेच्योर हो जायं उन्हें कटाना और उस जमीन को उचित रूप से तकसीम करना। यदि ये तीनों चीजें रूल्स में शामिल कर देते हैं तो एक्ट में फिर कुछ नहीं रहता। तो ऐसी स्थिति में ये अधिकार सरकार को नहीं दिये जावें। और अगर सरकार इस बारे में आवश्यक समझे जावे तो इसके बारे में कम्प्रीहेन्सिव अमेंडमेंट लाकर इस तरह का प्रोवीजन इस एक्ट में एड करावें और इसके आधार पर फिर व्यवस्था करें। रूल्स के लिए सरकार को इतने अधिकार देना एक तरह से फोरेस्ट एक्ट की जो मंशा है उस पर कुठाराघात करने के बराबर होगा। अतः मैं सदन से यह निवेदन करूंगा कि इस बिल को जिस रूप में यह आया है स्वीकार नहीं करना चाहिये। जो जंगल इस वक्त थोडे बहुत राजस्थान में हैं वे काटे जाकर लोगों को तकसीम कर दिये जावेंगे और एक तरफ अफोरेस्टेशन पर सरकार खर्चा करने जा रही है और जिस चीज को पनपाना चाहती है वह नहीं पनप सकेगी। इसलिये निवेदन करूंगा कि इस बिल को रिजेक्ट करने का प्रयत्न करना चाहिये और अन्त में फिर यही निवेदन करूंगा कि इसका विरोध किया जाना चाहिये और इसे किसी रूप में पास नहीं करना चाहिये।

श्री मुक्तिलाल मोदी—फोरेस्ट बिल की धारा २६ ए के अन्दर संशोधन रक्खा है कि रूल्स का अधिकार सरकार को दिया जाना चाहिये, तो माननीय चेयरमेन इसके बारे में जिस तरह की

Page No 55

[श्री मुक्तिलाल मोदी]

बातें इस सदन में कही गई ऐसी बातें समय समय पर यहां पहले भी कही गई हैं। चेयरमेन महोदय, मैं कहूं कि फोरेस्ट के बारे में इस सरकार ने ही नहीं पहले भी जितनी सरकारें आई सब ने बडी बडी गडबडियां की हैं। पर इस सरकार ने अधिकार में जितनी गडबडी हुई उतनी पहले की सरकारों के समय भी नहीं हुई। इस गडबड का करण यह है कि मंत्री लोग आज अपने लडकों के नाम जमीन अलाट करते है और जमीन में जो हजारों की कीमत के पेड़ खड़े थे और जिनमें एक एक पेड की कीमत सात सात और आठ आठ रूपया बैठती है उन्हें एक एक रुपये में बेच देना, ये ऐसे कारनामे हैं जिनसे सरकार पर विश्वास नहीं किया जा सकता कि रूल बनजाने के बादमें इस अधिकार का सरकार दुरुपयोग नहीं करेगी। तो अगर जनता की भावना के खिलाफ इस तरह की कार्यवाहियां सरकार करती है तो मैं तो यही कहूंगा कि जनता उसमें विश्वास नहीं कर सकती और अब जो फोरेस्ट मिनिस्टर साहब हैं वे तो हट ही गये। अब दूसरे कोई मिनिस्टर आवेंगे तो उनके लिये मैं तो यह मान सकता हूं कि यह तो ऐसा नहीं करते पर दूसरे जो आवेंगे वे जरूर करेंगे, यह मेरे को तो विश्वास है। सरकार ने भारत सरकार के पैसों से हवाई जहाज से बीज बोने की योजना बनाई, पर उसका कोई नतीजा नहीं निकला। ठीक ढंग से वे पैसे का उपयोग भी करना नहीं चाहते। भारत सरकार के फाइनेन्शियल कमिश्नर ने भी यह कहा कि राजस्थान सरकार को जो पैसा हम प्लानिंग में देते हैं उसका उपयोग नहीं करते, और वह लेप्स हो जाता है और जो रूपया खर्च होता भी है तो वह सही तौर से नहीं होता।

तो, माननीय चेयरमेन, जब कि आज राजस्थान का दूसरे प्रान्तों के बनिस्बत राजस्थान का नाम ऊंचा उठाने का था, क्योंकि राजस्थान का जो इलाका है जोधपुर, बीकानेर और शेखावाटी के इलाकों को देखते हुए राजस्थान के अन्दर औरों की बनिस्बत प्लानिंग में फोरेस्ट के लिए सबसे ज्यादा रुपया होना चाहिए था और ज्यादा पेड़ लगने चाहिए थे और ज्यादा ध्यान देना चाहिए था परन्तु ज्यादा ध्यान देने के बनिस्बत आज राजस्थान के अन्दर राजस्थान सरकार जब से बनी उस दिन से आज तक ज्यादातर पेड़ कटे हैं। परन्तु मैं ऐसा मानकर चलता हूं कि इतना रुपया खर्च करने के बावजूद भी उसके चार आना पेड़ हुए हैं और पेड़ उगने के कारण जनता को कुछ लाभ हुआ हो और उससे बरसात आई हो, ऐसा मुझे तो आज तक मालूम नहीं होता है। माननीय चेयरमेन, भगवान ने कहा है कि पेड़ होगा तो बरसात होगी, नहीं तो बरसात नहीं आयेगी। आज जो पेड़ हैं उनको काट रहे हैं। बरसात और भी नहीं आयेगी, ऐसी सरकार को क्या आवश्यकता है कि सरकार इतने पेड़ कटवा रही है। हरे पेड़ काटना इसका मतलब है, एक आदमी को मारना है। अगर इस तरह से पेड़ काटकर चलेंगे तो राजस्थान तो वैसे ही सूखा है उसको और ज्यादा सूखा कर देंगे। जमीन बहुत पड़ी है। शेखावाटी में भाखरा और जोधपुर में दूसरे बान्ध बन रहे हैं, उसके लिए ज्यादा प्रयत्न करें। और जो पेड़ लगाने की स्कीम है भारत सरकार की तरफ से रुपया और भी ज्यादा मिल सकता है, परन्तु उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता है, उसकी तरफ जितनी भी सरकारें आई हैं उन्होंने ध्यान नहीं दिया है। किसी ने सोचा है तो

[श्री मुक्तिलाल मोदी]

सिर्फ इस रूप से सोचा है, वह देखते हैं कि किसी तरह से जो जमीन फोरेस्ट के अन्दर बचीखुची है उसके हम किसी तरह से जागीरदार बन जायं और जागीरदार बने तो बनें लेकिन वे दूसरों को छीनते हैं और २५ एकड़ जमीन जागीरदारों को तय करना था तो आज इतना आन्दोलन हुआ है तो, माननीय चेयरमेन, मैंने तो आज से ५ वर्ष पहले कहा था, उस समय के चीफ मिनिस्टर से कि ऐसा तय कर दो तो आड़ा गाड़ा ३, ४ वर्ष के बाद होगा और कुछ न कुछ तय करना होगा। आज वह हालत सामने दिखाई देती है। आन्दोलन इतने जोर से शुरू हो गया और पंडितजी तक की नौबत आगई और फिर भी कुछ न कुछ जमीन उनको देनी पड़ेगी। एक तरफ तो नये जागीरदार हो रहे हैं और दूसरी ओर वे कैसे कह रहे हैं, खुद यह कहते हैं, कि भोमियों को जमीन मत दो। पर वे खुद क्यों जागीरदार होते हैं। उनमें सभी हैं। मैं माननीय चेयरमेन, आपसे अर्ज करूंगा कि विधान सभा में बैठे हुए हैं १५, २० क्या सभी ने किया है। कोई भी, एक भी सरकार ऐसी नहीं है कि जिसने नहीं किया हो। चार सरकारें बदली हैं तो चारों सरकारों ने किया है। चारों सरकारों के अन्दर भी इस प्रकार की कार्यवाही हुई थी। कार्यवाही होने के बावजूद भी सोचते हैं कि थोड़ा बहुत जो कार्यवाही से बच गये हैं जैसे खातीपुरे के बीड़ में जो जंगल पड़ा है उस को काटकर साथियों की स्कूल खोली है। मोहने के बीड़ का आर्डर किया था। वहां पर गवर्नमेंट आफ इंडिया के फारेस्ट आफिसर ने पहुंचकर रोक दिया है। चंदलोई का जो बीड़ है वह किसी शर्मा को देदिया है, उसने किसी दूसरे को एलाटमेंट कर दिया है। झोटवाड़े के पास का बीड़ था। कोटा में इतनी जमीन दी गई, बूंदी में इतनी जमीन है कि यहां की विधान सभा के सदस्यों ने अपने नाम से नहीं लेकर रिश्तेदारों के नाम दिला दी। एक रिश्तेदार के पास है तो दूसरे रिश्तेदार को दिला दी। हम कानून बनाते हैं और इमानदारी की शपथ खाते हैं विधान सभा के अन्दर और यह दावा करते हैं। अपने प्रलोभन को सोचकर फिर आप कानून पास करवाना चाहते हैं। इस बात का कानून राजस्थान सरकार के हाथ में दे दिया जायगा तो जो कुछ भी बचे खुचे जंगल हैं वह साफ हो जायगें। उनके अन्दर जिस तरह से आज मवेशी को चारा मिल जाता है, कभी अकाल पड़ जाता है तो वहां कुछ घास हो जाता है कोटा के अन्दर, और अकाल शेखावाटी में पड़ता है तो कोटा से घास आजाता है और उससे हजारों मवेशी जिन्दा रह जाते हैं। तो वह घास नहीं हो सकेगा और हरे पेड़ भी कट जायेंगे और वे लोग जागीरदार बन जायेंगे, इसलिए माननीय मंत्रीजी इस एक्ट के अन्दर जो संशोधन लाये हैं उनकी यह भावना है उस पर मैं विश्वास करता हूं पर दूसरे मिनिस्टर न मालूम कैसे आयें? वह खुद भी जानते हैं कि पहले भी ऐसा हुआ है....

श्री भैरूंसिंह—वह कहां जा रहे हैं?

श्री मुक्तिलाल मोदी—उनके इलेक्शन का झगड़ा चल रहा है।

[श्री मुक्तिलाल मोदी]

ऐसी हालत में मुझको विश्वास नहीं है कि ऐसा सीधा और इमानदार आदमी मिल जायगा। वह चले जायेंगे तो ऐसी हालत में इस तरह का कानून राजस्थान सरकार के हाथ में नहीं देना चाहिये नहीं तो सारी जनता में इस बात का ढिंढोरा होगा कि हाउस के अन्दर आज यह पास करा लिया और इसके अन्दर, माननीय चेयरमेन, आपके जरिये बता देना चाहता हूं कि अगर मिनिस्टर एक या दो गलती करेगा तो ऑफिसर ५ गलतियां करेगा क्योंकि उनको मौका मिल जाता है। ऐसी हालत में ऐसा कानून पास नहीं करना चाहिये कि आफिसर को मौका मिले। आवश्यक कागजात मिनिस्टर के पास नहीं रहते हैं, वे तो आफिसर के हाथ में रहते हैं और जो आफिसर करना चाहते हैं वह मिनिस्टर को मानना पड़ता है। वह खुद मिनिस्टर साहब जानते हैं कि आफिसर जो होता है वही काम करता है। ऐसे कोई कम ही, मिनिस्टर होते हैं एक दो मामलों में नहीं मानते हैं, लेकिन ज्यादातर जो आफिसर नोट लिखते हैं, उसी तरह की कार्यवाही होती है इसलिए मैं मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि इस एक्ट में इस बात का संशोधन लेकर वह चीज तय करना चाहिए थी। रूल्स के बारे में जो संशोधन रखा है उसको वापिस लेंगे और मैं विधान सभा के माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि इस तरह के रूल्स के संशोधन को पास नहीं करें।

श्री सोहनलाल भटनागर—माननीय चेयरमेन, क्लॉज़ २६ (ए) में सरकार को रूल मेकिंग पावर दिये जा रहे हैं और खास कर सब क्लाज (ए) के बारे में काफी वाद विवाद कई माननीय सदस्यों ने प्रस्तुत किया है। लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसका प्रोवीजन क्यों रखने की आवश्यकता है और दूसरी बात उन्होंने रखी है एलॉटमेंट के प्रश्न को लेकर कि उसमें काफी गड़बड़ी होती है। इसलिए इस रूल को नहीं रखना चाहिए। यह दलील दी है। लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जब फोरेस्ट क्लियर कर दिये जाते हैं तो उसके बाद में वह रेवेन्यू के सुपुर्द कर दिये जाते हैं। और जो एलोटमेंट का प्रश्न है वह फॉरेस्ट से कोई ताल्लुक नहीं रखता है, वह रेवन्यू से ताल्लुक रखता है और रेवेन्यू ने रूल्स बना दिये हैं जो कि दिसम्बर ५४ के गजट में प्रकाशित हो चुके हैं। लैंडलेस को उनके अन्तर्गत प्राथमिकता दी जावेगी उसी गांव के रहने वाले को और उसके बाद प्राथमिकता पडौसी गांव वाले को दी जावेगी। जो भ्रान्ति इस सम्बन्ध में माननीय सदस्यों को हुई है उसको रखने की आवश्यकता नहीं है। रूल्स बनने के पहले गडबडियां हुई हों, वैसी आशंका अब नहीं रखनी चाहिए। इसके द्वारा लैंडलेस जो है उनको प्राथमिकता देनी है।

दूसरी बात माननीय सदस्यों ने रखी है कि ऐसे सब रूल की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इससे जंगल नष्ट होंगे। माननीय सदस्य की यह दलील वहां लागू हो सकती है जहां कि भूमि की अधिकता है लेकिन ऐसी मिसालें मौजूद है कि जहां प्रेशर ऑन लैंड हाई है, भूमि नहीं है और फोरेस्ट सेलटमेन्ट करते वक्त उनकी लाइन तक गांवों में डाल दी गई है और काबिल काश्त की जमीनें फोरेस्ट में ले ली गई हैं जिससे भूमिहीन किसानों आदिवासियों को बसाने के लिए और शिड्युल्ड कास्ट के लोगों के लिए दिक्कत हो गई है, इससे यह दिक्कत दूर हो जायगी और यह

[श्री सोहनलाल भटनागर]

भूमिहीनों को बसाने के लिए जरूरी है। मैं आपको एक मसाल दूं कि धरियावाद के पास कई भूमिहीन आदिवासियों को बसाने का प्रश्न है। वे जमीनें उन्हीं को दी जा रही हैं जो कि आदिवासी हैं, भील हैं। क्लियरेंस का ऐसा नहीं होगा तो उन लोगों के लिए जो सदन के लोग चिन्ता रखते हैं तो उसका फिर कोई स्थान नहीं रहेगा और कोई चारा भी नहीं रहेगा।

आशंका यह भी बताई गई है कि जमीनें हैं वे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को, या विशिष्ट व्यक्तियों को दी जावेंगी, यह भावना जो है वह निर्मूल है। अगर किसी को कोई आपत्ति है उसी सम्बन्ध में तो वह रेवेन्यू बोर्ड तक जा सकता है और वह अलॉटमेन्ट कैंसल कर सकता है। मैं समझता हूं कि कई माननीय सदस्यों ने यह निवेदन किया और भी करेंगे, तो उनकी यह भावना निर्मूल होगी।

रावत श्री शंभूसिंह—माननीय चेयरमेन, फोरेस्ट (संशोधन) विधेयक के सम्बन्ध में मैं भी दो शब्द निवेदन करना चाहता हूं। राजस्थान जैसा कि एक प्रदेश है और यहां जो बरसात की औसत है और यहां भूमि की जो दशा है उसको देखते हुए यहां जंगल का कितना महत्त्व है उससे इन्कार नहीं किया जा सकता है। राजस्थान का बहुत सा भाग मरुस्थल है और उस मरुस्थल के वास्ते यह आवश्यक है कि वहां अधिक से अधिक वृक्ष लगाये जावें और उस मरुस्थल को कम करने की चेष्टा की जावे। उस मरुस्थल के बढ़ने का खतरा राजस्थान के पड़ौसी राज्यों को भी महसूस होता है इसलिए यह आवश्यक है कि यहां वनों का ज्यादा से ज्यादा विकास और विस्तार किया जावे। परन्तु इस संशोधन कानून के द्वारा जो प्रोविजन लाया गया है उससे तो ऐसा प्रतीत होता है कि राजस्थान में वनों और वृक्ष के विकास और विस्तार की बात तो दूर रही लेकिन जो कुछ इस वक्त मौजूद है उनको भी क्लीयर करने की एक व्यवस्था की जाने वाली है। माननीय चेयरमेन, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे राजस्थान में वनों का एक बहुत बड़ा महत्व है और यहां इस वक्त भी वनों की सुरक्षा का कोई संतोषजनक प्रबन्ध नहीं है। यहां वनों की प्रोड्यूस को बुरी तरह से एक्सप्लोइट किया जाता है और उसका नतीजा यह होता है कि वनों और वृक्षों की कमी होती जा रही है जिसका एक बहुत बुरा असर यह पड़ता है कि बरसात में यहां कमी होना संभव है और जमीन के इरोज़न को रोकने के वास्ते तो यह आवश्यक है कि हम वनों को और वृक्षों को ज्यादा से ज्यादा संरक्षण देवें। तो इस संशोधन के द्वारा यह रूल बनाने की बात है। मैं समझता हूं, जो वर्तमान फोरेस्ट का कानून है उसमें वनों के संरक्षण के वास्ते और खास कर रिज़र्व्ड फोरेन्ट्स के वास्ते यह व्यवस्था है और इसमें रूल बनाने का अधिकार भी सरकार को दिया गया है।

(घंटी)

श्री सभापति (श्री जवानसिंह)—No Quorum.

(गण-पूरक घन्टी के पश्चात्)

Yes, Continue

रावत श्री शंम्भूसिंह -- तो माननीय चेयरमेन, रिज़र्व्ड फोरेस्ट्स जब कायम किये जाते हैं तो उस वक्त सेटलमेन्ट होता है और उसमें गांवों के लोगों के जो उजरात होते हैं उनको सुन लिया जाता है। राजस्थान में रिज़र्व्ड फोरेस्ट्स या तो बहुत पहले कायम हैं और यदि नये किये गये हैं तो उन लोगों के उजरात को सुनकर किये गये हैं कि अमुक अमुक जगह रिज़र्व्ड फोरेस्ट्स कायम होने जरूरी हैं। ऐसे फोरेस्ट्स को हम इन नियमों के द्वारा क्लीयर कराना मुनासिब नहीं समझते। रूल बनाने का जो अधिकार सरकार लेना चाहती है इससे यह होने वाला है कि न तो यह बात स्पष्ट की गई है कि किन परिस्थितियों में फोरेस्ट्स कल्टीवेशन के लिए क्लीयर किये जावेंगे, कहां कहां कौन से कौन से एरियाज़ में किये जावेंगे, कहां नहीं किये जावेंगे, इस प्रकार के कोई प्रोपोजल्स नहीं हैं, केवल वेग रूप में इस प्रकार की व्यवस्था इसमें दिखाई गई है। इस वक्त भी खेती के नाम से जिस तरह से जंगलों का दुरुपयोग किया गया है और खेती के नाम से एक खास तबके को तरजीह देकर बढ़ावा दिया गया और नाबालिग लोगों तक को जो कि खेती नहीं कर सकते हैं उनको भी खेती के लिए जमीनें देने की व्यवस्था की है तो इससे बड़ी आशंका है कि किसी तबके के लोगों को जमीनें अलॉट करने के वास्ते यह व्यवस्था की जा रही है और यह ख्याल नहीं रखा जा रहा है कि इस प्रकार की व्यवस्था करके जंगलों के बड़े धन का विनाश करने जा रहे हैं जिसकी कि राजस्थान में बड़ी आवश्यकता है और उन वनों और वृक्षों का राजस्थान में बड़ा महत्व है। इसलिए रूल्स बनाने के अनलिमिटेड और असीमित अधिकार लेने चाहते हैं जो कि विधान सभा के हाथ में ही रहने चाहिए और असीमित अधिकार लेना चाहते हैं जो कि विधान सभा के हाथ में ही रहने चाहिए। और सरकार को इस प्रकार के अधिकार दे देने का यह अर्थ होगा कि उन अधिकारों का दुरुपयोग होगा और हमारे राजस्थान में इस वक्त भी वनों की दुर्दशा हो रही है और फिर कल्टीवेशन के नाम से वृक्षों को काटा जावेगा और मनमाने तरीके से मनमाने लोगों को वे जमीनें दी जावेंगी और फिर इस तरह से वनों का विनाश बढ़ता ही जावेगा। राजस्थान के हित में यह आवश्यकी बात है कि इस प्रकार के अनलिमिटेड पॉवर्स रिज़र्व्ड फोरेस्ट्स के बारे में, इस प्रकार के अधिकार न दिये जावें। यदि सरकार को वनों के संरक्षण के वास्ते पॉवर्स की जरूरत हो तो वह ले लेकिन वनों के विनाश के वास्ते कोई नियम बनाने की आवश्यकता मैं महसूस नहीं करता।

श्री मानसिंह महार—माननीय चेयरमेन, सदन के समक्ष आज बड़ी मुद्दतों से आशा लगाये रहने के बाद राजस्थान के वनों के बारे में एक विधेयक प्रस्तुत हुवा है। चेयरमेन महोदय, आज जिस परिस्थिति के अन्दर यह विधेयक हमारे समक्ष प्रस्तुत हुआ है और आज जिन परिस्थितियों में होकर राजस्थान गुजर रहा है उन सूरतों के अन्दर हमको मजबूर होकर इस विधेयक का विरोध करना पड़ता है। चेयरमेन महोदय, आज जंगलों के बारे जो विधेयक प्रस्तुत हुआ है उसमें राजस्थान के पांच वर्षों के इतिहास के लिये हमको एक मौका दिया है कि आज हमारे राजस्थान के जंगलों का सुधार करने की आड़ में क्या क्या अन्याय किया जा रहा है। माननीय चेयरमेन, इसी की तहत जो नया क्लॉज़ २६ ए. लगाया जाता है उसके अन्दर हम यह देखते हैं कि सरकार ने अपने आपको;

[श्री मानसिंह महार]

"Power to make rules ;—(1) Government may make rules to regulate the following matters in respect of reserve forests namely, "

जो पहले २ ए. एण्ड बी. धाराएं हैं वे क्या है, उनके बारे में बाद में मैं कहूँगा ।

"(a) the making of fresh clearings for cultivation or for any other purpose;

(b) the continuance of the practice of shifting cultivation."

चेयरमेन महोदय, मैं इस बिल के विरोध में मुख्यतः चार मुद्दों पर बोलूंगा । मेरा सबसे पहला मुद्दा यह है कि राजस्थान सरकार ने जंगलों के मामलों में और जंगलों की अव्यवस्था के मामले में इन चार वर्षों में अपने आपको इतना नाकाबिल सिद्ध किया है कि मैं इस सदन से प्रार्थना करूंगा कि वह इस सरकार को जंगलों को काटने या नये जंगल कायम करने या एग्रीकल्चर में ट्रान्सफर करने के लिये जिस प्रकार से इसमें कहा है उस प्रकार से रूल बनाने की कभी भी आज्ञा प्रदान न करे । आज्ञा प्रदान न करने का सबसे बड़ा कारण चेयरमेन महोदय, आज हमारे समक्ष यह प्रस्तुत है कि आज जन तंत्र के युग के अन्दर यह बिल हमारे समक्ष एक ऐसे मंत्रीजी ने प्रस्तुत किया है जिनके सामने मोरल स्टेन्डर्ड जैसी कोई चीज नहीं है । इस बात के लिये इलेक्शन ट्रिब्युनल ने उनको ६ वर्ष के लिये चुनाव लड़ने से डिबार किया है । ६ वर्ष के लिये डिबार होने के बाद उनको इस्तीफा देना चाहिये था ...,

श्री बृजसुन्दर शर्मा—Is it not a contempt of High Court ? I have got a stay order. This is contempt of court. When the matter is sub--Judice it should not be brought before the House.

श्री सभापति (श्री जवान सिंह)—अप्रासंगिक न बोलें ।

श्री मानसिंह महार—मैं बिल्कुल प्रासंगिक बोल रहा हूँ चेयरमेन महोदय । मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि उनको क्या करना चाहिये, मैं यह कह रह हूँ कि कोई इज्जतदार आदमी होता या उनमें मोरल स्टेन्डर्ड होता तो वह ऐसी कार्यवाही नहीं करते । हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर मिल जाय या कबर से उठे जैसे निकल आयं, जैसा कि उन्होंने खुद ने कहा था तो कोई बात नहीं है लेकिन वह आदमी जिन पर ट्रिब्युनल लान्छन लगावे वह राजस्थान मिनिस्ट्री में रहने लायक नहीं है ।......

श्री सभापति (श्री जवान सिंह)—आप विधेयक पर बोलें न कि व्यक्ति विशेष पर ।

श्री मानसिंह महार--विधेयक को प्रस्तुत करने वाले पर बोलना अनिवार्य हो जाता है। आज राजस्थान की विधान सभा या मंत्रीजी मंडल का ऐसा स्तर रह गया है इसलिए कह गया। यदि आप नाखुश होते हों या मंत्रीजी नाखुश हैं और चुनाव में जो बखशीश ले गये वे ले गये, ऐसी बात हो तो उनको ६ वर्ष ही क्या १० वर्ष की अवधि दे दें इस सदन में बैठने के लिये तो मुझे आपत्ति नहीं हैं। मैं इनको इसके लिये बधाई देता हूँ। लेकिन फिर भी ऐसे व्यक्ति की तरफ से विधेयक आता है उसको हम पारित करें तो इससे अधिक शर्म की बात नहीं है। पहला बात तो यह हुई।

अब में दूसरे मुद्दे पर अपने विचार व्यक्त करता हूँ। वह दूसरा मुद्दा यह है कि आज तक हमारी सरकार ने, राजस्थान की पोपुलर गवर्नमेंट ने जंगलों की रक्षा के लिये क्या क्या कार्यवाही की। इस क्या क्या कार्यवाही करने के अन्दर सबसे बड़ा हाथ भूत-पूर्व वन मंत्रीजी का रहा है। किस प्रकार से उन्होंने जंगलों की रक्षा की है, यह देखने की बात है। सादड़ी के इलाके के अन्दर, जंगलात विभाग के नीचे एक जमीन थी, जोड़ था उस जोड़ को अपने नाबालिग बच्चे के नाम उसमें से १००-२०० एकड़ भूमि वन विभाग से ट्रान्सफर कराके रेवेन्यू विभाग से उस बच्चे के नाम पर करादी जाती है। चेयरमेन महोदय, मैं मानता हूँ कि आप जिस प्रकार का ऐतराज करते हैं वह पार्लियामेन्ट्री प्रेक्टिस होगी। लेकिन पार्लियामेन्टरी प्रेक्टिस तो तब निभ सकती है जब उधर बैठनेवालों का कोई मोरल कोड हो। इंग्लैन्ड जहां कि पार्लियामेन्टरी प्रेक्टिस को हम फोलो करते हैं वहां इस प्रकार की बात साबित होती तो मंत्रीपद से ही नहीं वरन् हाउस से भी इस्तीफा देते। आज इंग्लैन्ड की पार्लियामेन्ट्री पद्धति की दुहाई दी जाती है और हमको दबाया जाता है। इस तरह की अन-पार्लियामेन्ट्री काम करने वालों को मंत्री तो क्या हाउस का सदस्य भी नहीं रहना चाहिये। डिस्क्वालिफाइ होते हैं तो भी उसके बाद कहते हैं कि हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर मिल गया हैं। स्टे ऑर्डर मिल गया तो क्या हुआ जो फेक्ट्स हैं वे तो मौजूद हैं।

श्री सभापति—अवरोध न करें।

श्री मानसिंह महार—मुझे अफसोस होता है। किसी बात की हद होती है। शर्म भी दुनियां में होती है। हमारे हिन्दुओं में तो ऐसी बातों का बहुत दुःख होता है, लेकिन शर्म जैसी कोई चीज रही नहीं, मैं किसी के उपर नहीं कहता हूँ। मैं किसी का नाम नहीं लेता हूँ वह तो इस प्रकार की बेशर्मी की बात करते हैं उनको आप ही लगती है। ...

श्री कंवरलाल जेलिया—यहां आप व्यक्तिगत रंजिश निकालते हैं ?

श्री मानसिंह महार—वह तो आप निकालेंगे क्योंकि आप उम्मेदवार हैं उनकी जगह के। मैं यह निवेदन कर रहा था कि यह तो राजस्थान है। यहां कुछ न हो जाय वह थोडा है। कूकस के जंगल की मिसाल ले लीजिये। वहां के जागीरदार के नाम पर जंगलात के कानून को बालाये ताक पर रखकर कूकस का जंगल बेच दिया। फिर छोटी सादडी के बीड़ का सवाल ले

[श्री मानसिंह महार]

लीजिये। किसी प्रकार मन्त्री जी उसको ट्रान्सफर कराते हैं एग्रीकल्चर विभाग को और एग्रीकल्चर विभाग से उस बीड का बडा और कीमत पोरशन उनके नाबालिग बच्चे के नाम दिया जाता है और दिये जाने के बाद आज ही इस सदन में दूसरा कानून बनाते हैं जिस की तहत कहते हैं कि हम हरिजनों के लिये विशेष सुविधाएं देते है। कम से कम हरिजनों को सुविधा देते वक्त मैं जानता हूँ कि मेरे एक वकील मित्र ने जिनके ऊपर मिनिस्टर साहब काफी महरबान है, उनको काफी कनसेशन खानेपीने का रहता है। जो लोग बेईमानी करते रहते हैं उनके लिये जब कहते हैं कि बोर्ड में अपील लेकर जाओं तो कहते हैं कि हम क्यों जावें, अपील लेकर जाये राजस्थान गवर्नमेंट जो धोखा देकर जमीन हड़प ले, मन्त्रियों के बेटों को जागीर के तौर पर बांट देते हैं फिर हमें कहा जाता है कि अपील करो। हम क्यों अपील करें ? अपील करे फोरेस्ट डिपार्टमेंट। ऐसे पंगु डिपार्टमेंट को आप चाहते हैं कि अधिकार दिये जावें और कहते हैं कि अपील करो बोर्ड में। हम क्यों करें अपील ?

माननीय चेयरमेन महोदय, इस प्रकार की बातें कह कर मैं दावे के साथ कहता हूं कि सदन को मुगालते में डाला जाता है।

इसके अलावा माननीय चेअरमेन, फोरेस्ट डिपार्टमेंट के बारे में सरकार को कुछ अख्त्यारात देने की बात है। मैं मानता हूं कि फोरेस्ट डिपार्टमेंट की आज तक की जो अत्याचारिता है वह इस तरह के अख्त्यारात नहीं देते हैं तो जनता को राहत मिल जाती है। चेयरमैन महोदय, आज यह फोरेस्ट डिपार्टमेंट कर क्या रहा है, एक किसान खेत में से लकड़ी काट कर लाता है, बबूल का एक बडा पेड एक बीघा जमीन में अच्छी फसल पैदा नहीं होने देता, किसानों को मजबूरन उस बबूल को काट कर अपने काम में लाना पडता, है या मार्केट में ला कर बेचना पडता, है। हमारा फोरेस्ट डिपार्टमेंट उस पर इल्जाम ठोकता है, उसको कहता है कि यह लकड़ी तू जंगलात में से काट कर लाया है, उन लकड़ियों को रोक लिया जाता है, बेचने नहीं दिया जाता और यहां तक कि बिना कानून के उनको नीलाम तक कर दिया जाता है। यह कहा जाता है तो जवाब दिया जाता है कि हब्स बेजा का मुकदमा क्यों नही चलाया जाता। हब्स बेजा का मुकदमा भी तभी बनेगा जब कि उस गरीब की जेब गरम हो और वह पढ़ा लिखा जानकार हो, पर वह बेचारा गरीब रो कर चला जाता है। जमवा रामगढ़ मेरी कान्सटीट्यूएंसी में चले जाइये एक का एक किसान इस जंगलात डिपार्टमेंट की तरफ से परेशान हैं, इस डिपार्टमेंट ने इन लोगों को तंग कर रखा है। इसके अलावा माननीय चेअरमैन मैं यह निवेदन करता हूं कि इस अमेंडिंग बिल में सरकार ने अपने हाथ में कानून बनाने के लिये अख्त्यार लेने की दफा हैं, सरकार कहती है कि काटने के लिये तो हमको अख्त्यारात हैं कि कोई दरख्त काटे तो उसको सजा दे सकते हैं और अगर कोई पेड़ को जला दे, अप रूट कर दे तो हमको अख्त्यार नहीं है। अगर इस अमेंडमेंट को स्वीकार कर लिया जाय तो थोड़ी बहुत राहत लोगों को मिलती है वह भी खत्म हो जायगी। कोई तरीका नहीं रहेगा इन जंगलात रूपी रावणों से बचने का, आज तक यह छोटा मोटा तरीका था इनसे बचने का।

श्री मानसिंह महार]

अगर इस तरह का अमेंडमेंट राम राज्य में आता तो माना जा सकता था पर आज के रावण राज्य में इस तरह का अमेंडमेन्ट आता है तो यह बहुत बुरी बात है। मैं जंगलात विभाग का तजुर्बा रखता हूं और मैं मानता हूं कि सरकार को अख्त्यारात होने चाहिये, पर किस सरकार को? जो सरकार हमारे सामने बैठी है, ऐसी सरकार को जो डिस्क्वालिफाई, डिस्क्रेडिट हो चुकी है, उसको यह अख्त्यारात दें? यह सरासर अन्याय है।

एक बात और निवेदन करना चाहूंगा चेअरमैन महोदय, कि आज जागीरदारों के जंगलों को सरकार ने अपने हाथों में ले लिया है, मैं आशा करता था कि इन जंगलों की रक्षा के लिये भी कोई क्लॉज रखा जायगा। मैं दावे के साथ कहता हूं कि मुझे मेरी जागीर को सरकार को सुपुर्द किये हुए दो वर्ष हो गये, मेरे जंगलात की जो आमदनी थी वह सेंट परसेंट खत्म हो गई है। एक पैसे की आमदनी नहीं हुई है, यह मंत्री जी नोट कर लें, महार कलां के जंगल की बात निवेदन कर रहा हूं, वहां चराई वगैरह वसूल होती थी वह सब खत्म हो गई है। वहां इतने थोड़े से अर्से में आठ, नौ सिपाहियों के तबादले हो गये हैं, यह क्या बात है कि उनको जिन्हें ४० रूपया माहवार मिलता है, उनको फुटबाल बनाया जाता है, यह कौनसा महकमा है, कोई आदमी १५ दिन रहता है, इतनी जल्दी ट्रान्सफर इस लिये होती है कि वहां सिपाही लोग जाते हैं....

एक माननीय सदस्य—आपका...

श्री मानसिंह महार—सुने जाइये, जरा जलिये मत।

श्री सभापति—Do not be disturbed.

श्री मानसिंह महार—मुझे मालूम है कि आज जो डिस्टर्ब कर रहे हैं उनको एक जंगल दिया जा रहा है और उनके गुर्गे को एक बीड देना है। पर मैं डरने वाला नहीं। मुझे न लकड़ी का परमिट लेना है और न मेरे किसी गुर्गे को बीड़ दिलाना है। आज भी मेरे पास इतनी जमीन है कि अगर मन्त्री महोदय चाहें तो दो चार बीघा जमीन आज भी दे सकता हूं। इसमें यह धारा है:

"(1) hunting, shooting, fishing poisoningwater and setting traps or shares in such forests;"

माननीय चेयरमेन, जानवरों के मारने पर रोक लगाने की बात है कि लोग इन्डिस्क्रिमिनेटली जानवरों का शूटिंग, हंटिंग न करें इसलिए कानून बनाया। मैं इस सरकार को योग्य मानता हूं यह तो ट्रीब्युनल की गलती है कि ६ वर्ष के लिए डिस्क्वालिफाई कर दिया। आज जयपुर जू की हालत बद से बदतर हो रही है जो सडता है, जो अन्दर घुसते है तो नाक बन्द करना पड़ता है। मन्त्री महोदय नाहरों के पींजरे के पास जाकर देखें कि बिना नाक बन्द किये वहां जा सकते हैं कि नहीं।

[श्री मानसिंह महार]

मुझे तो पिटिशन से जरूरत नहीं, भगवान तो देखेगे । रामनिवास बाग को हालत बहुत खराब हो रही है । जिस दिन से रामनारायण यादव का एपोइन्टमेंट हुआ उस दिन से आज तक वहां आधे जानवर रह गये हैं कोई देखने सुनने वाला नहीं है । अपने गुर्गों को लिस्ट में रख कर कहा जाता है कि क्वालिफाइड हैं इसलिए रख लिया । और उनको हर समय शील्ड किया जाता है । पर आज सन् ५६ में भी मैं मानता हूं कि भगवान के घर न्याय है और इन अन्यायिओं पर भगवान ने चक्कर चलाया है । बकरे की मां कितने दिन खुशियां मनायेगी, दो महीना और चला लें ।

(घंटी)

माननीय चेयरमेन, यह तो बहुत अहम मसला है, मुझे समय दीजिये ।

श्री सभापति—क्लॉज़ २६ ए. में शूटिंग-हन्टिंग वगैरह के लिए व्यवस्था है, उस पर बोलिये ।

श्री मानसिंह महार—यही तो मैं निवेदन कर रहा हूं जंगल में घूमने वाले जानवरों पर तो इतनी महरबानी दिखाई जा रही है और जिन जानवरों को बाग में पिन्जरों में बन्द कर रखा है उनकी बेचारों की बुरी हालत की जा रही है ।

श्री कंवरलाल जेतिया—दिल के गुबार निकाल रहे हैं ।

श्री मानसिंह महार—पहले सुन लीजिये । हां तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि अगर इस बिल में ऐसी बात आती कि जिससे इन जानवरों को राहत मिलती तो ठीक था । आज राजस्थान के अन्दर ऐसे जानवर हैं और बूंदी के जंगलों में ऐसे जानवर हैं जिनको जयपुर के जू में प्रस्तुत करना चाहिये, पर चेयरमेन महोदय, इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं इसमें तो महज अपना पेट भरने का तरीका है कि किस तरह जंगलों में अपना स्वामित्व अधिक से अधिक कर सकें, जंगल बेचने में जितना अधिक अन्याय किया जा सके उतना अन्याय कर सकें । ईशरदा ठिकाने के जंगल को ले लीजिये कि किस तरह ईशरदा का जंगल वर्तमान मन्त्रीजी के जमाने में बर्बाद किया गया है । जो मंत्री आये और छोड छोड कर चले गये उनके जमाने की कहूं तो कौन सुने इनके खुद के जमाने में, वहां के कलेक्टर के जमाने में क्या हुआ यह छुपा नहीं है । इनके जमाने में ईशरदा के जंगल को किस बुरी तरह से काटा गया । मगर उसको कौन सुनता है ? इसका कारण क्या ? आज कारण यह है कि उनके परमिट मेगनेट मौजूद हैं । लोगों को परमिट दिया जाता हैं और उससे अच्छी अच्छी और मोटी मोटी रकमें लोगों से ऐंठते हैं । किसी को चुनावों के लिये और किसी को पीटिशन के लिये और किसी को हाईकोर्ट में रिट के लिये पैसे की जरूरत होती है और उस जरूरत को कैसे पूरा किया जावे, यह ऐसे हो की जाती है आज इस जनतन्त्र के युग में मैं

[श्री मानसिंह महार]

आशा करता था कि कोई कानून में सुधार होगा और जब सुधार होगा तो इसमें एक बात जरूर आवेगी और वह यह होगी कि ठेकेदारों पर भी इस प्रकार की कैद लगाई जावेगी कि लकड़ी या कोयला वे अमुक भाव पर बेचेंगे। आज लकड़ी और कोयले की कीमतें इतनी अधिक हैं जिसमें मारजिन ओफ प्रोफिट इतना है कि वे लोग बहुत पैसा कमाते है, जिसकी कोई हद नहीं। मगर यह पाबन्दी कैसे लग सकती है? मैं यह कहूंगा कि समाजवादी ढांचा लानेवाले मित्र समाजवाद की इस तरह से मखौल उड़ाते हैं। एक तरफ लाखों रूपयों के जंगल ठेकेदारों को २० या २५ हजार रुपयों में दे दिया जाता है और दूसरी ओर लकड़ी और कोयले जैसी आवश्य वस्तुओं की कीमतों पर कोई पाबन्दी ठेकेदारों पर नहीं लगाई जाती है जिसका लगाना बहुत जरूरी है। मगर किसकी मां ने दूध पिलाया कि इस तरह की पाबन्दी लगाई जावे। ठेकेदार नाराज हो जावेंगे और ठेकेदारों द्वारा जो दूध पेट में पड़ता है बन्द हो जाएगा और फिर लाखों रूपयों की कोठियें कैसे बनें? यह तो हो नहीं सकता कि ठेकेदारों पर प्रतिबन्ध लगा दिया जावे तो यह सब बन्द हो जाए: हम तो यह कहते हैं कि ठेकेदारों पर कीमतों की पाबन्दी होनी चाहिये कि शहर के इतने मील रेडियस से जो लकड़ा लाई जाए उसकी कीमत इतनी होनी चाहिये और सवाई माधोपुर से लकड़ी लाई जाती हैं उसकी कीमत कुछ ज्यादा हो सकती है। मगर यह कुछ नहीं होता। आज होता क्या है कि जंगल में एक छोटा सा कूप काटने की इजाजत दे दी जाती हैं। कहा जाता है कि १०० एकड़ का एक कूप दिया गया है मगर उसका नतीजा क्या होता हैं कि वह ठेकेदार जंगलात के अधिकारियों से मिल कर ३०० एकड़ का उसके आस पास का जंगल जो खड़ा होता है उसकी अच्छी अच्छी लकड़ी काट कर बाजार में बेच देते हैं और आज उसको कोई रोकने वाला नहीं। माननीय चेयरमेन, मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि आज सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार वन विभाग और ट्रान्सपोर्ट में है। इन दोनों विभागों में जितना भ्रष्टाचार है उतना और कहीं नहीं।

इसके बाद मैं यह आशा करता था कि पोवर टू मेक रूल्स में इस प्रकार के सुधार आवेंगे मगर उनसे इसमें किसी प्रकार की उम्मीद करना है वह उसी प्रकार से है जैसे दीवार से जवाब की आशा करना। मगर फिर भी कहना पड़ता है और मैं समझता हूं कि उचित बात कहनी चाहिये।

आज के युग में हम मानते हैं कि सरकार को कई कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है और इस कारण से सरकार ने कानून बनाया अगर सरकार कानून नहीं बनाती तो आज बीड खत्म हो जाते। आज सरकार के पास अपने आदमियों को देने के लिये कोई हथियार नहीं रहा है जो खेतों के लिये जमीन ट्रान्सफर की जा सके। चुनाव नजदीक आ रहे हैं इसलिये इसमें इस प्रकार का कानून रख कर अपने गुर्गों को जमीन बांटने की बात की जा रही है। इसलिये इस प्रकार क्लॉज़ रखी गई है कि :

[श्री मानसिंह महार]

"(a) the making of fresh clearings for cultivation or for any other purpose :

(b) the continuance of the practice of shifting cultivation."

तो यह इस प्रकारकी बात यहां क्यों रखी गई। जब पूछते हैतो कहेंगे कि ग्रोमोर फुड जंगल को काट कर करते हैं। मैं यह कहूंगा कि इससे ग्रोमोर फुड कहांसे होगा। आज जंगलको काटेंगे और इससे वर्षा कम होगी। राजस्थान में वर्षा के लिये वृक्ष अधिकसे अधिक लगने चाहिये मगर इसका तो प्रश्न ही नहीं कि जंगल ज्यादा लगाया जाना चाहिये। यह हमारा दुर्भाग्य हैं कि जो जंगल हैं वे भी कटाये जा रहे हैं।

आज माननीय चेयरमैन, मैं यह निवेदन करूंगा कि यह राजस्थान का दुर्भाग्य रहा है कि यहां पर जंगलात के महकमें पर जितने ओफिसर आते हैं, वे बाहर के आते हैं। मैं नहीं कह सकता कि वे अयोग्य हैं, न मैं वर्तमान कन्जरवेटर ओफ फोरेस्ट से मिला ही हूं। वे योग्य होंगे उनकी योग्यता को मैं डिस्प्यूट नहीं करता। मगर मैं यह कहूंगा कि मध्य प्रदेश से आए हुए मन्त्री कभी भी यहां कामयाब नहीं हो सकते। क्योंकि बाहर से आये हुए बड़े बड़े अधिकारी राजस्थान की अन्दरूनी चीजों को नहीं जानते। वे क्या जानें कि झुन्झुनूं में खेजड़ा अच्छा लगेगा,या जोधपुर में या फलां चीज कहां पर अच्छी लगेगी। लेकिन मैं उस बात पर नहीं जाता। राजस्थान सरकार के पास पैसा बहुत है। वह नये नये टैक्स लगा रही है। आप लाखों रुपया खर्च करें और हाई पेड अधिकारी को रखें जनता अपने आप आपके पेट में ठोकर मारेगी। लेकिन में उनकी काबलियत को डिस्प्यूट नहीं करता मगर मैं यह कहूंगा कि अगर आपको इस वन विभाग को सुचारू रूप से चलाना है तो राजस्थान के बच्चे को प्रोत्साहन देना होगा। मैं यह आशा करता था कि इस प्रकार की बातें इसमें आवेंगी। राजस्थान फोरेस्ट सर्विस के आदमियों को आप ट्रेनिंग के लिए विलायत भेजेंगे। मगर मेरा मतलब रामनारायण यादव जैसे पिट्ठुओं के लिए नहीं है। योग्य व्यक्तियों को भेजेंगे।......

(घंटी)

श्री सभापति—Two minutes more.

श्री मानसिंह महार—फोरेस्ट पर बार बार बोलने का मौका नहीं मिलेगा।

श्री सभापति—आप अपना समय खो रहे हैं।

श्री मानसिंह महार—मैं समय तो खोता ही नहीं हूं। मैं तो आपकी आज्ञा से काम करता हूं। मैं बहुत जल्दी खत्म कर रहा हूं।

मैं यह निवेदन कर रहा था माननीय चेयरमेन, कि फौरेस्ट के बारे में थोड़ी बहुत बातें निवेदन की जिस पर सदन को विचार करना चाहिए। मैं यह निवेदन करूंगा कि सदन का यह कर्तव्य हो जाता है कि कोई कानून पास करे उस समय पब्लिक की सुविधा को देखे और उसके अलावा माननीय चेयरमेन, कानून सदन के समक्ष पेश करने वाले महानुभाव की नियत को देखे और यह भी देखें कि किस व्यक्ति से यह पेश किया जाता है। मैं यह मान कर चलता हूं कि यह कानून आज के दिन प्रस्तुत किया गया है वह बदनियती से किया गया है। अगर यह कानून पास कर दिया जावेगा तो इसका जनता पर दुरुपयोग किया जावेगा। इसके अलावा मैं यह मानता हूं कि यह कानून ऐसे व्यक्ति द्वारा रखा गया है जो ६ साल के लिए डिसक्वालीफाइड हुआ है, उस हालत में उस कानून की तरफ हमको देखना ही नहीं चाहिये। माननीय चेयरमेन, आखिरी बात यही कह कर बैठता हूं।

× × × ×

(घंटी)

श्री रूपनारायण शास्त्री—चेयरमेन महोदय, वन संरक्षण विधेयक जो सदन के समक्ष प्रस्तुत हुआ है उस सम्बन्ध में मेरे पूर्व वक्ता ने बहुत कुछ अद्भुत विचार रखे हैं। मैं यद्यपि उनके विचारों का पूर्णतः समर्थक हूं। मेरे पूर्व वक्ता ने इस बिल को पास न करने का एक कारण यह भी बताया है कि वर्तमान वन मन्त्री महोदय इस योग्य नहीं कि उनके हाथों से यह बिल पारित हो। मैं इस पक्ष में नहीं हूं कि उनके सम्बन्ध में अनेक बातें व्यक्तिगत कहीं जिनको मैं औचित्यपूर्ण नहीं मानता। यह हो सकता है कि अदालतों के फैसले न्यायालयों के फैसले विरुद्ध मे भी जाते हैं और अनुकूल भी हो जाते है। निर्दोष व्यक्ति फंस जाते हैं और सदोष व्यक्ति बाल बाल छूट जाते हैं। जहां तक कानून का सवाल है मैं जब शास्त्री में था उस समय मैंने मिताक्षरी वगैरह ली थी। मुझे उसमें ऐसा बतलाया गया कि जो व्यक्ति निर्दोष थे उनको फांसी तक दे दी गई और जिन्होंने दोष किया था वे बच गये। यह बातें मैंने वाजपेई जी के मुख से सुनी थीं एक व्यक्ति ने मरने के बाद आकर कहा कि मुझे निर्दोष को दंड दिया गया और मुझे फांसी की सजा दी थी लेकिन मैं कह सकता हूं कि मैं जीवित हूं। हो सकता है कि ऐसे कई कारण हों जिनके कारण निर्दोष व्यक्ति फंस जाते हैं, कानून के चक्कर में फंस जाते हैं और सदोष आदमी मुक्त हो जाते हैं। हो सकता है कि माननीय मन्त्री महोदय को जो छः वर्ष के लिए डिसक्वालिफाइड करार दिया गया उसमें कोई गलतीं भी हो सकती है लेकिन जो उसके लिए यहां कहना मैं समझता हूं कि इसमें हमारा मानवता का मापदंड प्रमाणित ही होता। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह बातें चाहे विरोधी दल के सदस्य ने ही क्यों न कही हों वह औचित्यपूर्ण कदापि नहीं कही जा सकतीं।

×××× श्री अध्यक्ष के आदेश से कार्य-विवरण में से हटाया गया।

[श्री रूपनारायण शास्त्री]

यह वन विधेयक जो सदन के समक्ष प्रस्तुत हुआ है उसका कारण दूसरा यह बताया जाता है कि इसमें गड़बड़ियां होती हैं। ये बातें मुझे अखरती हैं। यह उचित है कि वनों का संरक्षण होना चाहिये। विधेयक इसलिए प्रस्तुत होते हैं कि हम वनों की वृद्धि करें हमारे राजस्थान के मन्त्री मन्डल का और विधान सभा का यह कर्तव्य हो जाता है कि हम अपने देश को और अपने प्रान्त को समृद्धिशाली बनावें। प्रान्त की समुन्नति हो, प्रत्येक व्यक्ति को अच्छी तरह से खाना मिले और वह तभी हो सकता है जबकि हमारे देश से अन्न की बहुतायत हो और अन्न की ज्यादा उपज के वास्ते वर्षा का होना आवश्यक है और वर्षा उतनी ही अधिक होगी जितना अधिक वनों का संरक्षण होगा, इसका प्रमाण है कि जैसलमेर और कोटा में जो वर्षा होती है उसके अन्तर को देखिये एक तो बिलकुल रेगिस्तान है और दूसरा हरा भरा प्रदेश, इसका खास कारण यह है कि कोटा में वनों की बहुतायत है इसलिए वहां वर्षा का अनुपात भी ज्यादा है। वर्षा में वन विभाग एक मुख्य कारण है। वर्षा यदि अधिक होगी तो अन्न भी बहुतायत से पैदा होगा और अन्न अधिक उपजने के कारण देश और प्रान्त समृद्धिशाली बन सकता है। जहां तक वनों के संरक्षण के लिए यह बिल है यह कहते हैं तो यह न्यायसंगत और तर्कसंगत हो सकता है।

अब इस सम्बन्ध में सवाल यह है कि आज तक जो वनों का संरक्षण हमारे सामने आया है उसके जो प्रमाण आये हैं उससे यह साफ पता चलता है कि आडम्बर ज्यादा रचा गया है मन्त्रि मन्डल के बड़े बड़े सदस्य, गवर्नमेंट के उच्चाधिकारी सब कोई विशिष्टस्थान पर जाते हैं, जिनके हाथ में घड़ा है दरख्तों के बीज बो रहे हैं इस तरह का आडम्बर हमारे सामने आया है। उसे मैं आडम्बर इसलिए कहता हूं कि उससे यह साफ प्रतीत होता है कि देश को हम इस तरह से वनों के बारे में आगे ले जा रहे हैं, जो फोरेस्ट के लिए श्री गणेशायनमः होगा। मैं तो आडम्बर इसलिए कहता हूं कि एक तरफ तो वन विभाग पेड़ों को लगा रहा है और दूसरी तरफ वनों को काटने के लिए इजाजत दे दी जाती है। एक तरफ तो बड़े हुये दरख्त हैं जिनकी रक्षा राजाओं के समय से, रियासतों के समय की तत्कालीन गवर्नमेंट ने इसलिये की थी, इन जंगलों के रहने से वर्षा अधिक होगी और वर्षा अधिक होने से अन्न की उपज ज्यादा होगी। इसलिए रियासतों के समय में यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार के दरख्त काट लेता था तो उसको सजा मिलती थी। इस प्रकार वनों के संरक्षण के लिए रियासतों के समय में भी कानून बना रखा था और जो कोई दरख्तों को काटता था उसको कठिन से कठिन दंड मिलता था। आज उन वनों को यह कह कर काटा जाय कि कृषि के लिए जमीन नहीं, इसलिए वन काटे जाने चाहिये यह बड़े दुख की बात है। मान लीजिये राजस्थान में कुछ जनसंख्या बढ़ गई है, जन गणना के पहले हिसाब को यदि हम देखें तो मैं समझता हूं सवाई जनसंख्या में वृद्धि हुई होगी। अगर सवाई वृद्धि हुई है तो ऐसी कोई बात नहीं जिसके लिए इन वनों को काटकर उन जंगलों को काटकर वह जमीन किसानों दें इसलिए एक तरफ तो हम यह कहते हैं जमीन के कम होने के कारण किसानों को जमीन देना जरूरी

[श्री रूपनारायण शास्त्री]

हो गया है और जमीन देकर हम देश को अन्न से परिपूर्ण कर देना चाहते हैं लेकिन हम इस बात को भूल जाते हैं कि कोरी जमीन बिना वर्षा के अन्न पैदा नहीं कर सकती। आप एक तरफ तो वर्षा का साधन नष्ट कर रहे हैं और दूसरी तरफ यह चाहते हैं कि अन्न की पैदावार ज्यादा हो तो जो परम्परा चली आ रही है उसके विरुद्ध चीज है, हम दिन प्रति दिन इस बारे में अपना दृष्टिकोण नीचे गिराते चले जा रहे हैं, अगर राजस्थान सरकार २६ वीं धारा में यह अधिकार मांगती है कि गवर्नमेंट चाहे जिस जंगल को साफ करवा सकती हैं और उसको किसानों में बांट सकती है, इसके बजाय यह अधिकार मांगती, वनों के संरक्षण के लिए अधिकार मांगती कि कोई भी वन को नहीं काट सकता, वनों को जगह जगह लगाया जाय उसके लिए सप्लीमेंटरी ग्रान्ट की भी आवश्यकता होती है तो हमें देने में कोई आपत्ति नहीं होती। लेकिन सरकार चाहती क्या है? जिस प्रकार कोई आदमी यह कहे कि मुझे शस्त्र हाथ में रखने का अधिकार दिया जाय और उससे वह हत्या की मन्जूरी मांगता है तो कौन समझदार व्यक्ति होगा जो शस्त्र देने का और हत्या करने का अधिकार देगा। इसी प्रकार का अधिकार इस बिल में मांगा गया है। मैं समझता हूं, कोई भी सहृदय व्यक्ति इस प्रकार के अधिकार देना पसन्द नहीं करेगा। कांग्रेस के माननीय सदस्य जो कि दक्षिण भाग में बैठने वाले हैं वे भी इस बातको मानेंगे और जो बिल प्रस्तुत हुआ है उसमें मतदान देंगे। अगर उन पर व्हिप इश्यू नहीं होता है तो वे भी इस बात को मानेंगे। आज जब कि हम वृक्षों में भी जान मानते हैं हर दरख्त को काटना उचित नहीं। यदि वे इस तरह के अधिकार देते हैं तो पाप की कमाई उचित नहीं है। हमारे यहां पर तो यहां तक लिखा है।

"विष वृक्षोऽपि संवर्द्ध्य:"

अगर कोई जहर के दरख्त भी अपने हाथ से लगाता है तो उसका भी पालन पोषण करते हैं, उसको भी यदि कटवाता है तो वह औचित्यपूर्ण नहीं। जब यह बात है कि हम वट के पेड़ में आत्मा मानते हैं, जांटियों की पूजा होती है, पीपल की पूजा होती है, जिन वृक्षों की हम पूजा करते हैं, जिनके पत्तों को लाकर हम उत्सवों में बन्दनवार बनाते हैं। उन दरख्तों को काटने के लिए शक्ति हम सरकार को देते हैं तो यह विध्वंस करने वाली शक्ति होगी। अगर हम यह शक्ति देते हैं तो हमारे सिवाय अधर्मी और अन्यायी दूसरा नहीं हो सकता। मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को ऐसे अधिकार सौंपे न जाय। मैं यह अधिकार देना महान पाप मानता हूं, किसानों के नाम पर स्वार्थ साधना की प्रबल वासना के कारण स्वार्थ की दावानल और ज्यादा धधके और वनों का विनाश होता जाय, इस प्रकार के अधिकार देना मैं महान पाप का कार्य समझता हूं। हमको इस बात के लिए शर्म आनी चाहिये, इससे जनता को कोई फायदा नहीं हो सकता, इसमें जनता फायदा न देखा जाकर एक व्यक्ति का फायदा देखा जाता है वैसे अधिकार गवर्नमेंट को हम देते हैं तो उससे बुराई की ज्यादा कोई चीज नहीं हो सकती। हमारे गवर्नमेंट के लिए भी यह कहा जाता है कि जैसा कि अभी मेरे पूर्व वक्ता ने कहा कि वर्तमान वन मंत्री पर बहुत विश्वास रखते हैं, हो सकता है वे योग्य होंगे, यदि हैं तो विश्वास पात्र होने चाहिये। लेकिन अन्य

[श्री रूपनारायण शास्त्री]

मित्रों ने यह भी कहा कि उनके जमाने में भी बहुत से जंगल काटे गये, उनके जमाने में भी अनेक वनों के काटे जाने के उदाहरण दिये। वे उदाहरण यदि सत्य है जैसे खटवाड़े का बीड़ काटा गया और लोगों को वितरित किया गया और भी कई जगहों के उदाहरण दिये गये। ये जयपुर के रहने वाले तो जयपुर के आसपास की बात को जानते हैं और वहीं कहते हैं, पर विशाल राजस्थान में न मालूम कितने वनों का विनाश हुआ होगा, इस बात को तो वे मन्त्री महोदय ही जानते होंगे जो परमिट देते हैं। इसलिये मैं कहता हूं कि इस तरह का अधिकार सरकार को देने में, न देने में हमारे इधर के साथी तो ठीक रास्ते पर हैं ही, पर उस तरफ बैठने वाले माननीय सदस्य भी अन्ध परम्परा को नहीं अपनावेंगे कि अगर कांग्रेस की तरफ से उधर बैठने वाले किसी ने उसका समर्थन कर दिया तो हम भी कर दें। आपको अपनी बुद्धि से, अपने दिमाग से और अपनी धार्मिक भावनाओं से अपनी मानवता के विचार से अपना स्वतन्त्र मत इस पर दें। तभी उनके मत का उचित मूल्य होगा। नहीं तो समझा जावेगा कि उन्होंने अपने दिमाग को, शक्ति को अपनी भावनाओं को बन्धक रख दिया है। इसलिये अब वे चाहे जैसे अपने मत दें, पर मैं तो यही कहता हूं कि सरकार को इस तरह के अधिकार दिये नहीं जाने चाहिये क्योंकि सरकार इनका भयंकर दुरुपयोग करेगी। अतः मैं इसका विरोध करता हूं और अपना भाषण अब समाप्त करता हूं।

श्री सभापति (श्री जवानसिंह)—I will like to refer to Rule 102 (2), sub-rules [ii] and [iii], as also sub-rule [v] and to make an observation. The language used by Shri Man SinghJi seems to be offensive and makes personal charge. It is neither courteous nor in consonance with the language which should be used in the House and therefore I order that the expressions used in contravention of the aforesaid rules be expunged.

श्री जगतसिंह झाला—माननीय चेयरमैन महोदय, यह अमेन्डमेन्ट जो पेश किया गया है और जिसके जरिये रूल मेकिंग पॉवर सरकार अपने हाथ में लेना चाहती है उसके विरोध में मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं। मेरा अर्ज करना यह है कि जो अधिकार सरकार ले रही है उनका दुरुपयोग इस सरकार ने पहले भी किया है और पहली सरकार के वक्त में जो दुरुपयोग हुआ है उसकी एक मिसाल सदन के सामने मैं पेश करता हूं। भूतपूर्व वन मन्त्री जी ने अपने लड़के के नाम से मंडाई और जोगीपुरा के बीच जो छोटी सादडी में है करीब साढे तीन सौ बीघा जमीन अपने चार वर्ष लड़के के नाम कर दी। मैं निवेदन करता हूं कि वन मंत्री होते हुये उस जमीन को किस तरह से रेवेन्यू विभाग से निकलवाया और इसके बाद में अपने निज के नाबालिग लड़के के लिये लिया? यह मामूली बात नहीं है, यह राजस्थान सरकार पर भयंकर चार्ज है और मैं माननीय मन्त्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि यह सुनकर टालने को सवाल नहीं है बल्कि गम्भीरता से विचार करने का प्रश्न है। इसी रूप से इस पर विचार होना चाहिये। यह ऐसा प्रश्न है कि जहां मन्त्री अपने लड़के के नाम से जमीन लेकर उसका दुरुपयोग करता है। स्वयं खुद काश्त-

(श्री जगतसिंह झाला)

नहीं करता और औरों को एक्सप्लोइट करता है तो इससे ज्यादा और संगीन क्या बात हो सकती है ? आपको जनता ने चुनकर यहां भेजा कि आप यहां बैठकर इस सत्ता को जनता की एक प्रकार से धरोहर समझकर इसे रखेंगे और चलावेंगे और इसकी रक्षा करेंगे, जनता के हितों की रक्षा करेंगे। पर आज तो जब बाड़ ही खेत को खाने लग जावे तो यह बडी खतरनाक बात है। आपसे तो हम चाहते हैं और उम्मीद करते है कि आप ऐसे काले कारनामे नहीं करेंगे और आप तो निष्पक्ष रहोगे। आप से उम्मीद नहीं करें तो फिर किससे उम्मीद करेंगे। पर आपने अमानत में खयानत की है, जनता की धरोहर के साथ खिलवाड़ किया है। इसमें पचास साठ हजार रुपयों के वृक्ष भी थे। उनको कटा कर उनका फायदा उठाने के लिये मंत्री महोदय ने जमीन अपने लड़के के नाम लिखवाई और कन्जरवेटर आफ फोरेस्ट जिसका पूरा नाम पता मुझे याद नहीं, वह शायद शर्मा या ऐसा ही कुछ नाम था उनको वहां पर ले जाकर उस जमीन के वृक्षों का ठेका भी उनसे दिलवाया और पन्द्रह हजार रुपयों की रकम ठेके के जरिये प्राप्त की गई। वह मामूली नहीं थी। बहुत अच्छी उपयोगी जमीन थी, पहले उसमें अच्छी खेती होती थी। उसके लिये कई लोगों की दरख्वास्तें भी आई हुई थीं। पर उन जरूरतमन्द लोगों को नहीं देकर मन्त्री महोदय ने अपने लड़के के लिये उसे रखा। यह सरकार पर और मन्त्री महोदय पर गम्भीर आक्षेप है। एक व्यक्ति जो राजस्थान के मन्त्री पद की कुरसी पर बैठा है वह वहां बैठकर अपने लड़के के नाम पर जमीन रोक बैठे, यह गम्भीर प्रश्न होता है। तो जब इस तरह से अपने ही लड़के के नाम से, अपने ही रिश्तेदारों के नाम से जगह जगह बीड काटकर आप जमीन दे रहे हैं तो इससे निःसंदेह हमें इस बात की शंका होती है कि इस तरह के पावर अगर आपको देंगे तो उनका भी इसी तरह का दुरुपयोग होगा। इसमें शंका को कोई स्थान नहीं, निःसन्देह होगा, जैसे पूर्व मन्त्रीजी ने किया। इसलिये निवेदन करता हूँ कि यह मामूली प्रश्न नहीं है। इस पर गम्भीरता से विचार किया जावे और इसका ठीक रूप से हल निकाला जावे क्योंकि अगर यह पावर इस तरह से दिये गये तो इसका अपनी स्थिति बनाये रखने के लिये राजनैतिक फायदा भी उठाया जावेगा। जागीरदारों को, भूस्वामियों को आज जमीन नहीं मिल रही है। और उनको कहा जाता है कि तुम भाखरा और नांगल जाओ, और दूसरी तरफ अपने ही कुछ राजनैतिक साथियों को, अपने कृपापात्रों को अपने, लड़कों और रिश्तेदारों को जमीनें अपने ही गांव में दिलाई जाती है तो यह एक निहायत ही शर्म की बात है इस सरकार के लिये और इसी से समस्या जटिल होती जा रही है। तो इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इस प्रश्न पर ध्यान देते हुए गम्भीरता से विचार करना चाहिये। आप कहते हैं कि हमें वनों का संरक्षण करना है और ज्यादा से ज्यादा वनों को हरा भरा रखकर देश में अधिक वृक्ष पनपाने हैं, पर देखा इससे उल्टा जाता है। अनाप शनाप ठेके दिये जाते हैं, बेरहमी से हरे वृक्ष काटे जा रहे हैं, अपने कृपा पात्रों को खुश रखने की दृष्टि से वे कुछ भी करें, कोई देखभाल उन पर नहीं है, तो ये सारी चीजें बहुत ही दुःखद हैं। इन पर उचित रूप से विचार किया जाना चाहिये और इस तरह के पॉवर तो सरकार को कभी नहीं देने चाहिये।

श्री हिम्मतसिंह अटरू—चेयरमेन महोदय, फोरेस्ट एक्ट पर जो अमेन्डमेन्ट बिल आया है उस पर मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि यह सरकार जो रिजर्व फोरेस्ट के प्रोटेक्शन के लिये रूल मेकिंग पावर लेना चाहती है, और उसमें जो विषय दर्ज किये गये हैं उन विषयों को एक एक लेकर काफी व्याख्या मेरे पूर्व वक्ताओं ने की है। मैं इस विषय में ज्यादा आपसे अर्ज नहीं करूंगा लेकिन यह मैं अर्ज करना मुनासिब समझता हूँ कि निःसन्देह सरकार को रूल मेकिंग पॉवर होने चाहिये इस एक्ट के अन्दर यह प्रश्न ऐसा मालूम पड़ता है कि किसी कदर यह पहले लेने से रह गया, चाहे भूल से या और किसी कारण से, उसी को पूरा करने के लिये यह पॉवर अब लेना चाह रहे हैं। आखिरकार सरकार की नींद उड़ी तो सही, जल्दी से उड़ी या देर से उड़ी, यह अलग बात है; पर उड़ी, कब जब काफी नुकसान हो चुका। बड़े बड़े जंगल काफी मात्रा में जब साफ हो गये, जब जानवर सब मर गये तो सरकार अब रूल मेकिंग पॉवर चाहती है। क्यों इतने दिनों तक सोती रही? इतने दिन पहले क्यों नहीं आंखें खोली? हमेशा जानवर मृत्यु के मुंह में जाते रहे, जंगल भी कटते चले गये पर उधर की तरफ मालूम नहीं क्यों नहीं निगाह पड़ी? पर अब भी जो बचे हुए जानवर हैं वे प्रोटेक्ट हो जावें और कुछ फोरेस्ट प्रिज़र्व हो जावें तो बड़ी खुशी की बात है। देश का हित ही है। इसी तरह से ये जो पावर सरकार लेना चाहती है इनको देने में हमें आपत्ति नहीं, पर मैं यह जरूर निवेदन करना चाहूंगा कि ये पॉवर जल्दी से जल्दी प्रयोग में लावें ताकि ये बचे खुचे फोरेस्ट भी रह सकें। नहीं तो जब ये समाप्त हो जावेंगे तो फिर रूल्स किसके लिये बनवाएंगे। मच्छियों का एक तरफ सरकार पालन कर रही है; उनको बढ़ा रही है और दूसरी तरफ डिनेमाइट डालकर मच्छियों का संहार किया जा रहा है और हमारी सरकार सोई हुई पड़ी है। दोनों तरफ नुकसान; इधर मच्छियों के मारने का नुकसान और सरकार की प्रोपरटी का नुकसान। इस तरह की शिथिलता को देखते हुए गवर्नमेंट, मैं कहता हूँ, सराहना के काबिल नहीं है।

रहा सवाल कल्टीवेशन का, तो रिजर्व फारेस्ट के अन्दर तो, आज तक कल्टीवेशन की इजाजत कहीं दी ही नहीं गई है। ऐसा मालूम होता है कि गवर्नमेंट ने रिजर्व फोरेस्ट के अन्दर कहीं कल्टीवेशन की इजाजत दे दी है और उसके लिए अब रूल्स बनाने की जरूरत पड़ रही है। फोरेस्ट के अन्दर जो जमीन दी गई है वह ग्रो मोर फुड के सिलसिले में दी गई है। अब तो शायद, ग्रोमोर फूड की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आज फारेस्ट के रिजर्व्ड एरिया के अन्दर जमीन काश्त करने के लिए दे दी जाय। जो कुछ जमीनें दी गई हैं उन जमीनों का क्या हुआ? फोरेस्ट डिपार्टमेंट से बदल देने के बाद उनका दुरुपयोग हुआ या क्या हुआ? वे जमीनें जिन आदमियों को एलॉट की हुई थीं वे उन जमीनों को बेच बेच कर चले गये और ग्रोमोर फूड रहा एक तरफ और उन्होंने अपने पैसे वसूल किये। इस तरह से ग्रो मोर फूड हुआ। हरे पेड़ काट कर साफ कर दिये गये। सरकार के बावजूद जमीनें बेचकर फायदा उठाया और ग्रोमोर फुड जिसके कारण से ये जमीनें मिली थीं वह काम भी नहीं हुआ। इस तरह से फिर रिजर्व फोरेस्ट के अन्दर कल्टीवेशन की जो योजना की जा रही है तो उससे बड़ा भारी नुकसान होगा। इसलिए, मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि रिजर्व फोरेस्ट के अन्दर कल्टीवेशन का सवाल ही पैदा नहीं किया जाना चाहिए कि इस तरह से जमीन एलॉट की जाय ग्रो मोर फुड के लिए।

[श्री हिम्मतसिंह अटरू]

और जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन का प्रश्न है रिजर्व फारेस्ट के अन्दर, मैं उसका विरोध करना चाहता हूं कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन नहीं होना चाहिए। ऐसा होता है कि जंगल के जंगल साफ हो जाते हैं और वर्षों तक फिर वहां वृक्ष पैदा नहीं होते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन हमारे यहां शाहबाद के इलाके में इस वक्त भी चला आ रहा है। वहां होता है। कोटा स्टेट के वक्त में कोशिश की गई थी। यहां फिर शिफ्टिंग कल्टीवेशन एलाऊ करेंगे रिजर्व फारेस्ट के अन्दर तो भयंकर कार्य हो जायगा। इसके अन्दर रूल्स बनाने की जरूरत है। मैं कहना चाहता हूं कि इसको कतई बन्द कर देना चाहिए। इसकी जो क्लॉज है जिसके अन्दर यह पावर्स देना चाहते हैं यह प्रोवीजन नहीं होने चाहिए और इसके बाबत रूल्स बनाये जायं। मेरा खयाल है कि मन्त्री महोदय इस पर विचार करेंगे ताकि बचे खुचे जो फोरेस्ट हैं वह बच जायं और जंगल के बेचारे जो जानवर हैं वे बच जायं और मच्छियों की बचत तो होनी चाहिए।

श्री सभापति (श्री जवान सिंह)—(श्री अवनीकुमार मुकर्जी के बोलने के लिए खड़े होने पर) Enough has been said on it. Would you like to press it ?

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—I could not follow.

माननीय चेयरमेन महोदय, राजस्थान फोरेस्ट (संशोधन) विधेयक, १९५६, के ऊपर मैं अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं। मैंने इस विधेयक के उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण को जो इसके साथ पेश हुआ है अच्छी तरह से पढ़ा है, और उसको पढ़ने से मुझे मालूम होता है कि सरकार अपने हाथ में नियम बनाने की शक्ति लेना चाहती है। मैं समझता हूं कि इस बारे में किसी को भी एतराज नहीं होगा कि नियम बनाने की शक्ति सरकार को दी जाय ताकि कानून की धाराओं को ठीक तरह से लागू किया जा सके। मेरा सवाल यह है कि जो शक्ति मांगी जा रही है वह न्यायसंगत है या नहीं। विचाराधीन बात यह है कि अब जिन जिन बातों के लिए सरकार नियम बनाने की शक्ति अपने हाथ में लेना चाहती है मैंने उनको देखा है और उनको देखने पर पता चला है कि उसके अन्दर कुछ सैद्धान्तिक प्रश्न हैं। मैं समझता हूं कि जब सिद्धान्त का प्रश्न हमारे सामने आता है तो हम नियम बनाने की शक्ति सरकार को नहीं दे सकते। अगर कोई सिद्धान्त हमारे सामने हैं तो सदन के अन्दर उसके ऊपर विचार होना चाहिये। हमें सोचना पड़ेगा कि सिद्धान्त जो हम स्वीकार करने जा रहे हैं वह न्यायसंगत है या नहीं। जब उसके ऊपर निर्णय हो जाय तो कानून के अन्दर उसकी व्यवस्था करनी चाहिये और उसके लिए नियम बनाने की शक्ति सरकार को देने में कोई एतराज नहीं है। सिद्धान्त पर मुझे एतराज है और यह विधेयक का प्रथम वाचन है इसलिए मैं उसको यहां पेश कर रहा हूं।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता था वह यह है कि जहां तक जमीन के एलोटमेंट का सवाल है हमारे यहां राजस्थान के अन्दर लेन्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत जमीनों का

[श्री अवनिकुमार मुकर्जी]

एलोटमेंट होता है और जिन जमीनों का एलोटमेंट हुआ है, उसका किस तरह से दुरुपयोग हुआ है इसकी कई मिसालें हमारे सामने हैं; सदन के अन्दर उनकी चर्चाएं हो चुकी हैं। कई दफा इल्जाम साबित हो चुके हैं। जमीनों का जो एलाटमेंट किया जाता है वह निश्चित् आधार को लेकर नहीं किया जाता है। अब मेरी समझ में नहीं आता है कि वही एलाटमेंट फोरेस्ट एक्ट के तहत में क्यों करना चाहते हैं ? मैं समझता हूँ कि जमीनों का एलाटमेंट किया जाता है तो निश्चित आधार पर होना चाहिए, और वह आधार अपने को तय करना पड़ेगा कि किन किन परिस्थितियों के अन्दर, किन किन शरायतों के अन्दर हम जमीनें देंगे। जहां तक जंगलों के अन्दर खेती करने का सवाल है, मैं समझता हूँ कि आप एक ही काम कर सकते हैं। या तो जंगल को ही सुरक्षित रखिये, या तो जमीन के अन्दर वृक्षों को ही पनपने दिया जाय, या खेती कर लीजिये। दोनों ही काम एक साथ नहीं हो सकते, यह Forestry के सिद्धान्त के प्रतिकूल है। मैं माननीय मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप क्लॉज़ २६ (ए) के अन्तर्गत जो नियम बनवाने की शक्ति अपने हाथ में लेना चाहते हैं उसमें से निम्नांकित दो बातें आपत्तिजनक हैं—

"[a] The making of fresh clearings for cultivation or for any other purpose,

[b] the continuance of the practice of shifting cultivation."

यह जो दो बातें हैं, वे धारा २६ (ए) में से बिल्कुल निकाल दी जायं। अगर यह महसूस करते हैं कि खेती के लिए जमीन दी जानी चाहिए, तो उसकी समुचित व्यवस्था करने के लिए कानून के अन्दर उपयुक्त धाराओं का समावेश कराने का प्रयत्न करेंगे, लेकिन जिस तरह से वह शक्ति लेना चाहते हैं वह न्यायसंत नहीं है। मैं समझता हूँ कि वे इस बात को महसूस करेंगे और कम से कम सदन को इस बात के लिए संतोष प्रदान करेंगे कि उपरोक्त दो जिन दो बातों पर नियम बनाने की शक्ति ली जा रही है, वे दोनों बातें निकाल दी जायेंगी। मैं समझता हूँ कि इस पर अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है और मिसालें पेश करने की भी आवश्यकता नहीं है। इसलिए मैं माननीय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करके इतना ही कहकर अपना आसन ग्रहण करता हूं।

श्री श्रीमानसिंह—Mr. Chairman, Sir, my opposition to this Bill is based on some practical experience of Bharatpur, which I have several times brought to the notice of the Hon'ble Minister, but, unfortunately, as yet no relief has been granted, nor a reply communicated to me. Sir, if we look to the aims and objects of the bill, the bill is harmless. The necessity of this bill has been because there were short-comings and difficulties which were experienced while the former bill was put into practice, and these short-comings are obvious, and I think, the amendment that has been brought in this bill is of very necessary nature. A Legislation is not always an infallible legislation and we are again human-beings and we must

[श्री श्रीमान सिंह]

make mistakes, and this Forest Act was not a perfect legislation, and certain difficulties with regard to the reserved forests were experienced, and thus it is necessary that this amendment should be passed. But the amendment is regarding the protection of reserved forests against fire, protection against transfer and protection against felling of trees and nobody would now advocate that forests trees should indiscriminately felled and fire should be there. But, Sir, that the powers the Government has taken as regarding rules making, I would like to bring to the notice of the Hon'ble Minister that today in Rajasthan there is discrimination between Udaipur and other parts of the State. In Udaipur there are reserved forests and protected forests and the peoples are given great concessions. They can indiscriminately fell trees for their agricultural purposes and have wood for their domestic purposes. While, Sir, in Bharatpur this has amply been brought to the notice that people even cannot remove wood for their agricultural purposes. Not only this, Sir, these villages are so situated that they are surrounded from all sides by the forests. Not only this somewhere and in some villages the forests land have crossed through these villages and these forests are declared as reserved or preserved and what will happen to their condition ? They cannot be permitted either to gtaze their cattle or to lift wood for their domestic consumption. Either these villages may be shifted and rehabilitated somewhere. Not only this, Sir, grazing is hardly for month or so, but the fee charged according to rules is fabulous. The inhabitants of that place are mainly in occupation of dairy. That is their main livlihood and if these forests are protected and reserved what would be the condition of these villages and the inhabitants and if they should not graze their cattle there, then where they should go and what will happen to the dairy, their main livlihood ? How they are going to live, how they are going to manage the dairies and their children ? Either they must be shifted or a relief may be granted to these villages. This is the only way. I take this opportunity once again to voice my grievances as I have failed to convience the Hon'ble Minister through several letters.

श्री बृजसुन्दर शर्मा (वन मन्त्री)—माननीय चेयरमेन, मैं समझता हूँ कि यदि इस तरमीम के उद्देश्यों के विवरण की तरफ हमारे उधर बैठने वाले माननीय सदस्य अपना ध्यान थोड़ा दे देते तो वे परेशानी में नहीं पड़ते और मुझको ही इतनी गालियां देने की जरूरत पड़ती और न वे अप्रसांगिक बातें ही कहने की जरूरत पड़तीं।

मैं मानता हूं, माननीय चेयरमेन, कि मुझे उन फालतू बातों का जवाब देने की आवश्यकता नहीं है जो कि मेरे खुद के बारे में मेरे लायक दोस्तों ने किसी नाराजगी की वजह से या किसी सम्बन्धी के खिलाफ इन्क्वायरी की वजह से जो कि एन्टीकरप्शन बोर्ड के समक्ष हैं, कही।

श्री मानसिंह महार—ओन ए पोइन्ट ओफ पर्सनल एक्सप्लेनेशन, सर, मेरे किसी सम्बन्धी...

(घंटी)

श्री सभापति—You would not refer.

श्री बृजसुन्दर शर्मा—मैं तो उन ही बातों की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा जो कि जरूरी हैं। जहां तक हमारे माननीय दो सदस्यों ने जो अखीर में बोले हैं और जो बातें कही हैं, रूल मेकिंग पॉवर है, होना चाहिए, यह शिफ्टिंग कल्टीवेशन और क्लियरेन्स के लिए दो बातें रखी गई हैं, नहीं होतीं तो ज्यादा अच्छा होगा। फोरेस्ट में इन्ट्रेस्ट रखने वाला व्यक्ति, फोरेस्ट में गति रखने वाला व्यक्ति सोचता है कि ये दोनों बातें नहीं हैं। इन्ट्रेस्ट यह है कि फोरेस्ट ज्यादा से ज्यादा बढ़ें। तो रिजर्व फोरेस्ट्स में जमीनें हैं देना पड़ेगा और फोरेस्ट में है तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन को बन्द करना पड़ेगा किन्तु राजस्थान की परिस्थितियों को देखते हुए कई बातें ऐसी हैं कि एक दम बन्द नहीं कर सकते। लोगों की मनोभावना, सुपरस्टीशन्स इस तरह से चली आती है कि वे एक दम से बन्द नहीं हो सकती हैं और उन पर कुछ न कुछ पाबन्दी लगाना जरूरी हो जाता है और वह पाबन्दी रूल्स के द्वारा लगाई जा रही है। जब वे इसके अभ्यस्त हो जावेंगे तो बन्द कर देंगे। यह हुई शिफ्टिंग कल्टीवेशन की बात। जो क्लीयरेन्स होता है जंगलों में, उसके लिए निवेदन करूं कि राजस्थान के मुख्तलिफ जगहों में मुख्तलिफ ग्रिवान्सेज हैं। रोज दरख्वास्तें आती हैं, जमीनें चाहिए, जंगलात से रेवेन्यू में ट्रान्सफर होनी चाहिए, काश्त नहीं कर सकते हैं। कई ऐसी पडत जमीनें हैं जो कि जंगलात में हैं चाहे उसमें फिर घास उगता हो या न उगता हो, वे सारी की सारी जमीनें जंगलात की हैं। अब जो सिलसिला रखा गया है वह यह रखा गया है कि कलेक्टर और डी० एफ० ओ० दोनों मिलकर उस जमीन को देख लेते हैं और अगर वास्तव में वे यह समझते हैं कि इसकी जरूरत नहीं है या है, कितने पेड़ लगे हुए हैं वगैरह, वे फैसला दे देते हैं। आज तक जितने गवर्नमेंट के पॉवर्स हैं वे अन रेस्ट्रिक्टेड हैं, कोई लगाम नहीं है और लगाम लगाने की बात सोची जाती है तो लोग समझते हैं कि अधिकार ले रहे हैं। एक तरफ सारे के सारे अधिकार गवर्नमेंट में हैं, जितनी सारी जमीनें जंगलों से निकाली गई हैं उनको रेवेन्यू में ट्रान्सफर कर दिया गया है। यह नहीं करेंगे कि इसको इतनी प्रोड्यूस होती है, इतने जंगल हैं, उसको कभी भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट में नहीं देंगे। मर्जी आये उसको काश्त के लिए दे सकते हैं और नहीं दे सकते हैं लेकिन रेगुलेशन्स बनाने जा रहे हैं, उससे मालूम पड़ सके और डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सके कि यह जमीन काश्त के लायक है, नहीं है, ये जो अख्तियारात गवर्नमेंट के हाथ में हैं, ज्यादा पावर लेने का कहा जाता है, वह मेरी समझ में नहीं आया कि कहां तक दुरुस्त है और इस दुरुस्ती को ही हम ठीक करना चाहते हैं, कानून बनाकर जंगलात में से कितनी जमीन रिलीज़ करने दें, उसकी अमुक शर्तें होंगी...

श्री कंवरलाल जेलिया—मंत्री लोग जो व्यक्तिगत काम में लेते हैं...

(घंटी)

श्री बृजसुन्दर शर्मा—इसीलिए कानून की जरूरत पड़ जाती है। न किसी व्यक्ति का सवाल उठेगा और न किसी दूसरे का। अपने अपने अधिकार के अनुसार ले सके।

फोरेस्ट एक्ट में वास्तव में यह कमी महसूस की जा रही है और वह इसलिए की जा रही है कि जंगल काटने के लिए दिया, लेकिन पेड़ों को जड़ सहित ही काट डालते हैं और जड़ सहित उखाड़ लिया तो वह फिर उगेगा ही नहीं। एक जंगल को मैं देखने गया तो वहां यह देखा कि ठेकेदार ने जड़ सहित वृक्ष काट डाले, मैंने पूछा तो कहा कि जड़ तक काट सकते हैं, ठेका दे दिया है, अख्तियार हमको है। फेलिंग्स के रूल्स नहीं हैं। इसको रखना जरूरी है। प्रेक्टिकल डिफीकल्टीज के कारण जल्दी आना चाहिये था, राजस्थान फोरेस्ट एक्ट में नियम नहीं होंगे तो फिर कोई फायदा नहीं है। इस बात की तो मैं माफी चाहूंगा कि इसमें कुछ देर लगी। कानूनी डिपार्टमेंट में गया था, फिर भी देर से आये और दुरुस्त आये। रूल्स मेकिंग पॉवर्स दे देते हैं। रूल्स जल्दी से जल्दी तैयार होकर लॉ डिपार्टमेंट में भेज कर इसको एन्फोर्स करा देंगे।

यह जरूरी था रूल मेकिंग पॉवर लेना और गवर्नमेंट ने अपने आप अख्तियार नहीं लिये हैं। अपने आपको अख्तियारात थे, उनके ऊपर लगाम लगाई है। अनरेस्ट्रिक्टेड पॉवर्स थे वे बन्द हो जावेंगे। उन लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए जो अपनी अक्ल को घर पर रख कर आते हैं।

श्री सभापति—प्रश्न यह है कि राजस्थान फोरेस्ट विधेयक, १९५६ को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—माननीय चेयरमैन, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक पारित किया जाय।

श्री सभापति (श्री जवानसिंह)—Would you like to oppose it on the third reading ?

श्री अबनिकुमार मुकर्जी—I have objection to the Bill being passed on the same day.

श्री सभापति—I disallow that objection.

श्री भैरूंसिंह (दांता रामगढ़)—माननीय चेयरमेन महोदय, अभी राजस्थान फोरेस्ट एक्ट का जो संशोधन सदन में विचारार्थ प्रस्तुत हुआ उसके विषय में माननीय वन मन्त्रीजी ने...

श्री सभापति—Is it very essential in the absence of amendments or anything of that sort to oppose it.

श्री भैंरूसिंह—यह बिल्कुल अनिवार्य है। जो अमेंडमेंट रखा गया वह कतई आवश्यक नहीं था। इसका मुख्य अंग क्लॉज़ २६ ए है। इसका मैंने पहले भी विरोध किया था और मंत्रीजी ने उत्तर दिया, उसके बाद तो बिल्कुल आवश्यक होता है कि इसको पास करने की किसी भी सूरत में आवश्यकता नहीं है। माननीय मंत्रीजी यह कह सकते हैं कि सरकार को जो वाइड पॉवर्स, ये पेड़ काटने के या फोरेस्ट की जमीन काश्त के लिए एलोट करने के उन पॉवर्स को रेगुलेट करने के लिये सरकार रूल्स बनाना चाहती है और उसके लिए उसको अधिकार दिये जावें। चाहे किसी सदस्य ने इसका विरोध किया हो अन्य कारणों से लेकिन मैंने इसका विरोध किया था विशेष कारणों से और वे विशेष कारण ये हैं कि सरकार के समक्ष इस बात की शिकायतें एक नहीं, अनेक आई हैं जिनका प्रमाण सदन में प्रस्तुत किया गया है जिन पर कोई विशेष इन्क्वायरी करने की आवश्यकता महसूस नहीं की गई है। वैसी सूरत में हमारा अनुभव कहता है कि यदि सरकार को पॉवर दी गई तो उस पॉवर का दुरुपयोग होगा। वैसी सूरत में हमको दुबारा सोचना पड़ेगा कि ऐसी पॉवर दें या नहीं दें। मंत्रीजी यह कह कर टालने की चेष्टा कर रहे हैं कि पॉवर को रेगुलेट कर रहे हैं लेकिन सरकार ने पिछले पांच वर्षों में जो घोटाला किया है वास्तव में उनको कानून रूप देने की चेष्टा की जा रही है। यदि आज वे इस सूरत में हैं कि जमीन एलोट करने में अपना डिस्क्रिशन काम में लिया है, उसमें मुमकिन है गड़बड़ियें भी हुई हैं। मैं मंत्रीजी की सराहना करता हूं कि उन्होंने इसे स्वीकार करने की हिम्मत की। लेकिन मैं उनकी सराहना उस समय करूंगा जब कि वे जो रूल्स बनाना चाहते हैं उनको रिट्रॉस्पेक्टिव इफेक्ट देकर जिनका प्रतिकूल एलोटमेंट हुआ है और जिनको जमीन एलोट की गई है उनसे वापिस लेकर नए सिरे से एप्लीकेशन्स लें और फिर जमीन एलोट करें...

श्री बृजसुन्दर शर्मा—ऑन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर सर, एलोटमेंट के तरीके से मेरा सम्बन्ध नहीं है, मेरा सम्बन्ध सिर्फ फोरेस्ट की जमीन को रेवेन्यू में ट्रान्सफर करने से है।

श्री सभापति—This is no point of order.

श्री भैंरूसिंह — मैं यह निवेदन कर रहा था कि फोरेस्ट डिपार्टमेन्ट से जो जमीन ट्रान्सफर होती है और दूसरों को एलोट की जाती है उसमें गड़बड़ियें होती हैं। आज रूल्स बनाने का अधिकार सरकार यदि अपने हाथ में ले ले तो वह अपने कारनामों को भी रेगुलेट कर सकती है। उनको रेगुलेट करने की सारी व्यवस्था आप रूल्स में कर सकते हैं। आप रूल्स बनावें या न बनावें लेकिन आपको चाहिए कि आप फोरेस्ट एक्ट में अमेंडमेंट लाकर एक एक अमेंडमेंट पर सदन का विश्वास प्राप्त करके अमेंडमेंट पास करा लें। आपको रूल्स बनाने के पॉवर देने पर आप ऐसा रूल भी बना सकते हैं कि सिर्फ कांग्रेसियों को ही जमीन एलोट की जायगी, आप ऐसा भी रूल बना सकते हैं कि पेड़ काटने का अधिकार एक विशेष राजनैतिक संस्था को होगा, आप ऐसा भी रूल बना सकते हैं कि मंत्रियों के बच्चों को चाहे वे नाबालिग ही हों, बालिग कहे जायेंगे।

[श्री भैरू सिंह]

मंत्रीजी के बच्चे चाहे कितने ही साधन सम्पन्न हों लेकिन वे निराश्रित समझे जायेंगे और उनको जिस प्रकार से जंगल और बीड़ का डिस्ट्रिब्यूशन करना चाहेंगे डिस्ट्रिब्यूशन हो सकेगा। मैं निवेदन करूंगा कि आप जिन चीजों को रूल्स में लाने की व्यवस्था करना चाहते हैं वह व्यवस्था रूल्स में नहीं वरन् स्टेचुटरी लॉ में प्रोविज़न करें ताकि सदन को भी पता रहे कि आप क्या करवाना चाहते हैं और आपको भी पता रहे कि सदन का रूख किस तरफ है। यदि आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो जाहिरा है कि आप अपने कारनामों को रेगुलेट करने की व्यवस्था कर रहे है, लेकिन यह नहीं होना चाहिए।

(श्री अध्यक्ष पुनः पदासीन]

इस तृतीय वाचन के अवसर पर भी आपका विरोध करना पड़ता है। मुश्किल इसलिये आती है कि २ वर्ष में भी आप रूल्स नहीं बना सके। क्यों नहीं बना सके, इसकी चर्चा मैं नहीं करता। राजस्थान फोरेस्ट एक्ट सन् ५३ में पास हुआ था और आज सन् ५६ है। तीन वर्षों में आपको कोई चिन्ता नहीं हुई कि किस प्रकार रूल्स बना कर रेवेन्यू को ट्रान्सफर करना चाहिए, किस प्रकार से प्रोड्यूस को रेगुलेट करना चाहिए, किसको फोरेस्ट प्रोड्यूस मान कर विशेष व्यवस्था करनी है, इसकी चिन्ता आपको नहीं हुई, रेवेन्यू डिपार्टमेंट को ट्रान्सफर करवा कर अन्धाधुन्ध तरीके से जमीन तकसीम कर दें, इसकी आपको चिन्ता नहीं हुई। अब आप नियम बना रहे हैं और वह व्यवस्था न जमीन पर रहेगी और न प्रोड्यूस पर रहेगी। ऐसी सूरत में इन नियमों का उपयोग कोई नहीं है। उसका उपयोग सिर्फ इतना है कि जो गडबडियें हुई हैं उन पर आप अपनी मोहर लगा दें। इस प्रकार की जो मोहर लगाने की व्यवस्था आप जारी कर रहे हैं, हम उसके पक्ष में नहीं हैं। जहां रूल्स बनाने का अधिकार है वहां रूल्स में नहीं बल्कि एक्ट की एक एक धारा में अमेन्डमेन्ट लाकर व्यवस्था करें, सदन को कान्फीडेन्स में लें और सारी चीजों की व्यवस्था करने वाला संशोधन विधेयक सदन में लाया जावे।

अध्यक्ष महोदय, कुछ फोरेस्ट प्रोड्यूस को लेकर डेफिनिशन दी है, शूटिंग कंडीशन के नियमों की आज्ञा चाही है। ये सारी चीजें ऐसी हैं जो फोरेस्ट एक्ट की मूल भावना से संबंधित हैं। इनका रूल्स में प्रोवीज़न करने की जरूरत नहीं हैं। कोई कांसीक्वेन्शियल एमेन्डमेंट करना चाहते या क्लेरीकल मिस्टेक्स को दूर करना चाहते और उसके लिये ऐसा अधिकार सरकार को देते तो कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन सारे एक्ट की मूल भावना को रूल्स के रूप में बना कर लागू करें और उस पर अमल करावें इस प्रकार का अधिकार सरकार को सदन द्वारा नहीं दिया जाना चाहिये। अंत में मैं यही कहूंगा कि सारे मूल एक्ट पर सरकार की ओर से योजना बद्ध आघात किये जा रहे हैं। इसको रोकने के लिये सदन के सदस्य अंतिम दौर तक इसका विरोध करें और आग्रह करें कि किसी भी रूप में यह पास नहीं होना चाहिये। मैं मंत्री जी की गलतफहमी दूर करने के लिये कहता हूं कि वे यदि अधिकार लेना चाहें तो रूल्स के जरिये नहीं बल्कि एक्ट में संशोधन लाकर विशेष

[श्री भैंरूं सिंह]

प्रकार की व्यवस्था करानी चाहिये। यदि इस प्रकार नहीं करते हैं तो सदन से ब्लेन्क पेपर पर बहुमत के आधार पर अपनी मुहर लगाने की चेष्टा कर रहे हैं।

श्री मानसिंह महार—अध्यक्ष महोदय,....

श्री अध्यक्ष—आप सभी बोलेंगे क्या ?

श्री अवनीकुमार मुकर्जी—बोलने का स्टेज होता है उस पर बोलना ही चाहिये।

श्री अध्यक्ष— आप सब पहले बोल चुके हैं।

श्री भैंरूं सिंह—एक स्टेज पर बोलने से मानते नहीं है।

श्री मानसिंह महार—कुछ इनको मनाने की कोशिश करेंगे तो नहीं बोलेंगे।

श्री अवनीकुमार मुकर्जी—सदन में प्रश्न आता है तो बोलना पड़ता है।

श्री अध्यक्ष—सेकन्ड स्टेज पर बोल चुके हैं।

श्री मानसिंह महार—कुछ होता नहीं है और कानून लागू हो जाता है। आज्ञा हो तो दो शब्द मैं भी कह दूं।

श्री अध्यक्ष—सिर्फ दो ही शब्द कहेंगे या चार ?

रूल्स ऐसे हैं कि जब कोई अमेंडमेंट नहीं रहता तो प्रश्न यह रहता है कि उसको पास कर दिया जाय। जब कि १३ आदमी इस पर बोल चुके हैं तो अब फिर बोलना हेल्दी कन्वेन्शन नहीं होगा।

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं कि सैद्धान्तिक एतराज उठाये जाते हैं प्रथम वाचन के ऊपर और सन्तोषजनक उत्तर नहीं दिया जाता है तो वैसी सूरत में बोलने का अधिकार रहता है।

श्री अध्यक्ष—ये सैद्धान्तिक एतराज सेकिन्ड स्टेज पर होते हैं, प्रिन्सिपिल्स के ऊपर....

श्री भैरोंसिंह—माननीय अध्यक्ष, इसमें एक आपत्ति है। आपने फरमाया कि जब तक अमेंडमेंट्स नहीं हों तब तक बोलने का अधिकार नहीं रहता...

श्री अध्यक्ष—No, no.

श्री भैरोंसिंह—इसमें अमेंडमेंट मूव करने के लिये दो क्लियर डेज मिलने चाहिये थे, वे नहीं मिले हैं।

श्री अध्यक्ष—अमेंडमेंट पेश करते और यदि रिजेक्ट करते तो कहते।

श्री मानसिंह महार—मैंने तो दिये थे, माननीय अध्यक्ष।

श्री अध्यक्ष—अभी दिये ?

श्री मानसिंह महार—मैंने यह एतराज उठाया था....

श्री अध्यक्ष—आज साढे बारह बजे तक इसे पास कर दिया जाय।

श्री मानसिंह महार—हां साहब, जरूर।

श्री अध्यक्ष—बिलकुल रिलेवेन्ट चीजों पर ही बोलिये !

श्री मानसिंह महार—हां साहब, बिल्कुल रिलेवेन्ट चीजों पर ही बोलूंगा, मैं यदि जरा भी बाहर जाऊं तो आप मुझे टोक दें।

श्री अध्यक्ष—कितने बोलेंगे ? क्या सभी बोलेंगे !

श्री मानसिंह महार—नहीं साहब, एक-दो बोलेंगे, आज तो कम्पनी फैल हो रही है। माननीय अध्यक्ष, सदन में राजस्थान फोरेस्ट (संशोधन) विधेयक, १९५६ जो प्रस्तुत हुआ उसके तृतीय वाचन पर बोलते हुए मैं यह निवेदन करूंगा कि इस कानून को सदन को कभी भी पास नहीं करना चाहिये। यह मेरा निश्चित मत है अध्यक्ष महोदय, कि इस कानून को नहीं पास करने के तीन बड़े मुद्दे हैं, उन तीन बातों को मद्देनजर रखते हुए इस कानून को कभी पास नहीं करना चाहिये।

मैं यह मानता हूँ अध्यक्ष महोदय, कि आज तीन वर्ष तक सरकार ने इस कानून के बिना बाधा के मुतवातिर इसके तहत में कार्यवाहियां की हैं और वह कार्यवाहियां नाजायज रही हैं पर हम सरकार की इस बहादुरी के लिये सरकार को दाद देते हैं कि इस तरह नाजायज कार्यवाहियां तीन वर्ष तक कीं और अब महसूस हुआ कि नाजायज तरीके से काम न करके कोई तरीका अपनाया जाय। तरीका अपनाया जाता वहां तक तो ठीक था, पर तरीके के साथ साथ जो तरकीब सरकार ने निकाली है वह ठीक नहीं है। २६ ए. में सरकार ने अपने हाथ में कुछ विशेष मुद्दों की तहत में कुछ पावर्स लेने की तरकीब निकाली है, रूल्स बनाने के अधिकार सरकार अपने हाथ में लेना चाहती है। इस तरह के मामले में सरकार क्या क्या करेगी लेकिन अध्यक्ष महोदय, देखा यह जायगा कि इस परम्परा का ब्लैंक चैक सरकार को दें कि नहीं ? माननीय अध्यक्ष, वास्तविकता यह है कि आज तक का हमारा तजुर्बा हमें इस बात के लिये घसीटता है, इस बात के लिये मजबूर करता है कि

[श्री मानसिंह महार]

सरकार को इस प्रकार के अधिकार न दें। मेरी यह निश्चित धारणा है अध्यक्ष महोदय, कि हमें इस प्रकार के अधिकार सरकार को नहीं देने चाहिये। मैं सदन के प्रत्येक सदस्य से प्रार्थना करूंगा कि वह इसे कभी पास नहीं होने दे इसके पास नहीं करने का सबसे बड़ा कारण यह है कि धारा २६ ए. के अन्दर की उपधारा ए. को देख लिया जाय।

"[a] the making of fresh clearings for cultivation or for any othe purpose;"

मतलब यह है कि धारा २६ ए. की उपधारा यह है कि जंगल को काटकर खेती के लिये उस जमीन को तैयार किया जाय। देखने में यह चीज़ बहुत साफ है, क्या बात हुई, जंगल को काट कर खेती के योग्य बनाना कोई अन्याय की बात नहीं। पर वह खेती के योग्य किसके लिये बनाई जाती है? मंत्रियों के रिश्तेदारों के लिये। यह हम आज के युग में किस तरह बरदाश्त कर सकते हैं। आज हमारा राजस्थान जहां वर्षा की कमी हो रही है, जयपुर में वर्षा का एवरेज २५-२७ इन्च था, आज जंगलों के काटे जाने से १६, १७ इन्च पर आ गया है। हमारे जयपुर के इलाके में जमीन के अन्दर कूओं के पानी की सतह थी वह सात, आठ फीट नीचे चली गई है, हमारे यहां के कूए सूख गये हैं। तो ऐसी सूरत में बजाय जंगलों को काटने के इस तरीके से यह मांग करते कि जंगलों की बहुत कमी हो गई है, इशन्दा का जंगल बर्बाद कर दिया गया है, डूंगरपुर, बांसवाडा, सवाई माधोपुर और कूकस के बीड़ और जमवा रामगढ़ तहसील के जंगल काट लिये गये हैं, इसलिये जहां जंगलों की कमी है वहां नये जंगल लगाने का कानून सरकार सदन के समक्ष रखती तो हम उसका स्वागत करते, हम उम्मीद करते कि राजस्थान सरकार राजस्थान की जनता जनार्दन को राहत पहुँचाने की कोशिश कर रही है। पर यहां तो हम इसके विपरीत देखते हैं! आज तो जंगलों को काटने की इजाजत मांगी जाती है ताकि जंगलों में खेती की जाय। यह कोई बात ही नहीं, जंगलों को बढ़ाना तो कोई बात है। ग्रो मोर फूड की आवश्यकता है, यह एक बीमारी सी है अध्यक्ष महोदय।

एक माननीय सदस्य—अध्यक्ष महोदय, कोरम पूरा नहीं है।

श्री अध्यक्ष—हां साहब, कहिये।

श्री मानसिंह महार—इस ग्रो मोर फूड के तहत में क्या हो रहा है? वर्षा कम होने के कारण हमारे यहां की जमीन की पैदावार कम हो गई है, आठ-दस मन जौ, गेहूं फी बीघा पैदा होता था। आज जौ गेहूं की उपज फी बीघा तीन चार मन रह गई है और जमीन को अन्दर कल्टीवेशन लाने से और पैदावार कम होगी, जंगल काटने से वर्षा कम होगी और वर्षा कम होने से ग्रो मोर फूड का कम्पेन ही खत्म हो जायगा वर्षा की कमी के कारण।

[श्री मानसिंह महार]

राजस्थान को पुरानी रियासतों से बड़े बड़े बीड़ और बड़े बड़े जंगल मिले हैं उनको राजस्थान सरकार नष्ट भ्रष्ट कर रही है। अगर इनको संरक्षण मिलता तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि उनसे राजस्थान की जनता को बहुत कुछ फायदा हो सकता था। आज के युग में अगर इन बीडों को रखकर इनकी घास कटाई जाती और घास की बागरें लगाई जाती तो यह तय हो जाता कि अकाल के समय यह घास बांटी जावेगी। इसके अलावा अकाल के समय हमें यू० पी० से घास मंहगे भाव से एक्सपोर्ट करनी नहीं पड़ती लेकिन मंगानी पड़ी क्योंकि हमारे पास घास का स्टोक नहीं था। अब होता क्या है कि बीडों के घट जाने से हमारे पास घास का जमाव नहीं रहता और जब हमारे पास घास का रिजर्व स्टोक नहीं रहता तो अकाल के समय घास की कमी को पूरा नहीं किया जा सकता; कहने का मतलब यह कि अकाल के समय हम घास की कमी का मुकाबला नहीं कर सकते।

माननीय मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में फरमाया कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं और ऊटपटांग बातें हैं जिनका जवाब वे देना नहीं चाहते। इस बारे में मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि आज हम जो कुछ कहते हैं यहां पर बहुत संयम से कहते हैं। अगर कोई सच्ची बात जो जुबान से निकल जाती है और बुरी लगती है तो इसमें तो हमारा कोई दोष नहीं। हमारा तो ध्येय यही रहता है कि सब खुश रहें और हम तो सबको खुश रखना चाहते हैं, अगर कोई गलत काम करते रहें तो करें, उसके लिये हम उनसे ऐसा नहीं करने के लिये प्रार्थना ही कर सकते हैं, हाथ तो पकड़ कर कुछ किया नहीं जाता। उनसे यही प्रार्थना की जाती है कि पब्लिक में इस प्रकार के कार्य करके स्तर को नीचे न गिरावें। लोगों में चर्चा होती है कि यहां पर इस प्रकार के मंत्री मौजूद हैं जिनको ६ साल के लिये वोट देने से डिसक्वालीफाइड किया गया है।

(घंटी)

ऐसा बिल हरगिज पास नहीं होना चाहिये और मैं सदन से निवेदन करूंगा कि यह बिल एक ऐसे मिनिस्टर द्वारा हमारे सामने रखा गया है जिसको रखने का कोई हक नहीं है।

(श्री शंभूसिंह के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—क्या यह जरूरी है कि सारे सदस्य ही बोलें? The sooner we adjourn, the batter it is. From the natute of the Debate I heard of Shri Mansingh Mahar, I consider the sooner we adjourn, the better it is

श्री शंभूसिंह—माननीय अध्यक्ष, इस तीसरे वाचन पर मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपने यह जो जंगलों को काटने की बात कही है एग्रीकल्चर के लिये यह आपस में एक दूसरे से कोन्ट्राडिक्टरी बात है। खेती करना और जंगल को लगाना आपस में विरोधी चीजें हैं। जहां पर

[शंभुसिंह]

खेती होगी वहां पर जंगल नहीं होंगे और जहां पर जंगल होंगे वहां पर खेती नहीं हो सकेगी। हम यहां पर जंगल के लिये कानून जंगल की सुरक्षा के लिये ला रहे हैं और काम ऐसा करने जा रहे हैं जिससे जंगल नष्ट हो जाएं। यह कैसी विरोधी बात है।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक जंगलों की सुरक्षा का प्रश्न है इसमें खेती करने के लिये और खेती को लाभ पहुंचाने के लिये कोई प्रोविजन नहीं होना चाहिये। यह तो जंगल की सुरक्षा के लिये फोरेस्ट एक्ट है। अगर हमें इस प्रकार की कोई व्यवस्था करनी हो तो हम एग्रीकल्चर एक्ट पेश करें, उसमें करें। यहां पर हम कोई एग्रीकल्चर एक्ट पास नहीं कर रहे हैं। जब हम एग्रीकल्चर बिल पेश करें तब इस पर विचार करेंगे। लेकिन यहां तो हम फोरेस्ट की सुरक्षा के लिये एक्ट पेश कर रहे हैं। इसमें इस प्रकार परस्पर विरोधी बातें कैसे कर रहे हैं जिससे जंगल नष्ट हो जाएं और जंगल रहें नहीं।

अध्यक्ष महोदय, एक बात मैं और निवेदन करना चाहता हूं और वह यह है कि रिज़र्व फोरेस्ट दो प्रकार के होते हैं। एक तो पहाडों में होता है जहां पर खेती नहीं हो सकती। परन्तु ऐसे जंगल में खेती नहीं होती। वहां पर तरह २ के टिम्बर और लकड़ी और दूसरे फल फूल पैदा होते हैं। जंगल की पैदावार से टिम्बर ही से मतलब नहीं है। ऐसी भी दूसरी पैदावार है जैसे घास। घास भी आवश्यक पैदावार है। मैं तो इस बात को आवश्यक समझता हूं कि घास होनी चाहिये क्योंकि बैलों से खेती होती है और घास बैलों के लिये फोडर को बहुत जरूरत होती है। जैसा कि सबको विदित ही है कि राजस्थान में वर्षा की बहुत कमी है और जंगलों के बीड़ों को आप कम करने जा रहे हैं और भूमि को जो जंगलों की है खेती के काम में लाना चाहते है, यह वाजिब नहीं है। यहां पर फोडर की बैलों के लिये बहुत जरूरत रहती है। लाखों रूपयों का कुछ वर्ष पहले घास यू. पी. से अकाल के समय मंहगे भाव से खरीदा गया था। कम कीमत का घास था और फिर भी ज्यादा पैसा देना पड़ा क्योंकि हमारे पास घास का स्टोक नहीं था। यदि उस समय हमारे पास घास का स्टोक होता तो हमारे हजारों बैल नहीं मरते। मगर घास का स्टोक नहीं होने से क्या हुआ कि हमारे हजारों बीघा भूमि जो खेती के काम में आनेवाली थी बैलों के नहीं होने से पडी रह गई। इसलिये यदि घास नहीं हुआ तो बैल भूखे मर जाएंगे और जब बैलों मर जावेंगे तो खेती करेंगे कैसे ? इसलिये खेती के लिये जंगलों का काटना आवश्यक नहीं है। खेती के लिये बैलों की आवश्यकता रहती है और पानी की आवश्यकता रहती है। जंगल ज्यादा होंगे तो वर्षा ज्यादा होगी। इसलिये खेती के इन्टरेस्ट के लिये जंगलों का रहना बहुत जरूरी है। इसलिये मैं समझता हूं कि जहां पर रिजर्व फोरेस्ट हैं इस प्रकार का प्रश्न ही पैदा नहीं होता लेकिन जो बीड़ जहां रियासतों के समय में थे उन बीडों में घास कटाई जाकर स्टोक रखा जाए ताकि एमरजेन्सी पर काम आए, जो वक्त पड़ने पर किसानों को दिये जावें ताकि उनके बैल मरने से बच सकें

(घंटी)

[श्री शंभुसिंह]

मगर यहां पर हमारे सामने एक दूसरी समस्या उपस्थित हो गई है। इसलिये ये परस्पर विरोधी विचार हैं जंगल रखने और खेती करने के। इसलिये खेती के लिये यह आवश्यक है कि घास के लिये बीड़ों से घास इकठा करके स्टोक रखा जाए। रियासतों के समय से बीड़ मिले हैं उनको घास काटने के काम में लावें और स्टोक रखें ताकि अकाल के समय हमें किसी दूसरे का मुँह नहीं ताकना पड़े। इसलिये जहां तक फोरेस्ट रिजर्वेशन का प्रश्न है, टीक है लेकिन उनको खेती के काम मे लाने के लिये काट कर नष्ट करना अनुचित है। इसलिये मैं तृतीय रीडिंग पर निवेदन करूंगा कि अब भी समय है, इसमें संशोधन कर लें वरना बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं होगा।

(घंटी)

यह प्रोविजन कुछ अपने अपने व्यक्तियों को फायदा पहुंचाने के लिये रखा गया है। इससे राजस्थान को बहुत बड़ा नुकसान होनेवाला है। इसलिये आप घास काटने के लिये बीडों की जमीन को उसी काम के लिये रहने देंगे।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—माननीय अध्यक्ष, मैंने पहले इस पर बहुत कुछ कह दिया और फिर भी यही निवेदन करना चाहता हूं कि यह प्रश्न उठाया गया कि जो जमीन पहले दी गई है और आयन्दा दी जाने के बारे में भी अख्त्यार ले रही है ऐसी बात नहीं है, इसको रेगुलेट करने के लिये वाइड पोवर हैं। इनको रेगुलेट करने के लिये रूल्स बनेंगे और इसके लिये यह कहें कि इससे सीमित पोवर होंगे तो इसका मुझे अफसोस है। मैं पहले ही स्पष्ट कर चुका हूं और इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं कहना है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि राजस्थान फोरेस्ट (संशोधन) विधेयक, १९५६ को पास किया जाए।

(मत-दान के पश्चात्)

हां पक्ष जीता।

श्री मानसिंह महार—ना पक्ष जीता।

श्री अध्यक्ष—आप विभाजन चाहते हैं ?

विरोधी पक्ष—जी हां।

(विभाजन घंटी के पश्चात् सदन में मतों की गणना करते समय श्री भवानी सहाय के सदन में प्रवेश करने पर)

श्री मानसिंह महार—अध्यक्ष महोदय, श्री भवानी सहायजी अभी आये हैं इनका वोट काउन्ट नहीं होना चाहिये।

श्री भवानी सहाय—अध्यक्ष महोदय, मैं तो आंखों में दवा डलवाने चला गया था।

श्री अध्यक्ष—इनके वोट से कोई फर्क पड़ता हो तो केन्सिल कर दिया जायगा।

(मतों की गणना के पश्चात्)

श्री मानसिंह महार—भवानीसहायजी का वोट रेकर्ड हुआ या नहीं।

श्री अध्यक्ष—I think it is immaterial. I think the Hon'ble member will not object to the giving of a vote by an Hon'ble member. He has a right to give vote.

(विराम)

पक्ष में १८ वोट और विपक्ष में १२। Very inauspicious number.

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

(विराम)

सदन की कार्यवाही कल दिनांक १६ मई, १९५६ के आठ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तत्पश्चात् सदन की कार्यवाही मध्यान्ह में १२ बजकर १० मिनिट पर बुधवार दिनांक १६ मई, १९५६ के ८ बजे तक के लिये स्थगित हुई)

विधान सभा भवन,
जयपुर,
दिनांक १५ मई, १९५६.

मनसाराम पुरोहित
सचिव,
राजस्थान विधान सभा।

परिशिष्ट १

(तारांकित प्रश्नोत्तर जो सम्बन्धित प्रश्नकर्त्ताओं की अनुपस्थिति के कारण सदन की मेज पर रखे गये तथा जिन्हें प्रकाशित कराने की सम्बन्धित मंत्री महोदय की अनुमति है)

प्रश्न

969. (162/MLM) Shri Gulab Chand Kasliwal, M.L.A. (Divison No. 48)—

Will the Minister for Medical and Public Health be pleased to state :-

1. What amount is estimated to be paid as aid during the current financial year to privately managed—

(a) Ayurvedic Aushdhalayas;

(b) Unani and Tibbie Dawakhana and

(c) other institutions rendering medical aid ?

2. Is any aid given at present managed allopathic dispensaries, hospitals, maternity homes and childwelfare centres ? If so, what ?

उत्तर

१. (अ और ब) ६९००० रुपये रखा गया है । इसका वितरण अभी विचाराधीन है ।
(स) ६००० रुपया ।

२. १२०० रुपया प्रतिवर्ष की धनराशि एक शिशुकल्याण केन्द्र बून्दी को, और ६०० रुपये प्रतिवर्ष एक प्राईवेट होमियोपैथिक डिस्पेन्सरी जयपुर को दी जाती है ।

प्रश्न

९७८. (२१८। सी. एम.) श्री धूलजी भाई, एम. एल. ए., डिविजन नम्बर ३८:—क्या शिक्षा मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या अनट्रेन्ड अध्यापकों को ट्रेन्ड अध्यापकों के ग्रेड के अनुसार वेतन देने हेतु कोई नियम है ?

(ख) यदि हां, तो क्या ?

उत्तर

(क) जी हां ।

(ख) सदस्य महोदय की जानकारी के लिये इस सम्बन्ध के सरकूलर की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है ।

GOVERNMENT OF RAJASTHAN.
EDUCATION DEPARTMENT.

From.—The Secretary to Government.
Education Department, Jaipur.

To— The Director of Education,
Rajasthan, Bikaner.

No. F. 17 (23) Edu-1-52. Date jaipur, the 11th. March, 1954.

SUB:—EQUATION OF EXPERIENCED TEACHERS WITH TRAINED ONES.

Ref: Correspondence ending with your Memo. No. PS/E /14/53/53/799 dated 8-7-53.

The question of granting trained grade to untrained teachers in consideration of their having gained sufficient experience after putting in long and efficient service as teachers without their possessing trained qualifications was examined by the Govt. His Highness the Rajpramukh has been pleased to order:—

1. that Education Department should first fix with the concurrence of Finance Department number of posts of trained teachers in every grade.;

2. that after the number of posts are fixed 25% of these posts in each such grade will be reserved for those untrained teachers who are to be given trained teachers grades in lieu of their long and efficient service and the remining 75% will be kept for those who possess or acquire training qualifications prescribed for the post;

3. that teachers who have put in at least 10 years efficient service as teacher and 5 years service after passing the basic examination on which they claim benefits of trained grade may be given trained teachers grade to the extent of 25% of the vacancies for instance a Middle pass teachers for getting the trained Middle grade should put in 5 years service as teacher after he has passed the Middle Examination and should put in 10 years efficient service as a whole.

The Director of Education should take immediate steps to implement the above decision.

Sd. R. K. Vyas
Secretary to Government

परिशिष्ट २

(कृपया प्रश्न संख्या ६७२ का उत्तर देखिये)

३१-१२-५५ के राजस्थान राजपत्र में पृष्ट संख्या २६३ पर राजस्व विभाग द्वारा समितियों के निर्माण की आज्ञा संख्या एफ ६(५४२) रेवेन्यू ।ख।५५ दिनांक १५ दिसम्बर, १९५५ प्रकाशित हुई है, जिसकी प्रतिलिपि निम्नलिखित है :

राजस्व विभाग
विज्ञप्ति

जयपुर दिसम्बर १५, १९५५

संख्या एफ ६(५४२) रेवेन्यू ।ख। ५६:—राजस्थान सरकार निम्नलिखित उपदेष्ट्री समितियां तहसीलदार उपनिवेशन विभाग, भाखरा परियोजना को उपनिवेशन संचालक हनुमानगढ़ को अपने क्षेत्राधिकार में भूमिहीन काश्तकारों को सरकारी भूमि आवंटन करने की सिफारिश करने में सहायता देने के लिए नियुक्त करती है :

१—उपनिवेशन तहसील हनुमानगढ़ के लिये कमेटी

१. चौधरी रामचन्द्र एम. एल. ए.।
२. श्री घनश्याम दास, एडवोकेट, हनुमानगढ़ ।
३. श्री मुखराम, निवासी ग्राम खिलवाला ।
४. श्री रावतराम जाखड़ निवासी ग्राम चक्कासारनान ।
५. इशाक मोहम्मद निवासी ग्राम खुनजां ।

२—उपनिवेशन तहसील संगरिया के लिए कमेटी

१. श्री धरमपाल एम. एल. ए.।
२. श्री उजागरसिंह निवासी ग्राम जंडवाला ।
३. प्रेमचन्द, निवासी ग्राम लीलांवाली ।
४. कैप्टिन सहीराम निवासी ग्राम नुकेरा ।

३—उपनिवेशन तहसील शादूलशहर के लिए कमेटी

१. चौधरी रामचन्द्र एम. एल. ए.।
२. रीडमल खीचड़. निवासी ग्राम मटीली खिचडन ।

३. श्री फत्ताराम निवासी ग्राम मन्नीवाला।

४. श्री किशनसिंह निवासी ग्राम बनवाला।

५. श्री बहादुर राम निवासी ग्राम लालगढ़ (तहसील गंगानगर)।

४—उपनिवेशन तहसील सूरतगढ़ के लिये कमेटी

१. चौधरी मनफूलसिंह एम. एल. ए.।

२. श्री गोपाराम निवासी ग्राम अयाल की।

३. श्री रामजस निवासी ग्राम रामपुरा।

४. श्री हरनामसिंह निवासी ग्राम बुलमानी।

परिशिष्ट ३

[कृपया प्रश्न संख्या '५०६ का उत्तर देखिये]

फहरिस्त जागीरदारान जिनसे चौकीदारी की रकम वसूल होती थी

क्र.सं.	नाम तहसील	नाम जागीरदार	नाम गांव	रकम जो वसूल हुई ४८–४६ सं० २००५	४९–५० २००६	५०–५१ २००७	५१–५२ २००८	५२–५३ २००६	मीजान
१.	बून्दी	हेमराज चारण	भंवरदा	१३	११	११	११	—	४४)
२.	,,	श्री हेमराज १/२ ,, हमीरजी १/४ ,, लक्ष्मणजी १/४	मंडीता	१३	१३	१३	१३	—	५२)
३.	,,	श्रीमती लाडकंवर बाई १ चारण १/४	चापरस १/२	३॥)	३॥)	३॥)	३॥)	—	१४)
४.	,,	श्री गोरधनलालजी १/२ ,, सम्भुदानजी ,, बजरंगसहायजी राव	इटोडिया १/२	३॥)	३॥)	३॥)	३॥)	—	१४)

१	२	३	४	५					
५.	बूंदी	श्री गोविन्द दत्त जी व्यास	डमरच	१७)	१७)	१७)	१७)	—	६८)
६.	,,	,, गंगागुरूजी	भीम का खेडा	४)	४)	४)	४)	—	१६)
७.	,,	,, सावतसिंहजी	महराम पुरा	८)	८)	८)	८)	—	३२)
			सिहांना	२५)	२५)	२५)	२५)	—	१००)
८.	,,	,, विष्णुदत्तजी	श्री नगर	६)	६)	६)	६)	—	२४)
९.	,,	,, रामदत्तजी	श्री नगर	६)	६)	६)	६)	—	२४)
१०.	,,	,, नाथूसिंहजी	करजूना	७)	७)	७)	७)	—	२८)
११.	,,	,, प्रतापसिंहजी	डलडा	२२)	२२)	२२)	२२)	—	८८)
			गोपालपुरा	६)	६)	६)	६)	—	२४)
१२.	,,	,, चन्दनसिंहजी	औन्तर की झोंपडियां	२)	२)	२)	२)	—	८)
१३.	,,	,, शिवनाथसिंहजी	टीकरदा	८१)	८१)	८१)	८१)	—	३२४)
१४.	,,	मन्दिर श्री लाल बिहारी	दांता	१०)	१०)	१०)	१०)	—	४०)

Page No 93

१	२	३	४	५					
१५.	,,	श्री रंगेशकुमारजी मुखिया	नठावा	२०)	२०)	२०)	२०)	—	८०)
१६.	,,	,, लक्ष्मणसिंहजी राव	बालापुरा	७)	७)	७)	७)	—	२८)
१७.	,,	,, इन्दर साल जी ,, अभयलालजी राव	बिन्नवा	१०)	१०)	१०)	१०)	—	४०)
१८.	,,	,, जगन्नाथजी व्यास	गुलखेडी	५)	५)	५)	५)	—	२०)
१९.	,,	,, गोगासिंहजी अजयसर	केसरपुरा	८)	८)	८)	८)	—	३२)
२०.	,,	श्री ईश्वरीसिंहजी	बलदेवपुरा	८)	८)	८)	८)	—	३२)
२१.	,,	,, देवीसिंहजी अजयसर	भीमगंज	७)	७)	७)	७)	—	२८)
२२.	,,	,, भूरसिंहजी	जावटी खुर्द	२३)	२३)	२३)	२३)	—	९२)
२३.	,,	,, मन्दिर श्री गोविन्द नाथ	जावटी कलां	४३)	४३)	४३)	४३)	—	१७२)
२४.	,,	,, कल्याणजी चारण ,, भीमजी चारण ,, हेमाजी चारण	दयालपुरा	३)	३)	३)	३)	—	१२)

१	२	३	४	५					
२५.	,,	श्री कालूरामजी चारण	आकोदा	२०)	२०)	२०)	२०)	—	८०)
२६.	,,	,, भंवरलालजी कोतवाल	केशोपुरा	१४)	१४)	१४)	१४)	—	५६)
२७.	,,	,, जगपालसिंहजी	डाबेरा	२४)	२४)	२४)	२४)	—	९६)
२८.	,,	,, इन्द्रसहायसिंह	दराका नयागांव	८)	८)	८)	८)	—	३२)
२९.	,,	,, रनजीतसिंहजी अजेमो	अरवेड	२०)	२०)	२०)	२०)	—	८०)
३०.	,,	,, नाहरसिंहजी	ओंकारपुरा	२३)	२३)	२३)	२३)	—	९२)
३१.	,,	मन्दिर श्री स्मारक शरण देव जी, सलीमाबाद	गोआडी	१६)	११)	१९)	१९)	—	७६)
३२.	,,	श्री जगन्नाथसिंहजी अजयसर	सामरवा	११)	११)	११)	११)	—	४४)
			बारबास	१२)	१२)	१२)	१२)	—	४८)
			अजयसर	४७)	४७)	४७)	४७)	—	१८८)

१	२	३	४	५					
३३.	,,	श्री रघुनाथसिंहजी ४/५ ,, कल्याणसिंहजी १/५	रावरा	५५)	५५)	५५)	५५)	—	२२०)
३४.	,,	,, नन्दसिंहजी	सगावदा	२१)	२१)	२१)	२१)	—	८४)
			बंन का खेडा	१९)	१९)	१९)	१९)	—	७६)
३५.	,,	,, सेठ केसरीसिंहकनोटा	रायथल	४७)	४७)	४७)	४७)	—	१८८)
३६.	हिन्डौली	श्री शोराजसिंहजी	अकलोर	९)	९)	९)	९)	—	३६)
३७.	,,	,, सकरामसिंह	सरसोद	१२)	१२)	१२)	१२)	—	४८)
३८.	,,	,, कालूदान जी रामदयाल जो	हरनाम	२०)	२०)	२०)	२०)	—	८०)
३९.	,,	,, चन्द्रभानसिंहजी	सारेणा	८६)	८६)	८६)	८६)	—	३४४)
४०.	,,	,, नवानन्दजी	होलासपुरा	१९)	१९)	१९)	१९)	—	७६)

१	२	३	४	५				
४१.	,,	श्री शम्भुसिंहजी	छाबेडा	६२)	६२)	६२)	६२)	३६८)
४२.	,,	,, उदयसिंहजी	तुरकड़ी	५)	५)	५)	५)	२०)
४३.	,,	,, भाषासिंहजी	मराड़ी	६)	६)	६)	६)	२४)
४४.	,,	,, मृगेन्द्रसालसिंह	बासनी	२२)	२२)	२२)	२२)	८८)
			पगारा	८५)	८५)	८५)	८५)	३४०)
			टहला	१२)	१२)	१२)	१२)	४८)
४५.	,,	,, अखैराजसिंह	जिलाघर	१६८)	१६८)	१६८)	१६८)	६७२)
४६.	,,	,, रामनाथसिंह	डेरोली	१४)	१४)	१४)	१४)	५६)
४७.	,,	,, नारायणजी	चैनपुरा	६)	६)	६)	६)	२४)
४८.	,,	,, जैनाथसिंहजी	रोशनदा	५)	५)	५)	५)	२०)
४९.	,,	,, शोनाथसिंहजी	छाबड़ियों का नया गांव	१८)	१८)	१८)	१८)	२७)

१	२	३	४	५				
५०.	,,	श्री भगवतीसिंहजी	खैरंखटा	१४)	१४)	१४)	१४)	५६)
५१.	,,	,, सोभागसिंहजी	घोगनिया	११)	११)	११)	११)	४४)
५२.	,,	,, कालूरामजी	रोशनदा	२८)	२८)	२८)	२८)	११२)
५३.	,,	,, हरिसिंहजी	ओदंनदा	१४)	१४)	१४)	१४)	५६)
५४.	,,	,, बैरीसालसिंह	चन्दा का खेडा जासोली	८)	८)	८)	८)	३२)
५५.	,,	,, प्रतापसिंह	रामपुरिया	४)	४)	४)	४)	१६)
५६.	,,	,, जयसिंहजी	भूतपुरिया	४)	४)	४)	४)	१६)
५७.	,,	,, मेघसिंहजी	ताकला	२६)	२६)	२६)	२६)	१०४)
५८.	,,	,, हिम्मतसिंह	नेगद	२६)	२६)	२६)	२६)	१०४)
५९.	,,	,, नाहरसिंहजी	गागली	१२)	१२)	१२)	१२)	४८)
६०.	,,	,, कजोड़सिंहजी	खटावदा	१६)	१६)	१६)	१६)	६४)

१	२	३	४	५				
६१.	,,	श्री उम्मेदसिंहजी	भरडसर	१३)	१३)	१३)	१३)	५२)
६२.	,,	,, अब्दुल मजीद खां	सलावलिया	१७)	१७)	१७)	१७)	६८)
६३.	नैनवां	,, इन्द्रसिंहजी	दुधारा	२६७)	२६७)	२६७)	२६७)	२६७)
६४.	,,	,, शंकरप्रसादजी	करीरा	४२)	४२)	४२)	४२)	४२)
६५.	,,	,, नन्दसिंहजी	खेरूना	२०)	२०)	२०)	२०)	२०)
६६.	,,	,, पफसिंहजी	पीपखाला	८)	८)	८)	८)	८)
६७.	,,	,, नरसिंह दासजी	गावेलिया	७)	७)	७)	७)	७)
६८.	,,	,, नाथसिंहजी भन्डार कोटा	सकतपुरिया	२८)	२८)	२८)	२८)	२८)
६९.	,,	,, सरदारसिंहजी	सादेडा	१६)	१६)	१६)	१९)	१६)
७०.	,,	,, अडीसालसिंह						